खण्ड २ — अंक ३२
४ अप्रैल, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

चार आने (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११५०, ११५४ से ११५६, ११५६, ११६४, ११६५, ११६७ से ११६६, ११७१, ११७३ से ११७५, ११८० से ११८२, ११८६, ११८८, ११५२, ११६० और ११७६ ... ११०८–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१, ११५३, ११५७, ११५८, ११६१ से ११६३, ११६६, ११७०, ११७२, ११७६ से ११७८, ११८३ से ११८५, ११८७ और ११८६ से ११६१ ... ११२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६५ से ७२५ और ७२७ से ७३५ ... ११३४–४७

दैनिक संक्षेपिका ... ११४८–५०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ – प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तांबा

*११५०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में तांबे की खानों का पता लगाने के लिये भूतत्वीय ार्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में तांबे के निक्षेपों के विद्यमान होने की संभावना है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) (१) पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग तथा जलपाईगुरी जिले, (२) बिहार में हजारी-बाग तथा सिंघभूम जिले, (३) मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर तथा सागर जिले, (४) राजस्थान में खेतरी तथा दरीबो, (५) जिला करनूल में गनी, आंध्र में अनन्तपुर तथा नैलोर जिले, (६) मैसूर में चित्तलदुर्ग, (७) उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा तथा गढ़वाल, (८) बम्बई में चोटौड़पुर, (९) सिक्कीम में रंगपों, (१०) मध्य भारत में इन्दौर, (११) पंजाब में कुल्लू, (१२) आसाम में अबोर की पहाड़ियां, (१३) विन्ध्य प्रदेश में रीवा, तथा (१४) मनीपुर ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि इन में से बहुत सी तांबे की खानों में, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने गढ़वाल का जिक्र किया, सैकड़ों वर्ष पहले खुदाई होती थी और अब वह बेकार पड़ी हुई हैं । ऐसी खानों में खुदाई करने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जिन खानों से सैकड़ों वर्ष पहले तांबा निकाला जाता था अब भी उन से इकानमिक ढंग से तांबा निकाला जा सकता है यह एक बहुत संदेहजनक बात हो गयी है । आजकल तांबा निकालने के आधुनिक ढंग निकल आये हैं और तांबा ऐसे दाम पर बिकता है कि इन खानों से निकाला हुआ तांबा उसके कम्पिटीशन में नहीं आ सकता । लेकिन फिर भी इस मामले पर गौर हो रहा है और अगर गढ़वाल का तांबा ठीक तौर से निकल सकता है तो उसे निकालने की सलाह हम दे देंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट का यह रुख है कि भारत सरकार का जिम्रालाजिकल सर्वे अभी केवल उसकी जांच पड़ताल करके छोड़ दे और इस काम को प्राइवेट पार्टीज या राज्य सरकारें करें ? इस दशा में हमारे देश में जो तांबे की इतनी कमी है उसकी पूर्त्ति कैसे की जा सकती है ?

श्री के० डी० मालवीय : तांबा एक ऐसी धातु है जिसके बारे में केंद्रीय सरकार यह निश्चय कर चुकी है कि वह केन्द्रीय सरकार के इन्तजाम में और उसी के तत्वावधान में उत्पादन किया जायेगा ।

†**श्री केशव अय्यंगार :** क्या यह अत्यन्त महत्वपूर्ण धातु केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा ही निकाली जायगी या गैर-सरकारी क्षेत्र को भी उसे निकालने की अनुमति दी जायगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जैसा कि मैं ने अभी बताया, सरकार तांबे की खानों का विकास अपने अधीन लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है और इस दिशा में वह कुछ कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री पी० सी० बोस :** क्या माननीय मंत्री द्वारा अभी उल्लिखित स्थानों में से कहीं पर वास्तव में तांबा निकाला जाता है और तैयार किया जाता है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जी, हां । सिंहभूम में भारतीय तांबा निगम है जो अभी सात हजार टन तांबा उत्पादन कर रहा है ।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में तीन स्थानों पर इसकी खोज की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक यह खोज कहां तक पहुंच गयी है और क्या इन तीनों स्थानों पर तांबा निकालने की भी कोई व्यवस्था हो रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैंने बताया केन्द्रीय सरकार उसकी खोज बीन करके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टीमेंट कर देना चाहती है । इसके बाद केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल कर यह निश्चय करेंगी कि कितनी खुदाई की जाये, कैसे की जाये और कौन करे ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या विभिन्न स्थानों में तांबे की खानों की संभाव्य सामर्थ्य के बारे में कोई परिगणन किया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** कार्यवाही की जा रही है और कुछ प्रदेश १९५५-५६ के कार्यक्रम में विस्तृत अनुसंधान के लिये सम्मिलित किये गये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : अभी जिन स्थानों का नाम माननीय मंत्री जी ने बताया, मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से किन-किन स्थानों में ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का तांबा मिलने की आशा की जा रही है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** हमारी सम्भाव्य तांबा-खानों की खोज के मात्रात्मक अनुमान के बारे में हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं । कुछ क्षेत्र, जैसे खेतरी, सिंहभूम में दरीबो, और सिक्किम में रंगपो, ऐसे हैं जहां आशापूर्ण संभावना है ।

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि :** क्या त्रावनकोर-कोचीन में किसी धातु के लिये कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** यह इतना अधिक विस्तृत प्रश्न है कि मैं अभी उसका उत्तर नहीं दे सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तांबे के बारे में नहीं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** खोज के बाद जो कार्यवाही करनी है क्या उसे स्पष्ट रूप से सोच लिया गया है और इन बातों को कार्यान्वित करने के लिये एक उचित संगठन और यंत्र प्रणाली पर विचार किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० डी० मालवीय :** तांबे की खानों की खोज अथवा विस्तृत अनुसंधान के बाद, अगला कार्य उनका विकास करना होता है। उस दृष्टि से कुछ प्रदेशों का अनुसंधान किया जा रहा है और कुछ कार्यवाही भी की जा रही है। अभी हाल में कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी हमारे देश में आये थे। उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। सरकार उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सक्रिय रूप से सोच रही है।

श्री के० सी० सोधिया : सागर जिले में किस-किस जगह ये खानें पायी गयी हैं ?

कोयला क्षेत्रों की खोज

†***११५४. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में कोयला उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करने के लिये कोयला-क्षेत्रों की गहरी खोज की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर संभवतः कितना खर्च किया जायगा;

(ग) कार्य कब प्रारम्भ होने की आशा है; और

(घ) क्या उस कार्य के लिये देश में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) लगभग ५००–६०० लाख रुपये।

(ग) काम मई १९५५ में प्रारम्भ हो गया है।

(घ) जी हां।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** १९५६ और १९५७ में संभवतः कितना काम किया जायगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** भारत सरकार का उत्पादन मंत्रालय कोयला-उत्पादन का कार्यक्रम निर्धारित करता है और हमें उन कोयला खानों का पता लगाना होता है। उस दृष्टि से कोरबा, मध्य-प्रदेश और करनपुर और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में नयी खानों का विकास शुरू किया गया है। कोरबा कोयला क्षेत्रों में हम अपना अधिकतर काम समाप्त कर चुके हैं। हमने अन्य कोयला क्षेत्रों का काम शुरू किया है।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या प्रतिवेदन में उल्लिखित पांच स्थानों के अतिरिक्त अन्य किन्हीं स्थानों पर भी खुदाई की जायगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** अभी इन स्थानों पर काम हो रहा है।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक कोयले की खानों का सम्बन्ध है यह बात कई बार उठी है कि इस देश की कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। क्या इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने अपनी कोई निश्चित नीति बना ली है और क्या इन कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाने वाला है ?

श्री के० डी० मालवीय : जो नई खानें खोदी जायेंगी उनके सम्बन्ध में सरकार ने निश्चय कर लिया है कि इस काम को वह खुद करेगी, लेकिन जिन पुरानी खानों में इस समय प्राइवेट सेक्टर द्वारा काम हो रहा है उनमें अभी तो इसी तरह काम चलता रहेगा।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** यदि गैर-सरकारी क्षेत्र सहायता मांगे तो क्या सरकार उसे मदद देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० डी० मालवीय** : उस प्रश्न का सम्बन्ध उत्पादन मंत्रालय से है ।

प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन

†*११५५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में **प्रतिरक्षा** विज्ञान संगठन के मुख्य कार्य क्या थे; और

(ख) उक्त अवधि में उन पर कितना खर्च किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) १९५५ में प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन की मुख्य कार्यवाही अधिकतर एक वर्गीकृत ढंग की रही और उसके विस्तार बताना सार्वजनिक हित में नहीं है। फिर भी संगठन की विभिन्न स्थापनाओं में किये गये कार्य का मोटे तौर पर वर्णन देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ख) १९५५-५६ वर्ष में प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन पर (इंस्टिट्यूट आफ आर्मामेन्ट स्टडीज और साइकोलाजीकल रिसर्च विंग को शामिल कर) करीब १७,८७,१५० रुपये खर्च किये गये हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कितने विज्ञान-विशारद काम कर रहे हैं और क्या इस संगठन में कोई विदेशी विज्ञान विशारद काम कर रहा है ?

†**श्री त्यागी** : इस संगठन में कोई विदेशी विज्ञान विशारद काम नहीं कर रहा है । १४ वरिष्ठ और १०० कनिष्ठ विज्ञान-विशारदों के लिये मंजूरी है। अभी १४ वरिष्ठ और ३१ कनिष्ठ विज्ञान विशारद काम कर रहे हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन और विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक गवेषणा कार्य के बीच कोई समन्वय है ?

†**श्री त्यागी** : प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन में किये जाने वाले गवेषणा कार्य और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में कोई सम्बन्ध नहीं है सिवा इसके कि हमारे वैज्ञानिक सलाहकार एक विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्राध्यापक हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : १९५५ में कितने शिल्पिक पदाधिकारी प्रशिक्षित किये गये हैं ?

†**श्री त्यागी** : मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री डी० सी शर्मा** : क्या इस संगठन में ऐसा कोई विभाग है जहां आण्विक युद्ध के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है ?

†**श्री त्यागी** : वह भी उनके अध्ययन का विषय है किन्तु वे उसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक अलग आण्विक शक्ति आयोग है जो इस काम को देखता है ।

ईंधन गवेषणा समिति

†*११५६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ दिसम्बर, १९५५ को कलकत्ता में ईंधन गवेषणा समिति की बैठक में की गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ख) क्या ईंधन गवेषणा संस्था की इस सिफारिश पर कोई कार्यवाही की गयी है कि उन्हें आग्रीम संयंत्र कार्य और अर्ध वाणिज्यिक अध्ययन पर भी ध्यान देना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् सिफारिशों का परीक्षण कर रही है ।

†**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : उन्हें कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : साधारणतया जब वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद को समितियों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के संचालकों से सिफारिशें मिलती हैं तब परिषद् के बोर्ड की बैठक में, जो छः महीने में एकबार होती है, विनिश्चय किया जाता है। यह विषय बोर्ड की अगली बैठक में संभवतः रखा जायगा । किन्तु हम इन सिफारिशों की प्रतीक्षा में नहीं हैं । कुछ अग्रिम संयंत्र का कार्य पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है । वह गत योजना में ही हो जाना चाहिये था किन्तु इसके लिये हमें धन नहीं दिया गया । अब चूंकि धन की उपलब्धि हुई है, इसलिये वे अग्रिम संयंत्र अब बनाये जा रहे हैं और हम संभवतः उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनायें भी प्रारम्भ करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई माननीय सदस्य प्रत्येक प्रश्न के लिये खड़े होते हैं, तो मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। माननीय सदस्यों को सम्पूर्ण प्रश्न सूची का अध्ययन करना चाहिये और तब इस बात का निर्णय करना चाहिये कि उन्हें किन प्रश्नों में दिलचस्पी है और अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये तैयार रहना चाहिये । मेरी कठिनाई यह है कि एक ही माननीय सदस्य कोयला, तांबा और वैज्ञानिक गवेषणा और प्रत्येक के बारे में प्रश्न पूछते हैं । एक या दो अनुपूरक प्रश्नों के बाद मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा; क्योंकि मैं दूसरों को अवसर देना चाहता हूं । माननीय सदस्य समझ लें कि हम क्या करने जा रहे हैं ।

ढ़ाना के पास हवाई अड्डा

*११५९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महायुद्ध के समय मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढ़ाना नाम के गांव के पास सैनिक हवाई यातायात के लिये एक हवाई अड्डा बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना था;

(ग) इसके निर्माण में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था; और

(घ) अब इसका क्या उपयोग हो रहा है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं । ढ़ाना का लैंडिंग ग्राउंड लड़ाई से पहले का बना हुआ है ।

(ख) लगभग १९ एकड़ ।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) यह लैंडिंग ग्राउंड १९५० में मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : मैं हिन्दी उत्तर नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए, जब वह बैठे हों तब मैं कैसे समझ सकता हूँ कि उनकी क्या कठिनाई है ?

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: मैं आप को दोष नहीं दे रहा हूं । मुझे देर हो गयी थी। कम से कम आखिरी भाग का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या मैं उत्तर का अंग्रेजी भाषान्तर पढ़ूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

(उत्तर अंग्रेजी में पढ़ा गया)

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : मध्य प्रदेश सरकार उसका क्या उपयोग करेगी क्योंकि उसके पास कोई विमान सेवायें नहीं है ?

†**श्री त्यागी** : उनकी प्रार्थना पर ही वह हस्तांतरित किया गया था और वे संभवतः उसका कुछ उपयोग कर रहे हैं ।

पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा

†*११६४. **श्री गिड़वानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के शिक्षाविज्ञ श्री ए० जे० बेथेरस ने पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा की योजना पर और उसे भारत में लागू करने के बारे में सरकार से चर्चा की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या विचार किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) जी, हां । मैं बता सकता हूं कि पत्र व्यवहार के पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण सुविधाओं सम्बन्धी कोलम्बो योजना की शिल्पिक सहकारी योजना के अधीन आस्ट्रेलिया सरकार ने डा० बेथेरस को उनके उस प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के लिये तथा उस पर चर्चा करने के लिये यहां भेजा था ।

(ख) डा० बेथेरस ने पत्र व्यवहार द्वारा पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और भारत सरकार की प्रार्थना पर आस्ट्रेलिया से कुछ पाठों के नमूने भेजने का वायदा किया है । उनका परीक्षण करने के बाद सरकार यह विनिश्चय करेगी कि आस्ट्रेलिया की इस भेंट का कहां तक लाभ उठाया जा सकता है ।

†**श्री गिडवानी** : योजना किस प्रकार की है ? क्या उसकी मोटी रूप रेखा हमें बता सकते हैं ?

†**श्री बी० आर० भगत** : योजनायें डिप्लोमा आदि के लिये विज्ञान अथवा शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के उच्चतर क्षेत्रों के अन्तर्गत नहीं आते किन्तु वे मुख्यतः शिल्पिक और पेशों के ज्ञान में आत्म सुधार के लिये हैं ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : इस योजना से संबन्धित शिक्षा के क्या विशिष्ट पाठ्यक्रम या विषय है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मुख्यतः वे विषय इंजिनियरिंग, मोटर मिकैनिक्स, भवन निर्माण, कृषि और एकाउन्टेन्सी हैं ।

†**श्री गिडवानी** : इस योजना के अधीन कौन-कौन व्यक्ति लिये जायेंगे ?

†**श्री बी० आर० भगत** : उन्होंने १०० छात्रवृत्तियां दी हैं और उनके लिये किस को चुना जाये यह सरकार विनिश्चय करेगी ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या इस विषय में शिक्षा मंत्रालय से परामर्श लिया गया है और यदि हां, तो उसकी क्या राय है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : हां । शिक्षा मंत्रालय से परामर्श लिया गया है । योजनाओं और पाठ्यक्रमों के विस्तृत परीक्षण के अधीन उसने उसका अनुमोदन किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौसैनिक गोदी शिक्षार्थी स्कूल, बम्बई

†*११६५. **सरदार अकरपुरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में नौसैनिक गोदी शिक्षार्थी स्कूल, बम्बई में कुल कितने शिक्षार्थी थे; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक श्रेणी में कितने शिक्षार्थी प्रशिक्षित किये गये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६**]

अन्तर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव

†*११६७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष पेरिस में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव में भारत सरकार भाग लेने का विचार करती है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: यह विषय विचाराधीन है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : यदि भारत इसमें भाग लेगा तब ये नाटक मंडलियां किस आधार पर चुनी जायेंगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : वैदेशिक कार्य और शिक्षा मंत्रालयों की एक अन्तर्विभागीय बैठक में इस प्रस्थापना पर विचार किया गया था और संभवतः शीघ्र ही अन्तिम निश्चय किया जायगा।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या सरकार कुछ नाटक मंडलियों अथवा नाटक आन्दोलन के अग्रगण्य नेताओं को इसमें भाग लेने के लिये भेजेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैंने बताया कि अन्तिम निश्चय शीघ्र ही किया जायगा। निश्चय किये जाने के पूर्व, मैं कुछ नहीं कह सकता।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस सम्बन्ध में मेजबान देश खर्च उठायेगा अथवा भारत ?

†**डा० एम० एम० दास** : यदि किसी दल को भेजने का निश्चय किया जाता है, तो पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव के अधिकारियों ने ये शर्तें रखी हैं :

(१) लगातार तीन या चार दिनों के खेलों के लिये कोई थियेटर किराये पर लेना।

(२) दृश्य और पर्दे आदि लगाना और निकाल लेना।

(३) महोत्सव का संगठन और प्रचार।

(४) शिफ्टर्स, इलेक्ट्रिशियनों, प्रापर्टीमैन इत्यादि की अधिक समय की सेवाओं की व्यवस्था करना।

सभी अन्य खर्च जिस में कलाकारों के आने जाने का खर्च, सामान का परिवहन, सीमा शुल्क और नाटकों को तैयार करने का खर्च सम्मिलित होगा, भाग लेने वाले देश उठायेंगे। टिकटों से जो आमदनी होगी वह भाग लेने वाले देश या नाटक मंडली के पास ही रहेगी।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या केवल हिन्दी नाटक मंडली ही भेजी जायगी या किसी अन्य भाषाओं की नाटक मंडलियां भी भेजी जायेंगी ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : हम कोई नाटक मंडली भेजेंगे भी या नहीं इस पर अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

आदिम जाति क्षेत्रों (मनीपुर) का विकास

†*११६८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५-५६ में मणिपुर के आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिये, भारत सरकार ने१३ १।२ लाख रुपये की धनराशि आवण्टित की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विभागों में इसको किस प्रकार विभाजित किया गया; और

(ग) वर्ष में प्रत्येक विभाग ने कितनी धनराशि का उपयोग किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९५५-५६ में आदिम जातियों के कल्याण के लिये मणिपुर सरकार को १४·६२ लाख रुपये की धनराशि का आवण्टन किया गया है तथा जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, १३·५० लाख रुपये की धनराशि का आवण्टन नहीं किया गया है ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७**]

(ग) १९५५-५६ के लेखे अभी पूर्ण नहीं हुये हैं । इसलिये वर्ष में प्रत्येक विभाग द्वारा उपयोग की जाने वाली कुल धनराशि इस समय नहीं बताई जा सकती है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : कृषि के लिये २५,००० रुपये आवण्टित किये गये हैं । इस आधार पर कि लगभग समस्त पर्वतीय प्रदेश में झूमया कृषि होती हैं; क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार २५,००० रुपये की राशि को अपर्याप्त नहीं समझती है तथा क्या सरकार आवश्यकता के अनुसार इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जहां तक कृषि सुधार का सम्बन्ध है यह आय-व्यय की सामान्य मदों के अन्तर्गत भी आता है ? यहां जिस धनराशि को बताया गया है यह आदिम जातियों के कल्याण के लिये स्वीकार की गई है तथा यदि आवश्यक हुआ तो यह धनराशि बढ़ाई जा सकती है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : ३ लाख रुपये से अधिक की धनराशि सड़कों तथा झूले के पुलों (सस्पेंशन ब्रिज) के लिये स्वीकृत हुई थी । क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक समस्त पर्वतीय प्रदेश में एक भी पुल नहीं बनाया गया है ?

†**श्री दातार** : मुझे यह जानकारी नहीं है । परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा मणिपुर सरकार दोनों ही संचार व्यवस्था सुधारने के लिये उत्सुक हैं जिस में कई पुलों का निर्माण भी सम्मिलित है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार इस विषय की जिसको मैंने बताया है, जांच करेगी कि समस्त पर्वतीय प्रदेश में एक भी पुल नहीं बनाया गया है ?

†**श्री दातार** : जी हां । मैं इस मामले की जांच करूंगा ।

विश्वविद्यालयों में अध्यापन शुल्क

†*११६९. **श्री धुसिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विश्वविद्यालय एक ही कक्षा अथवा वर्ष के लिये विभिन्न अध्यापन शुल्क लेते हैं;

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(ख) एक ही कक्षा के लिये, अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में, कौन-कौन से विश्वविद्यालय अधिकतम तथा न्यूनतम अध्यापन शुल्क लेते हैं तथा यह धनराशि क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर विचार करना उचित समझती है जिससे कि एक कक्षा का अध्यापन शुल्क समस्त भारत में सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में समान हो जाये ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) जी हां।

(ख) राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जाने वाले अध्यापन शुल्क की दरों की सूचना प्राप्त नहीं है क्योंकि वास्तव में यह सम्बन्धित राज्य सरकारों का विषय है। जहां तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सामान्य पाठ्यक्रम के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय की दरें सबसे अधिक हैं जब कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की दरें सबसे कम हैं। वे इस प्रकार हैं :-

	दिल्ली विश्वविद्यालय	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
(१) बी० ए०	१२ मास के लिये १५ रुपये प्रति मास	१० मास के लिये ११ रुपये प्रति मास
(२) एम० ए०	१२ मास के लिये १८ रुपये प्रति मास	१० मास के लिये १४ रुपये प्रति मास

(ग) जी नहीं।

श्री धुसिया : गरीब लोगों का खयाल रखते हुये जो कि इतनी ज्यादा फीस नहीं दे सकते हैं और साथ ही उनको इस बात की सहूलियत देने के लिये कि वे उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्या केंद्रीय सरकार दिल्ली यूनिवर्स्टी को फीस कम करने के बारे में कहने के लिये सोच रही है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस समय सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव फीस के प्रश्न की जांच के लिये अथवा फीस को कम करने के लिये नहीं है।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि एक ही राज्य में विभिन्न कालिजों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों की फीस में विभिन्नता है ? यदि ऐसा है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि स्तर के समन्वय की जिम्मेदारी केंद्र ने अपने ऊपर ले ली है, तथा यह देखने के लिये कि इस मामले में कोई अहितकर प्रतिद्वन्द्विता नहीं है, क्या केंद्रीय सरकार अध्यापन शुल्कों में समानता लाने के मामले पर भी कुछ कार्यवाही करेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता हूं, कि केंद्रीय सरकार का शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस प्रश्न पर विचार करने का कोई प्राधिकार है। जब इस सभा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की चर्चा हुई थी, माननीय सदस्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता रखने को उत्सुक थे। परन्तु अब वह केंद्रीय सरकार से कुछ कराना चाहते हैं। चुपड़ी और दो दो।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सम्भव है कि राज्य सरकारों के पास जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो ट्यूशन फीस चार्ज की जा रही है उसके सम्बन्ध में इत्तिला माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी महोदय इकट्ठी करके सदन-पटल पर रख देंगे ?

†**डा० एम० एम० दास** : यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम राज्य विश्वविद्यालयों से सूचना एकत्रित करने तथा सभा-पटल पर रखने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री एम० एल द्विवेदी** : जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

श्री धुसिया : क्योंकि दिल्ली युनिवर्स्टी सैंटर से मदद पाती है, ऐसी हालत में क्या गवर्नमेंट यूनिवर्स्टी को एड्वाइस करेगी कि वह फीसें कम कर दे ताकि गरीब आदमियों को कुछ आसानी हो जाये ?

†**डा० एम० एम० दास** : जहां तक केंद्रीय सरकार का सम्बन्ध है इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय से फीस कम करने के लिये कहने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री धुसिया : यह कहने का प्रश्न नहीं है । यह सलाह है । सभासचिव ने बताया कि सरकार विश्वविद्यालय को अनुदेश देने नहीं जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि परामर्श के रूप में, क्या सरकार, उन्हें फीस कम करने की सलाह देगी जिससे निर्धनों को कुछ लाभ हो ?

†**डा० एम० एम० दास** : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव तथा परामर्श को सरकार ध्यान में रखेगी ।

जनता कालिज

†*११७१. **श्री मादिया गौड़ा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कालिजों की समस्या पर विचार के लिये, एक गोष्ठी का संगठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी ने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं; और

(ग) इनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ग) यह सरकार के विचाराधीन हैं ।

†**श्री मादिया गौड़ा** : क्या इन जनता कालेजों का सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ भी होगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : माननीय सदस्य स्वयं प्रौढ़ शिक्षा की मैसूर राज्य परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने उक्त गोष्ठी में सक्रिय भाग लिया था इसलिये वह मेरे से अच्छी तरह जानते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : हम भी यह जानकारी चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभासचिव निश्चय ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे । माननीय सदस्य प्रश्न को केवल अपनी जानकारी के लिये नहीं अपितु समस्त सभा की जानकारी के लिये पूछ रहे हैं । यदि प्रश्न का उत्तर 'हां' में है तो सभासचिव ऐसा कह दें । यदि उत्तर है 'नहीं' तो वह वैसा कह सकते हैं । इसलिये इस पक्ष के किसी भी मंत्री अथवा सभासचिव को कभी यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक बात माननीय सदस्य जानते हैं । यदि वे कुछ बात नहीं कहना चाहते हैं तो वे न कहें और यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो वह कहें ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)**: माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर यह है कि जिन ग्रामीण संस्थाओं की स्थापना की जायेगी उनका सभी प्रकार विस्तार सेवाओं तथा विस्तार कार्यों में जनता कालेजों के साथ घनिष्ट संपर्क रहेगा ।

†**श्री मादिया गौडा** : प्रत्येक जिले में एक जनता कालेज खोलने के सम्बन्ध में श्रीमाली समिति की सिफारिशें किस सीमा तक क्रियान्वित की गईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : माननीय सदस्य ने जिस समिति का जिक्र किया है सरकार उसकी सिफारिशें क्रियान्वित कर रही है। राष्ट्रीय परिषद् की बैठक कल और परसों हुई और वे कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने के विषय में कुछ अस्थायी निष्कर्षों पर पहुंची हैं। सारे प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने में अभी कुछ समय लगेगा।

†**श्री बासप्पा** : ग्रामीण उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम रखने का विचार है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : पाठ्यक्रम प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या जनता कालेज ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोले जायेंगे ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : हम ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों में कोई विभेद नहीं करत हैं ग्रामीण क्षेत्रों को अवश्य पूर्ववर्तिता मिलेगी।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जनता कालेज हैं और क्या टिहरी गढ़वाल में भी कोई जनता कालेज खोला जायेगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : यह बहुत व्यापक प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : विस्तृत विवरण निजी रूप से पूछे जा सकते हैं।

पाकिस्तान की मुद्रा को बदलने की सुविधायें

†*११७३. **डा० सत्यवादी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में मुद्रा के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुये, भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रजनों को दोनों देशों के बैंकों में अपने चैकों को भुनाने की कोई सुविधायें दी गई हैं; और

(ख) क्या परिवर्तित परिस्थितियों में पाकिस्तानी नोटों को, भारतीय नोटों में बदलने, अथवा भारतीय नोटों को पाकिस्तानी नोटों में बदलने के लिये, भारतीय बैंकों में कुछ सुविधायें उपलब्ध हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** :(क) विदेशियों के उन लेखाओं में जो कि २७ फरवरी, १९५१ (जिस तिथि को उन दोनों देशों के बीच विनिमय नियंत्रण जारी हुआ) को विद्यमान थे अथवा जो तत्पश्चात् भारत के रक्षित बैंक और पाकिस्तान के राज्य बैंक की विशेष अनुज्ञा से खोले गये, स्थानीय वितरण के लिये चैक भुनाने की सुविधायें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् कोई अतिरिक्त सुविधायें नहीं दी गई हैं।

(ख) विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में प्राधिकृत बैंकों और रुपया बदलने वालों को सौदे के आधार पर निश्चित किये गये दरों पर अवमूल्यन के बहुत पहिले से पाकिस्तानी रुपया खरीदने व बेचने की अनुमति प्राप्त है। भारत के बैंक सामान्यतः इन नोटों को नहीं खरीदते क्योंकि उनकी कोई मांग नहीं है। प्राधिकृत रुपया बदलने वाले लोग सीमा के रेलवे स्टेशनों पर इन नोटों को खरीदते व बेचते हैं।

डा० सत्यवादी : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी और हिन्दुस्तानी नोटों का तबादला बोर्डर (सीमा) पर जिस शरह (दर) से हो रहा है, वह उस शरह से जो कि सरकार की मंजूरशुदा शरह है, भिन्न है ?

श्री बी० आर० भगत : जैसे मैंने कहा वह तो कमर्शल (वाणिज्यिक) ढंग से होता है और जो रेट है वह हर रोज ऊंचे नीचे जाता रहता है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार को भारतीय बाजार में पाकिस्तानी रुपये का गैर-सरकारी विनिमय दर ज्ञात है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० आर० भगत** : सरकार को ही नहीं बल्कि प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति को ज्ञात है समाचार पत्रों में दर का उल्लेख होता है और सम्बद्ध व्यक्ति दर जानते हैं। दर समय-समय पर बदलती रहती है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : वर्तमान दर क्या है?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैं नहीं जानता कि आज कल दर क्या है। यह समय-समय पर बदलती रहती है। पाकिस्तानी रुपये की जो दर उत्कथित की जाती है वह सरकारी दर से बहुत कम है।

इंजीनियरों का पंजीयन

†*११७४. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार इंजीनियरों के अनिवार्य पंजीयन पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह व्यवस्था इंस्टीटयूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया) का संविहित संस्था के रूप में निगमन करके विधान द्वारा की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) सरकार ने कुछ समय पूर्व यह प्रस्ताव रखा था कि इंजीनियरों के अनिवार्य पंजीयन के लिये विधान बनाया जाय। इस प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किया गया और शीघ्र ही अन्तिम निश्चय किया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कामत** : प्रधान मंत्री द्वारा समय-समय पर दिये गये इन आश्वासनों को ध्यान में रखते हुये कि पंचवर्षीय योजना के कारण हमारे देश में कोई भी इंजीनियर बेकार नहीं रहेगा, क्या सरकार ने यह जानने का सच्चा प्रयत्न किया है कि हमारे देश में अभी कितने हजार इंजीनियर बेकार पड़े हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। यह प्रश्न पंजीयन और निगमन के सम्बन्ध में है। यह इस प्रकार का है जैसा कि वकीलों को वकालत करने के लिये अनुज्ञा अथवा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है।

†**श्री कामत** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या प्रस्तावित संस्था प्रधिकृत लेखापाल संस्था (इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस)की तरह होगी और क्या इस मामले में विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श किया गया ?

†**डा० एम० एम० दास** : कोई संस्था खोलने का विचार नहीं किया गया है। इंजीनियरों की संस्था बहुत पुरानी संस्था है जिसे अंग्रेजों के समय में राजकीय अधिकार (रायल चार्टर) मिला था।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या इस पंजीयन का उद्देश्य देश के अनुभवी इंजीनियरों की अनिवार्य भर्ती करना तो नहीं है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं यह कह चुका हूं कि प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया और सरकार इस अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनिवार्य पंजीयन आवश्यक नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सभासचिव महोदय सभा-पटल पर एक बयान रखेंगे, जिन में कि उन तमाम इंजीनियरों की सूची हो, जो कि विभिन्न विद्यालयों से डिग्री ले चुके हैं और जो बेकार हैं अथवा काम में लगे हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : मैं नहीं जानता कि देश के इंजीनियरों की गणना करना कहां तक संभव हो सकेगा।

†**श्री कामत** : यह बात योजना मंत्रालय से सम्बन्ध रखती है।

†**श्री० वी० पी० नायर** : सभासचिव की इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार अनिवार्य पंजीयन आवश्यक नहीं समझती है, क्या सरकार इंजीनियरों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने पर विचार करेगी जिस से कि सरकार विभिन्न योजनाओं के लिये, अर्हताओं के अनुसार इंजीनियरों को आसानी से भेज सकें ?

†**डा० एम० एम० दास** : सरकार माननीय सदस्य के सुझावों का ध्यान रखेगी।

रूप कुंड से मिली वस्तुएं

†*११७५. **श्री तिम्मय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूपकुंड के नर कंकालों के सम्बन्ध में नरतत्व वेत्ता के द्वारा क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (१) ये नर कंकाल तीर्थ यात्रियों के उस बड़े दल के थे जो कि त्रिशूली में अपनी तीर्थयात्रा के दौरान में भारी वर्षा अथवा बर्फ के खिसक जाने की दैवी आपत्ति के कारण नष्ट हो गये थे।

(२) मृत व्यक्ति गढ़वाल के रहने वाले नहीं थे और वे लोग भारत के मैदानी भाग स आये थे।

(३) यह दुखान्त घटना कई सदियों पूर्व हुई थी।

†**श्री तिम्मय्या** : निदेशक द्वारा निकाले गये परिणामों का क्या आधार था ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिये स्थानीय क्षेत्रों में जांच की गई। कुछ नर कंकालों की वहां से लाकर प्रयोगशाला में परीक्षा की गई।

†**श्री तिम्मय्या** : वह पहिला व्यक्ति कौन था जो इस स्थान पर गया और जिसने इन नर कंकालों का पता लगाया ?

†**डा० एम० एम० दास** : ऐसा ज्ञात होता है कि १९२५ के आसपास रूपकुंड के नर कंकालों के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के एक वन पदाधिकारी के द्वारा जो कि नन्दा गार जलूस के साथ त्रिशूली पर्वत की तलहटी तक गये थे, देखे गये।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह सच है कि निदेशक ने पहिले उस स्थान में जाने का प्रयत्न किया तत्पश्चात् वे वस्तुतः वहां नहीं गये। यदि हां, तो उनके उस स्थान पर न जाने का क्या कारण था ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि नरतत्व विज्ञान के निदेशक उपयुक्त मौसम आने पर रूपकुंड में दूसरा दल भेजना चाहते हैं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि पिछले अभियान में उन्होंने इस स्थान की यात्रा की या नहीं, मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि जो अवशेष रूपकुंड से मिले हैं उनकी जांच पड़ताल लखनऊ यूनीवर्सिटी के एंथ्रापालाजी विभाग ने भी की है और जो सम्मति उस विभाग ने दी है वह उस सम्मति से भिन्न है जो कि भारत सरकार के एंथ्रापालाजिस्ट ने दी है ? क्या इसकी जांच की गयी है और क्या इसके बारे में कोई परामर्श किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : हमें यह ज्ञात हुआ है कि कुछ नर कंकालों को लखनऊ नरतत्वीय प्रयोगशाला में ले जाया गया और वहां उनका परीक्षण किया गया किन्तु उनका क्या मत है यह मैं इस समय नहीं बता सकता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि एंथ्रापालाजीकल सर्वे का एक दल गर्मियों में भारत सरकार की ओर से रूपकुंड भेजा जायेगा । क्या भारत सरकार को मालूम है कि इसी प्रकार का एक दल लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से भी भेजा जाने वाला है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि इन दोनों का एक संयुक्त दल भेजा जाये ताकि इसके बारे में एक अन्तिम निष्कर्ष निकाला जा सके ?

†**डा० एम० एम० दास** : सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ।

प्रतिरक्षा सामग्री के कारखाने

†*११८०. **श्री के० के० बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे प्रतिरक्षा भंडारों और विशेषतः प्रतिरक्षा सामग्री के कारखानों की योजना बनाते समय ऐसे निर्णयों का ख्याल रखा जाता है जैसा कि हाल ही में दक्षिण-पूर्वी एशियाई रक्षा संगठन की कराची बैठक में सदस्य देशों के सैनिक बलों को चलिष्णु व प्रभावशाली स्तर पर रखने के सम्बन्ध में किया गया था;

(ख) क्या हाल ही में कासीपुर कारखाने में उत्पादन में कमी हुई है, और कुछ मशीनों का काम पूरे या आंशिक रूप से रोक दिया गया है; और

(ग) क्या इसलिये कुछ कर्मचारियों की छंटनी की गई थी ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) भारत सरकार की प्रतिरक्षा नीति सभी संगत अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और बातों को ध्यान में रख कर निश्चित की जाती है । जहां तक प्रतिरक्षा सामग्री के कारखानों में प्रतिरक्षा सामग्री के उत्पादन का सम्बन्ध है, भारत सरकार की यह निश्चित नीति रही है कि हमारे सशस्त्र बलों द्वारा अपेक्षित प्रतिरक्षा सामग्री का अपने देश में ही अधिकतम उत्पादन किया जाय ।

(ख) और (ग). हाल के महीनों में युद्ध सामग्री के कारखानों में प्रतिरक्षा सामग्री के आदेश न आने के कारण गन एण्ड शैल फैक्टरी, कासीपुर, में लगभग ५०० व्यक्ति, जिनमें से अधिकांश यांत्रिक अथवा अदक्ष मजदूर थे, बेकार हो गये हैं । इनमें से अभी किसी श्रमिक की छंटनी नहीं की गई है, किन्तु सरकार इनको तथा युद्ध सामग्री के यन्त्र कारखानों के अतिरिक्त श्रमिकों को अनिश्चित काल तक रखने अथवा छंटनी करने के प्रश्न पर सक्रिय विचार कर रही है ।

†**श्री के० के० बसु** : पाकिस्तान तथा अन्य देशों के बीच हाल में हुये शस्त्र समझौतों को ध्यान में रखते हुये और यह बात ध्यान में रखते हुये कि उस देश की शस्त्र शक्ति बहुत बढ़ गई है, क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हमारे युद्ध सामग्री के कारखानों में अधिकतम उत्पादन हो और इन कारखानों में कोई छंटनी न हो ?

†**श्री त्यागी** : इस बात पर हमेशा ध्यान रखा जाता है । प्रत्येक प्रकार के शस्त्र की आवश्यकता का निर्धारण करके कारखाने की योजना पर विचार किया जाता है और तब भविष्य की योजना स्वीकृत की जाती है । इसी प्रकार की योजना से सम्बन्धित ऐसे श्रमिक जो कि एक ही प्रयोजन के लिये काम में आने वाली मशीनों—वे मशीनें इस प्रकार के शस्त्र बनाती हैं जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है—पर काम करते हैं, बेकार समझे गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० के० बसु** : क्या ऐसी मशीनों को बेकार घोषित कर दिया जायगा अथवा उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्हें किसी अन्य ढंग का बना देने का विचार है ? यदि दूसरी बात ठीक हो तो क्या सरकार उन पुराने आदमियों को रखे रहने का विचार रखती है जिन्होंने उन मशीनों को चलाने में कुशलता प्राप्त कर ली है ?

†**श्री त्यागी** : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, प्रत्येक हथियार के भंडार की जांच यह निर्णय करने के लिये की जाती है कि हमारे पास किसी चीज की कमी तो नहीं है । उसको ध्यान में रखते हुये हम उन हथियारों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं जिनकी हमारे पास कमी है । हम उन्हें या तो यहीं बना लेते हैं या बाहर से मंगा लेते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक कि खमरिया की फैक्टरी का सम्बन्ध है क्या इस समय वहां पर कोई मशीनें ऐसी हैं कि जिनका उपयोग नहीं हो रहा है और क्या वहां का भी कोई स्टाफ घटाने का प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

श्री त्यागी : खमरिया की फैक्टरी की एक-एक मशीन की बाबत तो खुलासा इस वक्त मेरे पास नहीं है । लेकिन मेरा ख्याल है कि खमरिया की फैक्टरी में काम बहुत काफी है और अगर वहां कोई फालतू वर्कर हुये तो उनकी तादाद बहुत कम होगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि गत वर्ष प्रतिरक्षा साज-सामग्री के क्रय के लिये निर्धारित लगभग १८ करोड़ रुपये व्ययगत हो गये थे, क्या सरकार का विचार बीच के और बड़े आकार के हथियारों के उत्पादन के लिये इन कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है ?

†**श्री त्यागी** : इन कारखानों में जो कुछ भी बनाना सम्भव है वह बनाया जा रहा है अथवा उसका विकास हो रहा है । उन सब बातों का बल्देवसिंह समिति ने ध्यान रखा था जिसने इन कारखानों के कार्य-करण की जांच की थी और उसके सम्बन्ध में सिफारिशें की थी । हमारी भावी योजना उन्हीं सिफारिशों के अनुसार बनाई गई है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या सरकार ने इस बात का अच्छी तरह से पता लगा लिया है कि युद्ध सामग्री कारखाने के कुछ कर्मचारियों को फालतू घोषित करने के पूर्व न केवल हथियारों का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संस्थापित क्षमता का वरन् असैनिक सामान तैयार करने वाले संयंत्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लिया गया था ?

†**श्री त्यागी** : मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार का मन्तव्य यह नहीं है कि इन कारखानों में संस्थापित अधिकांश मशीनों को असैनिक कार्य में लगा दिया जाय । हम असैनिक मदों पर उन मशीनों पर मजदूर लगा रहे हैं जो अभी बेकार हैं परन्तु जिनकी हमें भविष्य में जरूरत पड़ सकती है । इसको ध्यान में रखते हुये युद्ध सामग्री कारखाने के लगभग ८००० मजदूर जो फालतू हैं, असैनिक व्यापार की वस्तुओं के उत्पादन में लगा दिये गये हैं और इन मजदूरों को फिर से किन्हीं अन्य युद्ध सामग्री मदों में भी लगाया जा सकेगा जब कभी भी उसकी आवश्यकता हो ।

†**श्री के० के० बसु** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इंग्लैंड और पाकिस्तान दक्षिण पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संगठन के सदस्य हैं, क्या सरकार इंग्लैंड से हथियार आयात करने के बदले में हमारे प्रतिरक्षा उद्योगों का विकास करने का अथवा ऐसे देशों से विशेषज्ञ तथा अन्य चीजें प्राप्त करने का विचार रखती है जो दक्षिण पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संगठन में न आते हों ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : मैं नहीं जानता कि प्रश्न का वास्तव में अर्थ क्या है ? मैं अनेक बार कह चुका हूं कि हम हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक बाहर से हथियारों की खरीद का सम्बन्ध है, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा था, कहीं भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है । हम किसी भी देश से हथियार खरीद सकते हैं जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो ।

संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता

†*११८१. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता कार्य क्रम के अन्तर्गत भारत को १९५५-५६ में कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ख) वह सहायता किस रूप में प्राप्त हुई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये सहायता की प्राधिकृत धनराशि १,८०९,०९४ डालर थी ।

(ख) (१) १२१ विशेषज्ञों की सेवाओं, (२) इन विशेषज्ञों की सेवाओं की सहायक सज्जा सामग्री और (३) ८३ व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में ।

†**श्री इब्राहीम** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त भारतीयों की संख्या क्या है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : अभी तक प्रशिक्षण के लिये भेजे गये भारतीयों की संख्या ३४७ है ।

†**श्री के० जी० देशमुख** : इन विशेषज्ञों में से कितनों से अभी काम लिया गया है और वे विशेषज्ञ किन देशों के हैं ?

†**श्री बी० आर० भगत** : इन विशेषज्ञों की संख्या १११ है । जहां तक देशों का सम्बन्ध है, वे मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और राष्ट्रमंडलीय देशों के हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : इस योजना के अन्तर्गत १०० से अधिक विशेषज्ञ यहां आये हैं । उनके पथ-प्रदर्शन के अन्तर्गत कितने भारतीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ।

†**श्री बी० आर० भगत** : यह प्रशिक्षण कार्य क्रम विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है । जब तक मुझे प्रश्न के लिये पूर्व सूचना न मिले, मैं यह जानकारी नहीं दे सकता ।

†**श्री के० के० बसु** : क्या इन कर्मचारियों के प्रवरण में, जो बाहर के देशों से भेजे गये हैं, हमारी सरकार का भी कुछ हाथ रहता है और क्या उनकी नियुक्ति के साथ साथ हमारे भारतीयों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : हमसे परामर्श किया जाता है और हमारा भी हाथ रहता है ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमारी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रविधिक अथवा वित्तीय विशेषज्ञ आ चुके हैं या उनके आने की आशा है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी विशेषज्ञ के आने के सम्बन्ध में नहीं जानता हूं । मैं नहीं कह सकता कि क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के दल से है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी सहायता अथवा प्रविधिक स्तर पर सहायता की संभावनाओं का सामान्य सर्वेक्षण करने के लिये आ रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोध गया का महाबोधि मंदिर

†*११८२. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार बिहार सरकार को २५००वीं बुद्ध जयन्ती समारोहों के लिये बोध गया के महाबोधि मंदिर के नवीकरण के लिये ऋण मंजूर करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण दिया जायगा; और

(ग) क्या पुरातत्व विभाग उस मंदिर के समीप एक संग्रहालय निर्मित कर रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) ऋण मंजूर कर दिया गया है ।

(ख) ३ लाख रुपये ।

(ग) हां, श्रीमान् । संग्रहालय मंदिर के प्रांगण में निर्मित किया जा रहा है ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : इस संग्रहालय में कितनी लागत लगेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : आशा है कि जो मंदिर अभी बनाया जा रहा है उसमें ९०,००० रुपये के लगभग लागत लगेगी ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या इस ऋण पर कोई ब्याज भी है अथवा वह बिना ऋण के ही राज्य सरकार को दिया जा रहा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह ऋण ३० वर्षों में किश्तों में चुकाया जायेगा और उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ।

†**श्री विश्व नाथ राय** : क्या विभिन्न राज्यों में अन्य प्रमुख बौद्ध मंदिरों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण के लिये ऋण देने के प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : जहां तक इस महाबोधि मंदिर का सम्बन्ध है, यह तो एक विशेष मामला है क्योंकि एक मंदिर परामर्शदात्री समिति है जिसमें लंका, बर्मा, थाईलैंड, जापान, चीन आदि जैसे अन्य बौद्ध मतावलम्बी देशों के सदस्य भी हैं । ये मरम्मतें कराना मूलतः इस मंदिर समिति का कर्त्तव्य है; परन्तु यह उचित समझा गया कि यदि समिति सरकार से अनुरोध करे तो सरकार उसे कुछ आर्थिक सहायता दे सकेगी । बिहार सरकार ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया और केंद्रीय सरकार ने ३ लाख रुपये का ऋण देने का निश्चय किया ।

डा० एस० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि महाबोधि मन्दिर के अहाते में ही जो महाबोधि वृक्ष है और उसका जो चबूतरा खराब होता जाता है और वृक्ष सूखता जाता है, तो उसके लिये भी क्या कोई रकम उस मंदिर को दी गई है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरे पास यहां जानकारी नहीं है; परन्तु मैं समझता हूं कि वह इसमें सम्मिलित है ।

दिल्ली में नागा प्रतिनिधि

†*११८६. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ नागा प्रतिनिधि भारत सरकार से संपर्क स्थापित करने के लिये ८ फरवरी, १९५६ को दिल्ली आये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके आने का उद्देश्य क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). १८ मार्च को आसाम के नागा पहाड़ी जिले से ३ नागा दिल्ली आये। उन्होंने कहा कि वे किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते और वैयक्तिक रूप में नागा राष्ट्रीय परिषद् की ओर से भारत सरकार से बात करने आये हैं। वे गृह मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों से मिले। उनसे कहा गया कि फीजो अथवा नागा राष्ट्रीय परिषद् से, जैसी कि वह इस समय बनी हुई है, कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि वे दोनों ही नागा पहाड़ियों में हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिये जिम्मेदार हैं। इन सब के अतिरिक्त यह आवश्यक था कि नागा पहाड़ी में हिंसात्मक कार्यवाहियों को दबाया जाय और शांति स्थापित की जाय और यह आशा की जाती थी कि सब अच्छे आदमी सरकार को उसके इस कार्य में सहयोग देंगे ताकि सब नागाओं के जीवन को समृद्ध बनाने में लग जायें। इसलिये जब तक नागा प्रतिनिधि हिंसा की निन्दा न करें और नागा पहाड़ियों और उसके आसपास में नागाओं की स्वतन्त्रता की झूठी और भ्रामक मांग को छोड़ न दें, सरकारी पदाधिकारियों और पथभ्रष्ट नागाओं के बीच बात चीत से कोई लाभ नहीं होगा।

†**श्री पुन्नुस** : क्या यह सच है कि फीजो ने प्रधान मंत्री से भेंट करने का प्रयत्न किया था और आसाम सरकार ने ऐसी भेंट के विरुद्ध परामर्श दिया और इसलिये भेंट का विचार छोड़ दिया गया ?

†**श्री दातार** : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है उनसे स्पष्ट कह दिया गया था कि प्रधान मंत्री उनसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि उन लाइनों पर नहीं चलेंगे जिनका संकेत मेरे उत्तर में किया गया है।

पाकिस्तानी सेना के पदाधिकारियों के लिये दृष्टांक

†*११८८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में पाकिस्तान के कितने सैन्य-पदाधिकारियों को दृष्टांक दिये गये; और

(ख) उनमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने भारत में अपने ठहरने की अवधि बढ़ाई ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) समस्त श्रेणियों के प्रतिरक्षा कर्मचारियों को १५५४ दृष्टांक जारी किये गये।

(ख) राज्य सरकारों को दृष्टांक की अवधि बढ़ाने का अधिकार है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई समयावधि बढ़ाने की मंजूरियों के सम्बन्ध में जानकारी हाल में उपलब्ध नहीं है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : उनके भारत आने का प्रयोजन क्या था ?

†**श्री त्यागी** : प्रयोजन सामान्यतः अपने परिवारों से मिलना था और कुछ आदमियों को कोई अन्य ऐसा कार्य था जो आपत्तिजनक नहीं था।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन में वे ठहरे थे ?

†**श्री त्यागी** : मुझे दुख है कि मेरे पास यह जानकारी नहीं है; वह हाल में उपलब्ध नहीं है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : उन्होंने भारत में ठहरने की अवधि क्यों बढ़ाई ?

†**श्री त्यागी** : यह विषय राज्य सरकारों के हाथ में है। जब दृष्टांक जारी किये जाते हैं तो सम्बन्धित राज्यों को जाते हैं और उनकी प्रार्थनाओं की जांच राज्य सरकारें करती हैं। वे उस प्रश्न का निर्णय आवश्यकतानुसार करती हैं और दृष्टांक की अवधि बढ़ाने की मंजूरी देती हैं।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या उनमें से कुछ पदाधिकारियों ने जिनको दृष्टांक दिये गये थे, अपने आवास काल में सीमान्त क्षेत्रों अथवा जिलों का भ्रमण किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई उदाहरण दें तो मैं उनकी जांच करूंगा।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : परन्तु मैं तो माननीय मंत्री से जानकारी चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री के पास कोई जानकारी नहीं है तो वह नहीं बता सकते। श्री शिवमूर्ति स्वामी।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : संख्या ११५२।

†**एक माननीय सदस्य** : माननीय मंत्री जी कहां है? वे वहां बात चीत कर रहे हैं।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : मुझे बहुत दु:ख है। मुझे बहुत दु:ख है, मैं वाणिज्य मंत्री से बात कर रहा था। मैं लोक-सभा से क्षमा मांगता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु सभा के कार्य का हर्जा नहीं होना चाहिये।

केंद्रीय खाद्य प्रोद्यौगिक गवेषणा संस्था, मैसूर

†*११५२. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर की केंद्रीय खाद्य प्रोद्योगिक गवेषणा संस्था एक विस्तार सेवा इकाई स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है और इसे कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस परियोजना का प्राक्कलित व्यय क्या है?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) उद्देश्य ये हैं :

(१) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था में की गई गवेषणा के परिणामों को जन साधारण तक पहुंचाना।

(२) लोगों को अपने आहार पोषक स्तरों को ऊंचा उठाने और क्षेप्य पदार्थों को प्रयोग में लाने में सहायता देने के लिये व्यावहारिक शिक्षा देना।

(३) गवेषणा संस्था तथा उद्योग की कार्यवाहियों को सहयोजित करना।

आशा है चालू वर्ष के दौरान में विस्तार सेवा कार्यक्रम क्रियान्वित हो जायेगा।

(ग) १९५६–६१, इन पांच वर्षों की अवधि में लगभग ४,००,००० रुपये खर्च होंगे।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : यह विस्तार कार्यक्रम पूरा कब होगा?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह कार्य क्रम योजना की अवधि के लिये प्रारम्भ किया जा रहा है और जैसा कि मैं ने कहा है इस पर पांच वर्षों में ४,००,००० रुपये खर्च होंगे। संभवत: यह कार्य क्रम अभी आरम्भ किया जायेगा।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या किसी अन्य राज्य में भी संस्था स्थापित की जायेगी?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इस कार्य क्रम में पांच प्रादेशिक केंद्रों का प्रस्ताव दिया गया है। मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि इन केंद्रों के स्थानों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा चुका है या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटना में रिजर्व बैंक की शाखा

†*११६०. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्व बैंक पटना में अपनी शाखा कब तक खोलेगा ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : उचित सोच विचार के पश्चात् भारत के रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुये पटना में बैंक की शाखा खोलना उनके लिये आवश्यक नहीं है। भविष्य में, राज्य में होने वाले परिवर्तनों के अधीन वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुये स्थिति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जायगा।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या यह सच नहीं है कि जब वर्तमान वित्त मंत्री रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उस समय वहां पर शाखा खोलने के सम्बन्ध में जो परिस्थितियां थीं वे अब भी वही हैं और राज्य सरकार शाखा खोलने के लिये जोर डाल रही है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** राज्य सरकार इस बात की मांग कर रही होगी परन्तु राज्य बैंक की स्थापना से स्थिति में मूल रूप से परिवर्तन हो चुका है। रिजर्व बैंक की शाखा को मूलतः जो कार्य करने होते थे राज्य बैंक वही कार्य करेगा। राज्य बैंक की शाखाओं के विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम के कारण रिजर्व बैंक ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन किया है और वह केवल तीन विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये अपनी शाखायें खोलेगा--निर्गम विभाग, महाजनी कार्यवाहियों का विभाग और कृषि उधार विभाग। इस प्रकार अभी पटना में शाखा खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** रिजर्व बैंक की शाखा खोलने के लिये जो भूमि खरीदी गई थी क्या सरकार का उसे अपने अधिकार में ही रखने का विचार है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** उसे सरकार अपने अधिकार में ही रखेगी क्योंकि हमें रिजर्व बैंक के एक विभाग—नोट प्रतिसंहरण कार्यालय के लिये उसकी आवश्यकता होगी।

लक्कदीव द्वीप समूह

†*११७९. **डा० रामा राव (श्री टी० बी० विट्ठल राव की ओर से) :** क्या गृह-कार्य मंत्री २८ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य भूमि और लक्कदीव टापुओं के बीच सीधी स्टीमर सेवा चलाने में विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ख) सेवा कब तक प्रारम्भ की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) मद्रास सरकार ने इस सेवा को चलाने के लिये टण्डर आमंत्रित किये थे। उन के अनुसार इसे शीघ्रातिशीघ्र सितम्बर १९५६ में प्रारम्भ किया जा सकता है। क्योंकि इन टापुओं के, राज्य पुनर्गठन योजना के अधीन, अक्तूबर में केंद्र द्वारा अपने अधिकार में ले लिये जाने की संभावना है, इसलिये मद्रास सरकार ने सुझाव दिया है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से नौवहन समवायों में से किसी एक के साथ प्रबंधों को अन्तिम रूप से तय करले। तदनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अब कार्यवाही करना शुरू किया गया है।

(ख) सेवा कब प्रारम्भ होगी इस समय इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

†**डा० रामा राव :** क्या केंद्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** मुख्य भूमि और इन टापुओं के बीच नियमित सेवा के संचालन के लिये हमने इस प्रश्न पर नौवहन समवायों से बातचीत की है।

†**डा० रामा राव :** इस मामले पर कितने समय से विचार किया जा रहा है ?

†**श्री दातार :** मेरे विचार में कुछ महीनों से यह मामला विचाराधीन है।

†**श्री पुन्नूस :** लोक-सभा में एक बार कहा गया था कि जो मछए इस ओर तूफान में फंस गये हैं उन्हें परिवहन सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार कुछ प्रबन्ध कर रही है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन प्रबन्धों का क्या हुआ है ?

†**श्री दातार :** जहां तक इन मछुओं का सम्बन्ध है जब समुद्र में तूफान न हो कुछ देशीय नौकायें अब भी प्रयोग में लाई जाती हैं।

†**श्री के० के० बसु :** इस बात को देखते हुये कि ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन मुख्यतः सरकार के अधिकार में है, इन टापुओं तक सीधे स्टीमर चलाने के सम्बन्ध में निर्णय करने में क्या सरकार को बहुत समय लगेगा ?

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य को याद रखना चाहिये कि हमें केवल राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों के कारण ही अब ऐसा करना होगा। पहले मद्रास राज्य सरकार को कार्यवाहियां करनी थीं।

प्रश्नों के लिखत उत्तर

प्रतिरक्षा सामग्री का क्रय

†*११५१. **श्री इब्राहीम :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों को (जिनमें प्रतिरक्षा सचिवालय के पदाधिकारी भी हैं) १ अप्रैल, १९५४ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक के समय में प्रतिरक्षा सामग्री के क्रय के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये कितनी बार विदेश भेजा गया ;

(ख) इन में से प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल किन किन तिथियों को विदेश गया; और

(ग) इन पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक ऐसी यात्रा के दौरान में विदेशों में क्या कार्य किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू) :** (क) से (ग). अगस्त १९५५ में पदाधिकारियों का एक दल कुछ ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में विदेश भेजा गया था जो प्रतिरक्षा उपकरण के क्रय तथा निर्माण के लिये सरकार के विचाराधीन थे। यह बताना लोक हित में नहीं होगा कि उन्होंने वहां क्या और कितना काम किया।

परीक्षा गवेषणा विभाग (ब्यूरो आफ एग्जामिनेशन रिसर्च)

†*११५३. **श्री वोडयार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक परीक्षा गवेषणा विभाग (ब्यूरो आफ एग्जामिनेशन रिसर्च) स्थापित करने का विचार है; और

(ख) इस विभाग के कृत्य क्या होंगे ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक सहायक सेना

***११५७. श्री बादशाह गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सहायक सेना में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जवानों ने किस प्रकार का काम किया है; और

(ख) उनके प्रशिक्षण में अब तक कुल कितना खर्च हुआ है।

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) लोक सहायक सेना में प्रशिक्षण प्राप्त नौजवानों से काम लेने का कार्य केवल राज्य सरकारों के तत्वावधान में संगठित किया जा सकता है। इस विषय पर उन्हें पहिले ही लिखा जा चुका है; किन्तु अभी तक यह ज्ञात नहीं कि किसी राज्य सरकार ने इस प्रकार का कार्य आरम्भ किया है या नहीं।

(ख) प्रायः ७० लाख रुपये।

राष्ट्रीय अकादमियां

†***११५८. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तीन राष्ट्रीय अकादमियों, अर्थात् ललितकला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी को १९५४-५५ और १९५५-५६ के वर्षों के लिये जो अनुदान स्वीकृत किये गये थे उन्हें पूर्णतः खर्च नहीं किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** १९५४-५५ में केवल साहित्य अकादमी ही अपने अनुदान को पूर्णतः खर्च नहीं कर सकी थी। इसका कारण यह था कि कार्यालय के आवास की कमी के कारण अपनी कार्यवाहियों को निर्बन्धित करना पड़ा था। १९५५-५६ के लिये व्यय सम्बन्धी ठीक आंकड़े प्राप्य नहीं हैं परन्तु आशा है कि जिन रकमों की मंजूरी दी गई है, तीनों राष्ट्रीय अकादमियों द्वारा वे पूरी खर्च हो जायेंगी ।

श्रमजीवी स्त्रियों के लिये होस्टल (छात्रावास)

†***११६१. श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता करने के सम्बन्ध में जो नगरों में निम्न वेतन वर्गों की श्रमजीवी होस्टल खोलने के लिये तैयार हैं केंद्रीय समाज बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं; और

(ख) इस प्रश्न पर विचार करने के लिये क्या कोई उपसमिति स्थापित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) तथा (ख). केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने निम्न वेतन वर्गों की श्रमजीवी स्त्रियों के होस्टलों के लिये अनुदान देने के प्रश्न पर विचार करने के सम्बन्ध में एक उपसमिति नियुक्त की है। आशा है कि यह उपसमिति देश के विभिन्न भागों का पर्यटन करेगी और अप्रैल १९५६ के अन्त तक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी।

इंडियन नेशनल कांग्रेस का १९५६ का अधिवेशन

†***११६२. श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अमृतसर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के सदस्यों को स्वयंसेवकों के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये भर्ती किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सदस्य की हैसियत से स्वयंसेवक के तौर पर भर्ती नहीं किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

टकसाल

†*११६३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की टकसाल के आर्टिस्ट मिंट एनग्रेवर्स (सिक्कों में खुदाई करने वाले कलाकारों) को काफी लम्बे समय से अस्थायी रूप में रखा हुआ है; और

(ख) क्या उन्हें स्थायी बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) अलीपुर टकसाल में आर्टिस्ट मिंट एनग्रेवर्स (सिक्कों में खुदाई करने वाले कलाकारों) का कोई पद नहीं है । वहां केवल 'एनग्रेवर्स' हैं । 'एनग्रेवर्स' अब तक अस्थायी कर्मचारियों के रूप में कार्य करते रहे हैं क्योंकि कुछ अभ्यावेदनों पर, जिन में कहा गया है कि उनके साथ पूर्णतः वही व्यवहार किया जाना चाहिये जो वर्गीकृत संस्थापन के श्रेणी ३ के कर्मचारियों के साथ किया जाता है, विचार किया जाना है ।

(ख) पहले भी माननीय सदस्य को बताया जा चुका है कि हाल ही में आदेश जारी कर दिये गये हैं जिन के द्वारा मिंट मास्टर को यह अधिकार द दिया गया है कि वह कर्मचारियों को कामगरों के संस्थापन में स्थायी बना सकता है ।

गणराज्य दिवस समारोह

†*११६६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गणराज्य दिवस समारोह पर इस वर्ष किया गया खर्च गत वर्ष के खर्च की तुलना में कैसा ठहरता है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : १९५६ के गणराज्य दिवस समारोह पर किये गये खर्च का अभी तक अन्तिम हिसाब नहीं लगा है, परन्तु १९५६ में किया गया कुल खर्च १९५५ के खर्च से अधिक है जो कि ५·२ लाख रुपया था ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

†*११७०. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के शाह द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय को कोई अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) यही राशि फारसी के प्रमुख प्राचीन ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये और फारसी की दुर्लभ हस्तलिपियों का सम्पादन करने के लिये है ।

समवायों का पंजीयन

†*११७२. { **ठा० युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :

क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५५ में नये समवायों के पंजीयन के लिये राज्यवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन मत्र स्वीकार किये गये हैं और कितने अस्वीकार; और

(ग) इन आवेदन पत्रों के बारे में निर्णय करते समय प्राधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से किन-किन बातों का ध्यान रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ग) इन आवेदन पत्रों के बारे में निर्णय करते समय रजिस्ट्रार केवल इसी बात का ध्यान रखते हैं कि भेजा गया आवेदन पत्र भारतीय समवाय अधिनियम में निर्धारित की गयी विधि के अनुसार है या नहीं।

धर्म प्रचारक

†*११७६. **श्री भीखा भाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि विदेशी धर्म प्रचारकों ने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आदिम जातियों के धर्म परिवर्तन सम्बन्धी अपने कार्यों को पुनः दुगने जोर से प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). भारत सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार तो इस प्रश्न में प्रस्तुत किया गया अनुमान निराधार है। तो भी इस बारे में और अधिक पूछ ताछ की जा रही है और उसके परिणाम के बारे में यथा समय बता दिया जायेगा।

पौंड पावना

†*११७७. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पूंजी वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये अलग-अलग कितना पौंड पावना इस्तैमाल किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने पूंजी वस्तुओं की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग में अधिक रुचि दिखाई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) :** (क) अर्जित विदेशी मुद्रा के प्रयोग में से पौंड पावना के प्रयोग को पृथक रूप से बताना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार लेखाओं में पूंजी वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लेखाओं को पृथक-पृथक नहीं रखा जाता।

हां, १९५२, १९५३, १९५४ और जनवरी से अक्तूबर १९५५ में संयंत्रों, मशीनों और औद्योगिक वस्तुओं का आयात क्रमशः ४३५·१२ करोड़, ३५३·०४ करोड़, ४०५·६६ करोड़ और ३६१·६१ करोड़ रुपये का था। खाद्यान्न दालें तथा आटा सहित उपभोक्ता वस्तुयें उसी अवधि में क्रमशः ३१८·७९ करोड़, १९८·०६ करोड़, १८०·१३ करोड़ तथा १६०·१० करोड़ रुपये के मूल्य की आयात की गयीं।

(ख) जी, नहीं। हम पौंड पावना का देश के हित में जिस प्रकार चाहें उस प्रकार उपयोग कर सकते हैं।

भारत का राज्य बैंक

†*११७८. **श्री एस० एस० मोरे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य बैंक के उन पदाधिकारियों की कुल कितनी संख्या है जो कुल मासिक उपलब्धि के रूप में ३,००० रुपये तथा उससे अधिक वेतन तथा भत्ते प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) क्या उन पदाधिकारियों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी जिसमें उनके नाम, अभिधान, वेतन, भत्ते तथा उन्हें दी जाने वाली अन्य सुविधायें बताई गई हों ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५०**]

---

†मूल अंग्रेजी में

नीमच में अफीम का कारखाना

†*११८३. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री निम्न सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो;

(क) नीमच के अफीम के कारखाने में कितने अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं और वे कब से सेवायुक्त हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें उस समय काम पर लगाने की कोई योजना बनाई है जब कि १९५९ में उस कारखाने के बन्द हो जाने की आशंका है;

(ग) क्या इन अस्थायी कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुणचन्द्र गुह) :** (क) से (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५१**]

राज्य पालों का सम्मेलन

†*११८४. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में राज्यपालों के सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ख) उनके बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) देश की आर्थिक स्थिति, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा विधि और व्यवस्था की स्थिति पर एक सामान्य सी चर्चा की गयी थी । राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर भी विचार किया गया था ।

(ख) चर्चा एक सामान्य प्रकार की थी और कोई निर्णय नहीं किये गये थे ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†*११८५. **श्री भीखा भाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पिछड़े हुये क्षेत्रों और पिछड़ी हुई आदिम जातियों के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** जी, हां ।

इंस्टीट्यूट आफ सिटी एण्ड गिल्ड्स (लन्दन) के प्रमाण पत्र

†*११८७. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "इंस्टीट्यूट आफ सिटी एण्ड गिल्ड्स (लन्दन) के विद्युत इंजीनियरी कार्य की अन्तिम श्रेणी के प्रमाण पत्र" को १९५६ के अन्त तक विद्युत इंजीनियरी की उपाधि के बराबर अभिज्ञात करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) उसका आधार क्या है; और

(ग) उसे केवल १९५६ के अन्त तक ही अभिज्ञात करने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५२**]

---

†मूल अंग्रेजी में

युद्ध सामग्री कारखाने

†*११८९. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत के युद्ध सामग्री कारखानों में कुल कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं; और

(ख) भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) आठ। इनके अतिरिक्त २३ अन्य अभारतीय हैं जो कि भारत सरकार के नियमित कर्मचारी हैं।

(ख) इन प्रविधिज्ञों का काम सीखने के लिये उनके साथ उपयुक्त भारतीय पदाधिकारियों को लगाया गया है। हमारी इच्छा यह है जो ही भारतीय प्रविधिज्ञ पर्याप्त अनुभव ग्रहण कर ले, उन्हें विदेशी प्रविधिज्ञों के स्थान पर लगा दिया जाये।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†*११९०. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी समाज कल्याण परियोजना प्रारम्भ नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये एक पृथक विभाग खोला है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

सरकारी सेवा के लिये चरित्र का सत्यापन

†*११९१. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १२ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में झूठी तथा ग़लत जानकारी के कोई मामले आते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) ग़लत जानकारी की सभी संभावनाओं को समाप्त करन के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) गृह मंत्रालय के ध्यान में झूठी तथा ग़लत जानकारी का कोई मामला नहीं आया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के पदों और सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों के अनुसचिवीय पदों के सम्बन्ध में जांच तथा सम्बन्धी जानकारी तक ही सीमित रहती है और यह जांच सरकारी माध्यम से की जाती है। उस जानकारी की कई प्राधिकारियों द्वारा पड़ताल की जाती है। जहां तक अन्य सेवाओं का सम्बन्ध है, अभ्यर्थियों से कह दिया जाता है कि वे स्वयं ही किसी जिलाधीश अथवा उपमंडलीय दंडाधिकारी द्वारा प्रभावित एक चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

खानिजिक सर्वेक्षण

†९९५. **श्री कामत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों को १९५५-५६ में एक विस्तृत खानिजिक सर्वेक्षण के लिये प्रस्थापित कार्य क्रम में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) उसका व्योरा क्या है ।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) १९५५-५६ में जिन जिलों में विस्तृत खानिजिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, वे ये हैं:—

(१) अमरावती (२) बालाघाट (३) बस्तर (४) भंडारा (५) छिंदवाड़ा (६) द्रुग (७) जबलपुर (८) माण्डला (९) नागपुर तथा कोरबा के कोयले क्षेत्र, कनहन वादी कोयला क्षेत्र तथा झिलिमिली कोयला क्षेत्र ।

(ख) भूतत्वीय सर्वेक्षण हो रहा है और इस समय वहां पर हो रही खोजों के सम्बन्ध में जानकारी वहां के क्षेत्र-मौसम की समाप्ति के तीन या चार मास के उपरान्त प्राप्त हो सकेगी । क्योंकि क्षेत्र मौसम अप्रैल के अन्त तक समाप्त होता है, प्रतिवेदन अगस्त या सितम्बर तक ही उपलब्ध हो सकेंगे ।

मैसूर में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी

†९९६. **श्री एन० राचय्या** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकरण के पश्चात् मैसूर राज्य में अब तक भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने कितने पदाधिकारी नियुकत किये गये;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) यदि अनुसूचित जाति का कोई पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) भारतीय प्रशासन सेवा......५२ जिन में से १० निवृत्त हो गये हैं या मर गये हैं ।

भारतीय पुलिस सेवा२२......जिन में से ३ निवृत्त हो गये हैं ।

(ख) शून्य ।

(ग) अब तक अनुसूचित जाति का कोई पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला है ।

भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध वैध प्रतिकार

†९९७. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के प्रारम्भ होने के समय से कितने व्यक्तियों ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ८७ ख के अन्तर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों के विरुद्ध वैध प्रतिकार करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) कितने व्यक्तियों को अनुमति दी गई और कितनों को अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया और इन्कार करने का क्या आधार था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छात्र शिशिक्षा योजना

†६९८. **श्री आर० के० गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में छात्र शिशिक्षा योजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५३**]

गार्हस्थ्य विज्ञान की शिक्षा

†६९९. **श्री आर० के० गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री उन कालेजों और विश्वविद्यालयों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें भारत में गार्हस्थ्य विज्ञान की शिक्षा और शोध कार्य का विकास करने के लिये टेकनिकल सहयोग कार्यक्रम के अनुसार टेक्निकल सहायता दी जाने के प्रयोजनार्थ चुना गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (१) क्वीन मैरीज कालेज फार वीमन, मद्रास ।

(२) सेंट क्राइस्टोफर्स कालेज, मद्रास ।

(३) लेडी विलिंगडन कालेज, मद्रास ।

(४) वीमन्स क्रिश्चियन कालेज, मद्रास ।

(५) महारानीज कालेज फार वीमन, मैसूर ।

(६) लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली ।

(७) एस० एन० डी० टी० वीमन्स यूनिवर्सिटी, बम्बई ।

(८) एम० एस० यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा ।

कर की छूट

†७००. **श्री मोरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में जो राशि लाभांशों के रूप में वितरित की गई थी उसके ऊपर होने वाली आय की राशि पर (समवाय के उस कर को निकाल कर जिस पर धारा २३ क लागू नहीं होती) कितने समवाय एक आना फी रुपया को छूट मांग रहे हैं; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में कुल कितनी छूट दी गई ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) और (ख). जानकारी तुरन्त प्राप्य नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज

†७०१. { **श्री आर० के० गुप्त :**
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायणसिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम जहां बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज अभी तक खोले जा चुके हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन कालेजों की संख्या तथा उन स्थानों के नाम जहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्हें खोलने का विचार है ?

राजस्व तथा प्रतिरक्षा-व्यय मंत्री (श्री अरुणचन्द्र गुह) : (क) रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने सितम्बर, १९५४ में बम्बई में एक बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की है ।

(ख) क्या ऊंचे प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये और यदि हां तो किन केंद्रों में, इस प्रश्न पर रिजर्व बैंक समय समय पर विचार करेगा । अभी तक कुछ निर्णय नहीं किया गया है ।

रुपयों की पूंजी वाला समवाय

†७०२. { **श्री आर० के० गुप्त** :
श्री अमजद अली :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुपयों की पूंजी वाले समवाय के निर्माण के लिये वार्ता की क्या स्थिति है ?

†**प्राकृतिक संसधान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : रुपयों की पूंजी वाले समवाय की रचना के लिये आसाम आयल से बातचीत चल रही है ।

बातचीत समाप्त होने तथा समझौते की पूर्त्ति तक किसी प्रकार का ब्योरा प्रकट करना जनहित में नहीं है ।

अफ़ीम

†७०३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५ में निर्यात की गई अफीम की कुल मात्रा; और

(ख) इससे कुल कितना राजस्व मिला ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) और (ख). १९५५ में कुल १९५५ १/२ टन अफ़ीम का निर्यात किया गया तथा इससे सकल रास्जव (अर्थात् सकल बिक्री आय) लगभग १,२८,०७,००० रुपये हुई ।

झंडा दिवस

†७०४. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री अमर सिंह डामर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ नवम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ के झंडा दिवस पर एकत्र की गई राशि का किस रूप में उपयोग किया गया है; और

(ख) १९५५ के झंडा दिवस को सफल बनाने के लिये अपनाये गये विशेष उपाय कहां तक उपयोगी सिद्ध हुये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) झंडा दिवस १९५४ को एकत्रित की गई धन राशि का विभाजन निम्न प्रकार से हुआ :

(१) भूतपूर्व सैनिकों के लिये बेनेवोलेन्ट फंड की पूर्त्ति हेतु राज्यों को २,३८,२२८ रुपये ।

(२) सेना मुख्यालय को ३,४५,००० रुपये ।

(३) नौ सेना मुख्यालय को ८०,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) वायु सेना मुख्यालय को १,०५,००० रुपये ।

(५) सेनाओं के स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड को ५०,००० रुपये ।

(६) मिलीटरी अस्पताल कल्याण सेवा को ४०,००० रुपये ।

सेनाओं के मुख्यालयों को जो धन राशि दी गई है उसमें से ७० प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के कामों के उपयोग में लाई जायगी तथा ३० प्रतिशत सेवा में लगे हुये व्यक्तियों के लिये ।

(ख) १९५५ में काम में लाये गये विशेष उपायों का परिणाम अभी तक नहीं मालूम हो सका है, क्योंकि अभी तक राज्यों द्वारा एकत्रित की गई सारी धनराशि केंद्र को नहीं प्राप्त हो सकी है ।

भूतपूर्व सैनिक

७०५. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्र विस्तार सेवा खंडों में ग्राम सेवकों की जगहों के लिये २,२५० भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देने की योजना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : अभी तक ६३ भूतपूर्व सैनिक सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्र विस्तार सेवा में ग्राम सेवकों की जगहों पर खपाने के लिये बुनियादी कृषि में प्रशिक्षित किये जा चुके हैं; तथा १८३ प्रशिक्षित हो रहे हैं ।

भारतीय प्रशासन सेवा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार

†**७०६. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा की भारत में १९५२ से जो परीक्षायें हुईं उनमें अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवार सम्मिलित हुये ;

(ख) कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुये ?

(ग) कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** :

	वर्ष	**संख्या**
(क)	१९५२	२३
	१९५३	२७
	१९५४	३०
	१९५५	५३
(ख)	१९५२	—
	१९५३	—
	१९५४	—
	१९५५	१
(ग)	१९५२	—
	१९५३	—
	१९५४	—
	१९५५	अभी नियुक्तियां करना है ।

कुतुब मीनार

†७०७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में कुतुब मीनार की मरम्मत आदि के लिये कितनी रकम व्यय की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : १९५५ में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में कुतुब मीनार और उसके आस पास के स्मारकों की मरम्मत आदि के लिये निम्न व्यय किया गया है :

	रु०	आ०	पा०
१९५२–५३	६,४०७	३	०
१९५३–५४	११,४७४	१३	९
१९५४–५५ ...	७,८७१	२	०

आय-कर की बकाया राशि

†७०८. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आय-कर और अधिकर की कुल बकाया राशि जिसकी ३१ मार्च, १९५६ तक उगाही नहीं हुई थी।

(ख) क्या १९५५–५६ में कोई रकम बट्टे खाते डाली गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी रकम ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी यथोचित सत्यापित रूप में अक्तूबर, १९५६ तक उपलब्ध नहीं होगी। उपलब्ध होने पर यह लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

नौ सेना संस्थान

†७०९. **श्री वेलायुधन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वेलिंगटन आइलैंड, कोचीन में नौसेना संस्थान पर अभी तक किया गया व्यय;

(ख) क्या कुछ और संस्थान वहां अभी बनाये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) लगभग ४३८·७४ लाख रुपये।

(ख) जी हां। एक नौसेना सिगनल स्कूल और एक नौसेना विमान स्टेशन अभी बनाये जा रहे हैं।

दिल्ली में अपराध

†७१०. **श्री वोडयार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत वर्ष यौन अपराधों में कमी हुई है;

(ख) गत वर्ष और इस वर्ष में हुये आक्रमण, बालापहरण और अपहरण सम्बन्धी घटनाओं की संख्या; और

(ग) इस कमी के कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख)

अपराधों का स्वरूप	मामलों की संख्या	
	१९५५	१९५६ (२७ मार्च, १९५६ तक)
आक्रमण	४०	९
बालापहरण	७०	१२
अपहरण	७	२

(ग) राज्य सरकार द्वारा निम्न कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप अपराधों में कमी हुई है :

(१) गैर-सरकारी अनाथालयों और निराश्रित व्यक्तियों के घरों और उनके रक्षकों पर कठोर निगरानी।

(२) विशेष वर्दी में तथा सादा वस्त्रों वाले व्यक्तियों द्वारा लड़कियों की संस्थाओं के समीपवर्ती स्थानों और बस स्टाप तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में पैट्रोलिंग।

(३) पुलिस द्वारा तैयार की गई जाने पहचाने अपहरणकर्ताओं की सूची की कार्यवाहियों पर कठोर निगरानी।

(४) अपहरणकर्ताओं के दलों और उनकी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में समन्वित सूचना।

(५) शीघ्र मुकदमे और भयोत्पादक दण्ड।

टेकनीकल प्रशिक्षण

†७११. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय प्राविधिक तथा पुनर्वास केंद्रों में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये भारत में उपलब्ध हीट ट्रीटमेंट भट्टियां किसी एक देश की उत्पाद हैं।

(ख) यदि हां, तो दूसरे देशों से विचित्र प्रकार की भट्टियां प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं अथवा किये जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

कोलम्बो योजना

†७१२. **कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को भारत ने कितनी सहायता दी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को इन देशों से प्राप्त प्रार्थनाओं के अनुसार प्राविधिक सहायता देता है। भारतीय विशेषज्ञों और भारत में प्राप्य प्राविधिक सुविधाओं की सेवा के रूप में सहायता दी जाती है। १९५५-५६ में ११ विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध की गई तथा इन देशों द्वारा नामज़द १९१ व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधायें दी गई। इस सहायता पर लगभग १२,२५,००० रुपये खर्च हुये।

भारत ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत नेपाल को आर्थिक मदद दी है। १९५५-५६ में लगभग २ करोड़ रुपये खर्च किये गये। यह खर्च मुख्य-रूप में सड़कें बनाने और उनकी मरम्मत करने में तथा विमान क्षेत्र और सर्वेक्षण एवं छोटे-छोटे सिंचाई सम्बन्धी कार्यों पर हुआ।

†मूल अंग्रेजी में

हुण्डियों का अपहार

†७१३. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हुण्डियों के अपहार के सम्बन्ध में यूरोपीय और भारतीय व्यापारियों तथा उद्योग-पतियों के बीच भारत के राज्य बैंक में विभेद किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस विभेदात्मक प्रथा का व्यौरा;

(ग) विभेद का कारण;

(घ) क्या यह सच है कि विदेशी उद्योगों द्वारा जारी की जाने वाली हुण्डियों को ड्राफ्ट समझा जाता है और भारतीय उद्योगों द्वारा जारी की जाने वाली हुण्डियों को 'बाजार हुण्डियां' माना जाता है;

(ङ) क्या यह सच है कि पहली प्रकार की हुण्डियों का अपहार किसी भी पार्टी अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी रकम तक कराया जा सकता है जब कि द्वितीय प्रकार की हुण्डियों का अपहार केवल ऊंचे दर्जे की पार्टियों द्वारा ही और वह भी केवल सीमित रकम और समय तक ही किया जा सकता है; और

(च) क्या यह सच है कि इससे लिये जाने वाले ब्याज में भी अन्तर उत्पन्न होता है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)**: (क) सरकार को आश्वासन दिया गया है कि राज्य बैंक में ड्राफ्ट के सम्बन्ध में हुण्डियां अपहार करने में भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) और (ङ). सभी व्यापारिक कार्यों पर उनके गुणावगुण के अनुसार काम किया जाता है । भुगतान कराने वाले व्यक्ति की साख और प्रतिष्ठा का सदा महत्व रहता है । पत्र की स्वीकार्यता हुण्डी जारी करने वाले और जिसके प्रति हुण्डी जारी की गई है उस पर भी मुख्यत: निर्भर रहती है ।

(च) ड्राफ्ट भुगतान में चेक की प्राप्ति में देर होने पर बिना किसी अपवाद के प्रत्येक मामले में बकाया ब्याज वसूल किया जाता है ।

आयकर जांच आयोग

७१४. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में आयकर जांच आयोग ने कितने मामले निबटाये;

(ख) इन में से कितने मामले तय किये गये;

(ग) ऐसे मामले कितने हैं जिन के बारे में अब तक केवल जांच की गई है; और

(घ) इन मामलों में कुल कितनी राशि वसूल करने की थी ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) २७ ।

(ख) ९ ।

(ग) ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसके बारे में १९५४-५५ के बाद केवल जांच की गयी हो ।

(घ) **तय किये गये मामले**—१४·०४ लाख रुपये ।

जांच के मामले—उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के कारण, जिस में आयकर निर्धारण (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७ की ५ (१) और ५ (४) धाराओं को या तो अमान्य या

†मूल अंग्रेजी में

प्रवर्तनशून्य करार दिया गया है, सम्बद्ध आयकर अधिकारी आय-निर्धारण का काम पूरा नहीं कर सके। इसलिये यह मालूम नहीं किया जा सका कि इन मामलों में कितना कर वसूल करने को था।

लिग्नाइट

†७१५. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली के सुविख्यात क्षेत्र के अतिरिक्त क्या मद्रास में कुछ अन्य भागों में भी लिग्नाइट प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, क्या कोई सर्वेक्षण किया जायेगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) दक्षिण कनारा और मालाबार और केनिपट्टु गांव के पास और मद्रास के दक्षिण अर्काट जिले में लिग्नाइट की प्राप्ति का समाचार मालूम हुआ है किन्तु इनका मूल्य नगण्य अथवा अत्यन्त अल्प है।

(ख) उपलब्ध आंकड़े इस बात का प्रमाण नहीं देते हैं कि इनकी वर्तमान में विस्तृत जांच की जाये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान-रक्षण

†७१६. **डा० सत्यावादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में ऐसे कितने स्थान किन किन श्रेणियों में खाली हैं जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित हैं और जिनके लिये ऐसे उम्मीदवार प्राप्त नहीं हैं; और

(ख) अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण अन्य व्यक्तियों द्वारा पूरे किये गये रक्षित स्थानों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). मांगी हुई सूचना इस समय तैयार नहीं है और एकत्रित की जा रही है। सूचना उपलब्ध होने पर सदन के सामने रख दी जायेगी।

लाहौल और स्पीति का विकास

†७१७. { **सरदार इक्बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :
श्री आर० के० गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब राज्य के लाहौल और स्पीति क्षेत्रों के प्रशासन तथा विकास सम्बन्धी वे योजनायें जो योजना आयोग के अनुमोदन एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं के मुख्य लक्षण;

(ग) इन पर खर्च की जाने वाली कुल रकम कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ग). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५४]** लाहौल और स्पीति के सूचीगत क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त योजनाओं के प्रश्न पर भारत सरकार राज्य सरकार की सलाह से विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सम्बन्धित क्षेत्र के निवासी आदिमजाति व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान और सड़कों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जायेगा ।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

†७१८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री आर० के० गुप्त : }

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर के अविकसित भागों के खनिज संसाधनों का पता लगाने की दृष्टि से कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री० के डी० मालवीय)** : (क) तथा (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने यह सर्वेक्षण कार्य कर लिया है । जम्मू और कश्मीर में लिगनाइट और कोयला निक्षेपों का प्राथमिक रूप में अध्ययन कर लिया गया है और कुछ जिप्सम निक्षेपों की जांच हो रही है । क्रोमाइट, मैगनेसाइट और अन्य दूसरे खनिजों के नमूने जांच के लिये एकत्रित कर लिये गये हैं ।

आयकर अपीलें

†७१९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अपीलीय सहायक कमिश्नरों ने कुल कितनी अपीलों का निर्णय किया है;

(ख) १९५४ के अन्त में कुल कितनी अपीलें विलम्बित थी; और

(ग) १९५५ में कुल कितनी अपीले आईं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) ७४,६८० ।

(ख) ९०,२९५ ।

(ग) ८८,८५७ ।

लद्दाख का हवाई अड्डा

†७२०. { **सरदार अकरपुरी :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख (काश्मीर) के हवाई अड्डे को सुधारने के बारे में कोई निर्णय हुआ है;

(ख) किस प्रकार के सुधार किये जायेंगे; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) से (ग). पूछी गई जानकारी बताना जनहित में अच्छा नहीं होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

बीर बिक्रम कालिज, अगरतला

†७२१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के बीर बिक्रम कालेज में रात्रि को क्लास लगती है;

(ख) यदि हां तो क्या अध्यापकों को अतिरिक्त सेवा के लिये पैसा दिया जाता है;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों को इन क्लासों में पढ़ने की आज्ञा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) जी हां। केवल इन्टरमीजियेट के वाणिज्य पाठ्यक्रम के लिये।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ). सरकारी कर्मचारी अपन अधिकारियों की स्वीकृति से, बशर्ते कि इससे उनके कार्यालय के नियमित कार्य में कोई बाधा न पड़ती हो, इन क्लासों में भाग ले सकते हैं।

सोना चोरी-छिपे ले जाना

†७२२. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "दी टाइम्स आफ इंडिया" दिल्ली संस्करण के २ मार्च, १९५६ के अंक में प्रकाशित उस सूचना की ओर आकर्षित किया गया है जिस में लिखा है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक, जिन में स्त्रियां भी सम्मिलित हैं, समुद्र के रास्ते से चोरी छिपे सोना पाकिस्तान से बम्बई ला रहे हैं।

(ख) इस प्रकार पकड़े गये सोने का मूल्य कितना है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जानकारी की गई है कि यह सोना किस को दिया जाने वाला था ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) जी हां।

(ख) ४७,५५० रुपये।

(ग) जांच करने से पता चला है कि इस सोने को स्थानीय बाजार में बेचने के लिये बम्बई के चोरी छिपे माल ले जाने वाले समूह के दो सदस्यों को दिया जाने वाला था।

जनता कालिज

†७२३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता कालेज को चलाने के लिये १९५३-५४ और १९५४-५५ के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) इस प्रकार के अनुदानों से किन किन कालेजों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) उपरोक्त काल में इन कालेजों में कितने विद्यार्थियों ने प्रशिक्षा ली ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) ९,४५,१२७ रुपये।

(ख) तथा (ग). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५५]**

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†७२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ और १९५४-५५ के दौरान में पुनर्वास वित्त प्रशासन के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ख) अन्य सरकारी विभागों में कितने कर्मचारियों को कार्य मिल गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त काल में कितने नये कर्मचारियों की भर्ती की गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

धर्म-परिवर्तन

†७२५. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य भारत के जोबट झाबुआ, अतिखजपुर और राजस्थान के कुशलगढ़ उपखंड के भीलों को निःशुल्क दवाइयां और शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देकर धर्मप्रचारक ईसाई बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). प्राप्त जानकारी से पता चला है कि १९५२-५३ में अकाल के दौरान में राजस्थान के कुशलगढ़ उपखंड के भीलों का धर्म परिवर्तन किया गया था और आगामी वर्षों में इस प्रकार के धर्म परिवर्तन की संख्या कम हो गई है । प्रश्न में पूछे गये अन्य स्थानों के बारे में जानकारी मालूम की जा रही है और मिलने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

संघ लोक सेवा आयोग

†७२७. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग और रेलवे सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों के सदस्य रखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य भी रखने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). संघ लोक सेवा आयोग तथा रेलवे सेवा आयोग के सदस्य जाति और उपजातियों के आधार पर नहीं रखे जाते और न सरकार के सामने ऐसा करने का कोई विचार है ।

आजकल संघ लोक सेवा आयोग तथा रेलवे सेवा आयोग का एक एक सदस्य अनुसूचित जाति का है । उनकी नियुक्ति, उनकी जाति के आधार पर नहीं अपितु उनकी उपयुक्तता के आधार पर हुई है ।

तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क

७२८. **श्री के० सी० सीधिया** : क्या **वित्त** मंत्री सभा के टेबल पर इन बातों का एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में बीड़ी उद्योग में काम में आने वाले तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क क रूप में पृथक्-पृथक् कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ख) देश के कौन से भाग में ऐसी तम्बाकू विशेष रूप से पैदा होती है;

(ग) उत्पादन-शुल्क किसानों से लिया जाता है या बीड़ी उद्योग से; और

(घ) क्या तैयार की गई बीड़ी पर भी कोई उत्पादन शुल्क लिया जाता है ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह): (क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में बीड़ी उद्योग में काम में लाये गये तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क के रूप में क्रमशः १०·६१ करोड़ रुपये, १०·३० करोड़ रुपये और ९·२५ करोड़ रुपये वसूल हुये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बीड़ी बनाने का तम्बाकू मुख्यत: बम्बई और मैसूर राज्यों में पैदा होता है ।

(ग) तम्बाकू का उत्पादन-शुल्क उस समय वसूल किया जाता है जब उसे उत्पादन-शुल्क विभाग के नियन्त्रण क्षेत्र से बाहर भेजा जाता है । बहुत ही कम अवसरों को छोड़कर, जब कि किसान खुद ही शुल्क अदा करके तम्बाकू बेचना पसन्द करते हैं, इसे तम्बाकू के भांडारिकों और निर्माताओं के करदेय मालगोदामों से निकासी करने के समय वसूल किया जाता है । किसान और शोधक विना शुल्क दिये अपने माल को भांडारिकों और निर्माताओं के हाथ बेच देते हैं ।

(घ) यदि बीड़ियां मशीनों की सहायता से बनाई जाती हैं तो ऐसी बीड़ियों के लिये प्रति हजार ३ रुपये का शुल्क अदा करना पड़ता है । दूसरे प्रकार की बनी बीड़ियों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता ।

स्वेच्छा से बचत

†७२९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में केंद्रीय तथा राज्य पदाधिकारियों ने स्वेच्छा से बचत के रूप कितनी राशि दी है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : ज्ञात होता है कि "स्वेच्छा से बचत" से माननीय सदस्य का अभिप्राय अल्प बचत के अन्तर्गत पूंजी लगाना है । यदि ऐसा है तो अल्प बचत आन्दोलन के अधीन विभिन्न योजनाओं में लगाई गई पूंजी में यह विभेद नहीं किया गया है कि केंद्रीय तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों तथा अन्य दूसरे लोगों ने कितना कितना धन दिया है । अत: पूछी गई जानकारी के बारे में बताना संभव नहीं है ।

अखिल भारतीय सेवायें

†७३०. **श्री बी० एन० कुरील** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय विदेशी सेवा की लिखित परीक्षाओं तथा मौखिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिये कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम १९५५ के विनियम ७ के अनुसार, जो भारतीय प्रशासन सेवा / भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) के नियम ७ द्वारा बनाये गये हैं; भारतीय प्रशासन सेवा, और भारतीय पुलिस सेवा की प्रतियोगिता परीक्षाओं के पास करने का स्तर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निश्चित किया जाता है । अत: भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की लिखित परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा को पास करने के लिये आवश्यक अंकों का प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही पर्णत: निश्चित किया जाता है । संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमों के अधीन भारतीय विदेशी सेवा के लिये भी ठीक यही बात है ।

सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम

†७३१. **श्री आर० के० गुप्त** :
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्धी समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: इंगलिस्तान और अमरीका के कुछ विश्वविद्यालयों/कालेजों में सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम संगठनों का अध्ययन करने के लिये और भारतीय

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों में नमूने के पाठ्यक्रम अपनाने के लिये सुझाव देने के हेतु जो समिति बनी थी उसने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

चीन भेजे गये भारतीय राष्ट्रजन

†७३२. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में चीनी भाषा पढ़ने के लिये कितने भारतीय राष्ट्रजनों को सरकार ने चीन भेजा था ;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या उनमें से कोई भारत वापस आया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) छः।

(ख) ५१२४ रुपये।

(ग) जी नहीं।

दक्षिण भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†७३३. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १५ मार्च १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ तथा उसके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों में जो मोटी स्तरीभूत चट्टानें पाई जाती हैं उनमें क्या क्या होता है;

(ख) क्या उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय ली गई है;

(ग) क्या आंध्र विश्वविद्यालय भूतत्ववेत्ता ने इस क्षेत्र के भूतत्वीय सर्वेक्षण-परिणाम सरकार को भेज दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके बारे में क्या निर्णय हुये हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) मकान बनाने के पत्थर के अतिरिक्त गोदावरी में मिलने वाले खनिजों में कोयला, मिट्टी, चूना और डोलोमाइट गोदावरी तथा कृष्णा नदी की घाटियों में पाया जाता है।

(ख) जी नहीं। प्राप्त सूचना में बताया गया है कि ये निक्षेप विशेष किसी आर्थिक महत्व के नहीं हैं। भविष्य में होने वाली जांच के आधार पर इन सुझावों पर विचार किया जायगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

एवजी कर्मचारी

†७३४. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिये एवजी कर्मचारियों की व्यवस्था करने में कोई भेद रखा जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस विभेद को दूर करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) जी हां । एवजी कर्मचारी छुट्टी की मात्रा पर रखे जाते हैं और वर्तमान नियमों के अधीन तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टी सम्बन्धी शर्तें बिल्कुल अलग अलग हैं ।

(ख) जब तक कि छुट्टी सम्बन्धी शर्तें नहीं बदली जातीं तब तक यह प्रश्न नहीं उठता ।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

†**७३५. मुल्ला अबदुल्लाभाई** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ के दौरान में मध्य प्रदेश में जो भूतत्वीय सर्वेक्षण हुआ उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** भूतत्वीय सर्वेक्षण हो रहा है । जांच सम्बन्धी जानकारी जोकि आजकल हो रही है भूतत्ववेत्ताओं के प्रतिवेदन मिल जाने के पश्चात जो बाहर काम करने वाली अवधि, जो नवम्बर से अप्रैल तक बढ़ गई है, के समाप्त होने के पश्चात मिलेंगे उपलब्ध होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	११०८–२८
तारांकित प्रश्न संख्या		
११५०	ताम्बा	११०८–१०
११५४	कोयला क्षेत्रों की खोज	१११०–११
११५५	प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन	११११
११५६	ईंधन गवेषणा समिति ...	११११–१२
११५९	ठाना के पास हवाई अड्डा	१११२–१३
११६४	पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा	१११३
११६५	नौसेनिक गोदी शिक्षार्थी स्कूल, बम्बई	१११४
११६७	अन्तर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव	१११४–१५
११६८	आदिम जाति क्षेत्रों (मनीपुर) का विकास ...	१११५
११६९	विश्वविद्यालयों में अध्यापन शुल्क	१११५–१७
११७१	जनता कालिज	१११७–१८
११७३	पाकिस्तान की मुद्रा को बदलने की सुविधायें ...	१११८–१९
११७४	इंजीनियरों का पंजीयन ...	१११९–२०
११७५	रूपकुंड से मिली वस्तुयें	११२०–२१
११८०	प्रतिरक्षा सामग्री के कारखाने	११२१–२३
११८१	संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता	११२३
११८२	बोध गया का महाबोधि मंदिर	११२४
११८६	दिल्ली में नागा प्रतिनिधि	११२४–२५
११८८	पाकिस्तानी सेना के पदाधिकारियों के लिये द्रष्टांक	११२५–२६
११५२	केंद्रीय खाद्य औद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर	११२६
११६०	पटना में रिजर्व बैंक की शाखा	११२७
११७९	लक्कदीव द्वीप समूह	११२७–२८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	११२८–४७
तारांकत प्रश्न संख्या		
११५१	प्रतिरक्षा सामग्री का क्रय	११२८
११५३	परीक्षा गवेषणा विभाग (ब्यूरो आफ एग्जामिनेशन रिसर्च) ...	११२८
११५७	लोक सहायक सेना	११२९
११५८	राष्ट्रीय अकादमियां	११२९
११६१	श्रमजीवी स्त्रियों के लिये होस्टल (छात्रावास)	११२९
११६२	इंडियन नेशनल कांग्रेस का १९५६ का अधिवेशन	११२९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

११६३	टकसाल ...	११३०
११६६	गणराज्य दिवस समारोह	११३०
११७०	अलीगढ़ विश्वविद्यालय	११३०
११७२	समवायों का पंजीयन ...	११३०–३१
११७६	धर्म प्रचारक ...	११३१
११७७	पौंड पावना	११३१
११७८	भारत का राज्य बैंक	११३१
११८३	नीमच में अफ़ीम का कारखाना	११३२
११८४	राज्यपालों का सम्मेलन	११३२
११८५	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	११३२
११८७	इस्टीट्यूट आफ सिटी एण्ड गिल्ड्स (लन्दन) के प्रमाण पत्र	११३२
११८९	युद्ध सामग्री कारखाने	११३३
११९०	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ...	११३३
११९१	सरकारी सेवा के लिये चरित्र का सत्यापन ...	११३३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६९५	खानिजिक सर्वेक्षण	११३४
६९६	मैसूर में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी	११३४
६९७	भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध वैध प्रतिकार	११३४
६९८	छात्र शिशिक्षा योजना	११३५
६९९	गार्हस्थ्य विज्ञान की शिक्षा	११३५
७००	कर की छूट ...	११३५
७०१	बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज	११३५–३६
७०२	रुपयों की पूंजी वाला समवाय	११३६
७०३	अफ़ीम	११३६
७०४	झंडा दिवस	११३६–३७
७०५	भूतपूर्व सैनिक	११३७
७०६	भारतीय प्रशासन सेवा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार	११३७
७०७	कुतुब मीनार	११३८
७०८	आय-कर की बकाया राशि	११३८
७०९	नौ सेना संस्थान	११३८
७१०	दिल्ली में अपराध ...	११३८–३९
७११	टेक्नीकल प्रशिक्षण	११३९
७१२	कोलम्बो योजना ...	११३९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

७१३	हुण्डियों का अपहार	११४०
७१४	आय-कर जांच आयोग ...	११४०–४१
७१५	लिग्नाइट	११४१
७१६	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान-रक्षण	११४१
७१७	लाहौल और स्पीति का विकास	११४१–४२
७१८	भूतत्वीय सर्वेक्षण ...	११४२
७१९	आयकर अपीलें ...	११४२
७२०	लद्दाख़ का हवाई अड्डा ...	११४२
७२१	बीर बिक्रम कालिज, अगरतला	११४३
७२२	सोना चोरी-छिपे ले जाना	११४३
७२३	जनता कालिज ...	११४३
७२४	पुनर्वास वित्त प्रशासन	११४३–४४
७२५	धर्म-परिवर्तन ...	११४४
७२७	संघ लोक सेवा आयोग	११४४
७२८	तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क	११४४–४५
७२९	स्वेच्छा से बचत ...	११४५
७३०	अखिल भारतीय सेवायें	११४५
७३१	सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम ...	११४५–४६
७३२	चीन भेजे गये भारतीय राष्ट्रजन	११४६
७३३	दक्षिण भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण ...	११४६
७३४	एवजी कर्मचारी	११४६–४७
७३५	भूतत्वीय सर्वेक्षण	११४७

M32LSD-190—10-6-57—MGIPF

बुधवार
4 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha

(XII Session)

Preservation Unit
Parliament Library

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग—२ वाद-विवाद, खण्ड ३—२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१—बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२—आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४—पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९—वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२—गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२—आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४—पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११—वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें—त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६
मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६
मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५
मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५
मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५
मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५
मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७
अनुदानों की मांगें १८१७–७९
मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२
मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२
मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२
मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२
मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२
मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९
मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९
मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९
मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९
मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९
मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६
मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१
मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१
मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१
मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१
मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ट

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१

मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६

मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६

मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६

मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६

मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६

मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६

दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९

प्राक्कलन समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१

अनुदानों की मांगें १९५१–८३

मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७

मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७

मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७

मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७

मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७

मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३

मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

	पृष्ठ
बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक	१९८३
विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक	१९८३–२०००
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव	१९८३–२०००
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**)	२०००–०६
विचार करने का प्रस्ताव	२०००
दैनिक संक्षेपिका	२००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र	२००९
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब	२००९–१०
अनुदानों की मांगें	२०१०–७९
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	२०१०–२४
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप	२०१०–२४
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण	२०१०–२४
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण	२०१०–२४
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण	२०१०–२४
मांग संख्या ८३—खानें	२०१०–२४
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा	२०१०–२४
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज	२०१०–२४
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२०१०–२४
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२०१०–२४
मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय	२०२५–७९
मांग संख्या ४३—वन	२०२५–७९
मांग संख्या ४४—कृषि ...	२०२५–७९
मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ...	२०२५–७९
मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	२०२५–७९
मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय	२०२५–७९
मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय	२०२५–७९
मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२०२५–७९
दैनिक संक्षेपिका	२०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ...	२०८१–२१३९
मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय	२०८१–२१३३
मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक	२०८१–२१३३
मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२०८१–२१३३
मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन	२०८१–२१३३
मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा	२०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३

मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९
अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

पृष्ठ

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज ... २३०९–११

सभा का कार्य ... २३११–१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें २३१३–८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ... २३१३–२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३–२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३–२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३–२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २३१३–२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय ... २३२४–७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या ... २३२४–७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग ... २३२४–७७

मांग संख्या २०—शिक्षा ... २३२४–७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४–७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २३२४–७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय ... २३७७–८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क ... २३७७–८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३७७–८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७–८२

मांग संख्या ३०—अफीम ... २३७७–८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३७७–८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान ... २३७७–८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण ... २३७७–८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा ... २३७७–८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७–८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३७७–८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन २३७७–८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३७७–८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३७७–८२

	पृष्ठ
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	२३७७—८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ...	२३७७—८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३७७—८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय	२३७७—८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय	२३७७—८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३७७—८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३७७—८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३७७—८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३७७—८२
दैनिक संक्षेपिका	२३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२३८५
तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि	२३८५—८७
अनुदानों की मांगें	२३८७—२४२७
मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय	२३८७—२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क	२३८७—२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम	२३८७—२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प	२३८७—२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा	२३८७—२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा	२३८७—२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान	२३८७—२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७–२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५–२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५–२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५–२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५–२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५–२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५–२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५–२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५–२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५–२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५–२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५–२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५–२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५–२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५–२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५–२७
वित्त विधेयक	२४२७–३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-२८ म० पू०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : राष्ट्रपति द्वारा ३१ मार्च, १९५६ को प्रख्यापित त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, १९५६ की एक प्रति मैं, संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) के अधीन, पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस—११७/५६**]

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** (कुष्टगी) : मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दो याचिकाएँ जिन पर क्रमश: ५४९ और ३६०९ याचियों ने हस्ताक्षर किये हैं, उपस्थापित करता हूँ।

अनुदानों की मांगें

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी इस मंत्रालय की मांगों के लिये नियत ३ घंटे में से अब २ घंटे ३१ मिनट शेष हैं।

डा० रामा राव अब अपना भाषण जारी रखेंगे। अन्य माननीय सदस्यों को भाषण का अवसर देने के लिये, मैं प्रत्येक सदस्य को केवल १० मिनट का समय दूंगा।

†**डा० रामा राव** (काकिनाड़ा) : मैं कल टाटा मेमोरियल अस्पताल के बारे में कह रहा था। कुछ दिनों पूर्व मैंने एक समाचार देखा था कि सरकार ४५ लाख रुपया प्रतिकर दे कर उसे अपने अधीन ले रही है। मैंने उस विषय में कुछ प्रश्न पूछे थे और मुझे उचित जानकारी नहीं मिली। अब मुझे

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[डा० रामा राव]

मालूम हुआ है कि वह रकम प्रतिकर के रूप में नहीं है बल्कि वह अस्पताल के सुधारों पर खर्च की जायगी। अतः मेरी आपत्ति लागू नहीं होती। यह बताना सरकार का विषय है कि यदि सारी रकम वहाँ या और कहीं खर्च करना अधिक अच्छा होगा। मेरी चिन्ता केवल यह है कि अधिक से अधिक केन्द्रों में सुविधाएँ दी जानी चाहियें।

हम अब भी सिन्कोना का उपयोग करते हैं जिससे हमें कुनीन मिलती है। माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे कुछ संश्लेषित मलेरिया-विरोधी दवाइयाँ बनाना शुरू करें। गत वर्ष कुनीन पर ४३ लाख रुपया खर्च किया गया था और अब भी २·५ लाख पौंड कुनीन और इतनी छाल पड़ी हुई है कि २ लाख पौंड और कुनीन निकाली जा सकती है। मेरी प्रार्थना है कि उसका मूल्य न्यूनतम कर दिया जाये और उसे घाटे पर भी बेचकर उससे कुछ रुपया निकाला जाये।

क्षय रोग से प्रति वर्ष ५ लाख लोग मरते हैं और हमारे पास केवल २०,००० रोगियों के लिये स्थान हैं। भोर समिति के अनुसार हमें ५ लाख रोगियों के लिये स्थान आवश्यक है। अब इलाज के तरीके भी अधिक सरल और सस्ते हैं। आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी। क्षय रोग को अच्छा करने की दिशा में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय सरकार जिला अस्पतालों में निःशुल्क क्ष-किरण (एक्स-रे) की सुविधाएँ देना शुरू करे जिससे न केवल सरकारी डाक्टर बल्कि गैर-सरकारी डाक्टर भी प्रारंभिक दशा में ही रोग को समझ सकें।

जमुना जल के सम्बन्ध में, कई लोगों की मृत्यु के कारण, सरकार इस विषय में विचार कर रही है और हमें बताया गया है कि वह तुरन्त ही कोई प्रभावशाली कार्यवाही करने जा रही है। आशा है वह इस उपाय को काम में लायेगी और सारे देश में अन्य स्थानों की नदियों का पानी खराब न होने देगी।

आन्ध्र के विषय में, गुन्टूर में एक कालेज अधूरा है और कर्नूल में हम एक दूसरा कालेज खोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार गुन्टूर कालेज को उदारता से अनुदान दे और कर्नूल कालेज के लिये भी सुविधाएँ और धन दे।

गंदी बस्तियों को दूर करने के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि वह तरीका अपनाया जाय जो मद्रास निगम ने अपनाया है। उसने एक नया क्षेत्र बनाया है और उसमें सफाई की सुविधाएँ दी हैं उसी तरह अच्छी सड़कें, शौचालय आदि की सुविधा दी जाये। उन्हें निःशुल्क छोटी जमीनें दी जायें जिससे वे छोटे-छोटे मकान बना सकें। मेरी राय में यही सब से व्यावहारिक और शीघ्रतम उपाय है।

मैं सिद्धान्ततः परिवार-आयोजन के विरुद्ध हूँ। वास्तव में पूंजीवाद की बुराइयों को दूसरों के लिये सिर मढ़ने के लिये ही तथाकथित अत्यधिक जनसंख्या को प्रचार का एक साधन बना लिया गया है। केन्द्रीय सरकार परिवार-आयोजन के जिन सीमित तरीकों का परामर्श देती है, मुझे उनके विषय में घोर आपत्ति है। मुझे आशंका है कि मंत्री महोदय के व्यक्तिगत प्रतिकूल विचार भी इसके लिये अंशतः ज़िम्मेदार हैं। सन्तति-निग्रह के तीन स्वीकृत सिद्धान्त हैं: मदनतरंग प्रणाली, रासायनिक और यांत्रिक गर्भाविरोध, और शल्यक्रिया के उपाय। सरकार यह देखती है कि मदनतरंग प्रणाली असफल है और लोक-प्रिय नहीं है। मैं कोई कारण नहीं पाता कि वह क्यों असफल हो। आगे माननीय मंत्री स्वतः रासायनिक और यांत्रिक गर्भाविरोध तथा शल्य क्रिया-उपायों के विरुद्ध हैं। मेरा प्रश्न यह है कि वे किस पर रुपया खर्च कर रहे हैं। शल्य क्रिया भी एक उपयोगी उपाय समझा जाता है और उचित मामलों में संतति निग्रह के लिये उस की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकारी अस्पतालों में अवश्य ही इसकी सुविधाएँ दी जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री के नाम का लाभ उठा कर कुछ पुस्तकों और कुछ संस्थाओं का किस प्रकार प्रचार किया जा रहा है। मुझे

खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री ने उस किताब को बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिये हैं और उसकी सिफारिश की है। उस पुस्तक का नाम है "फैमिली प्लानिंग" और उसकी लेखिका हैं लेडी डा० के० सत्यवती। मैं विशेष कर उसके पृष्ठ १२६ का निर्देश करता हूँ। वह इतना भद्दा है कि मैं यहां नहीं पढ़ सकता। स्वास्थ्य मंत्री उस पर विचार करें और प्रधान मंत्री का ध्यान इन बातों की ओर आकृष्ट करें। वह एक गंभीर विषय है। उसमें और भी कई बातें हैं। उसमें एक नुस्खा है कि सुन्दर बच्चा कैसे पैदा किया जा सकता है। वह बिल्कुल रद्दी है। उसमें अन्य व्यक्तियों जैसे सेठ गोविन्द दास और श्री गाडगील का नाम है और डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, स्वास्थ्य मंत्री तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के फोटो भी हैं। वह एक बहुत गंभीर मामला है। आगे उसमें नियमित मासिकधर्म के लिये एक दवा दी हुई है। उस दवा का स्पष्ट अर्थ गर्भपात, आपराधिक गर्भपात है। श्री जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर कोई भी गर्भवती स्त्री उस दवा को ले सकती है।

आगे मेरा एक सुझाव यह है कि भारत की वर्तमान दशाओं में जब कि चिकित्सा सहायता बहुत ही अपर्याप्त है, सभी आयुर्वेद-चिकित्साओं या अन्य प्रकार के चिकित्सकों को आधुनिक तरीकों की मूल-भूत बातों की शिक्षा दी जाये, जैसे इंजेक्शन देना, औजारों को साफ करना, जीवाणु और इसी तरह अन्य चीजों की मूलभूत जानकारी आदि। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उन चिकित्सकों के लिये आधुनिक विज्ञानों में प्रशिक्षण के छोटे शिक्षाक्रम चालू किये जायें।

दूसरी बात यह है कि प्रसिद्ध डाक्टरों को औषधियों का अनुसंधान करने के लिये कहा जाये। सरकार वह पहले से ही कर रही है। आधुनिक तरीकों के अनुसार हम उनका प्रमापीकरण कर दें। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि हम कितनी गवेषणा करते हैं। अतः आप उसका उपयोग किया कीजिये और उन औषधियों का प्रमापीकरण कर दीजिये।

मैं चाहता हूँ कि हमारे मेडिकल कालेज में छात्रों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आयुर्वेदिक का अधिक अच्छा ज्ञान हो, विशेषकर, आयुर्वेद द्वारा सिखाये गये नीतिशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त। वे सिद्धान्त आज भी मार्गदर्शक और उपयोगी हैं।

हमारे नौजवान मित्रों को यह जानना चाहिये कि आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हो रही हैं। केवल २५ वर्ष की अवधि में ही अनेक औषधियों जैसे पेनिस्लिन, डी० डी० टी०, सल्फोनामाइड आदि का आविष्कार हुआ है। आज शल्य-क्रियाएँ भी बड़ी आसानी से हो जाती हैं। फिर भी मेरे विचार से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेद से भिन्न मानना गलत है। किन्तु यह बड़ी खतरनाक बात होगी कि तथा-कथित आयुर्वेदिक देशभक्ति के साथ अपने को जोड लें। हमें देशभक्ति और आयुर्वेद का मिश्रण नहीं करना चाहिये। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह औषधियों को सस्ते दर पर तैयार करें और लोगों को बिल्कुल निःशुल्क अत्युत्तम और अत्यधिक कार्यकुशल चिकित्सा-सहायता प्रदान करे।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : मेरे पास वक्त बहुत कम है और बातें मुझे इतनी करनी हैं कि मेरी समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ का जिक्र करूँ और किस चीज का न करूँ क्योंकि देहली में आप जानते हैं कि ज्यादातर जो काम होता है उसका ताल्लुक हैल्थ मिनिस्ट्री से ही रहता है और अब यह जो रिआरगनाइज़ेशन (पुनर्गठन) होने वाला है, इसके बाद तो सारा ही काम इस मिनिस्ट्री से आयेगा और उस पर विचार करने के लिये जो ४-५ घंटे आप यहां दिया करेंगे, उसमें न मालूम किस तरह से हम सब बातों पर विचार कर सकेंगे और उसके संग जस्टिस (न्याय) कर सकेंगे।

सबसे पहले थोड़े से शब्द मैं इस देहली डेवलपमेंट आथारिटी (विकास-प्राधिकार) के विषय में कहना चाहूँगी। अब रहा सवाल कि मकानात तोड़े जायें या न तोड़े जायें अथवा किसे नोटिस दिया जाय और किसे न दिया जाय, वह तो डिटेल्स (विस्तार) की बात है और बहुत कुछ सुधारी भी जा सकती है।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

लेकिन जो बेसिक (मूल) गलती उसमें है वह यह है कि ज़मीनों के बेचने पर आज कोई रुकावट नहीं है और होता यह है कि बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज़ अपनी-अपनी ज़मीनें बेच कर के चले जाती हैं और जिन बेचारे गरीब आदमियों को वह बेच देती हैं, ऐसे लोग जो अपेक्षाकृत ग़रीब होते हैं, थोड़ी-थोड़ी ज़मीन ख़रीद लेते हैं लेकिन उसके बाद उस पर मकान नहीं बना सकते। नक़शा तो पास होने की छोटी बात है पर दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां की ज़मीन १०, २० वर्ष में डेवलप होने वाली नहीं है और ऐसे इलाक़े में वह ज़मीन ख़रीद करके बैठे हैं और अगर उनको मकान बनाने की इज़ाजत न दी गई या उनके मकानात तोड़ दिये गये तो नामालूम उन बेचारों का क्या होने वाला है। इसलिये मुझे बहुत अदब के साथ आपकी ख़िदमत में यह अर्ज करना है कि जो हो चुका वह तो हो चुका लेकिन कम से कम आगे के लिये देहली में कुछ वक्त के लिये जब तक कि देहली का डेवलपमेंट प्लान (विकास योजना) तैयार न हो जाय तब तक के लिये और ज़मीनों की बिक्री देहली में बंद कर दी जाय। ज़मीन की बिक्री रोकने का जब सवाल पेश होता है तो उसके लिये कहा जाता है कि ऐसा करना फंडामेंट्ल राइट्स (मूलभूत अधिकार) की खिलाफवरज़ी करना होगा लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मंजूरी के बगैर दुमंज़िला या तीन मंज़िला मकान बना लेता है तो यह हाउस उसको तोड़ने की इजाज़त दे सकता है तो मुझे कुछ इसमें संदेह नहीं कि थाड़े अर्से के लिये वह ज़मीन बचना भी रोक सकता है।

दूसरी बात मुझे वाटर एंड स्यूवेज बोर्ड के बारे में कहनी है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि पिछली बार जब यहां पर जांडिस इन्क्वायरी कमिटी (पीलिया जांच समिति) की रिपोर्ट पर बहस हुई थी, उस वक्त कुछ गलतफ़हमी पैदा हो गई थी और जो जवाब हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने दिया था उससे भी यह गलतफ़हमी मिटी नहीं बल्कि बनी रही। मिनिस्टर महोदय ने उस वक्त कहा था कि यह जो वाटर एंड स्यूवेज बोर्ड है यह सैंटर (केन्द्र) के साथ ताल्लुक नहीं रखता है। इस स्पीच (भाषण) में मैं क्वोट (उद्धरण) नहीं करना चाहती क्योंकि उससे वक्त ज्यादा लगेगा और मैं अपने दूसरे प्वाइंटस पर बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन उन्होंने यह कहा कि सेंटर से इस बोर्ड का ताल्लुक नहीं है और खास तौर से उनकी मिनिस्ट्री के साथ तो इसका कतई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इस बात का भी एश्योरेंस (आश्वासन) दिया कि आगे से पानी का जो मामला है उसको सेंटर लुक आफटर (देखभाल) करेगा। मैं इस हाउस की तवज्जह बोर्ड की जो कांस्टीट्यूशन है उसकी तरफ दिलाना चाहती हूँ। यह बोर्ड सैंटर के एक्ट से ताल्लुक रखता है और जहां तक उसके लिये नामिनेशंस का ताल्लुक है, जहां तक पैसे का ताल्लुक है, जहां तक ग्रांट का ताल्लुक है, यह सब चीज़ें सेंटर से ही ताल्लुक रखती हैं। ऐसा भी मेरे नोटिस में आया है कि जहां तक दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का ताल्लुक है, किसी वक्त उसने सेंटर से यह प्रार्थना की थी कि जो डायरेक्टर आफ हैल्थ सर्विसिस है उसको भी इस बोर्ड में नामिनेट कर दिया जाना चाहिये। मैंने सुना है कि उनको यह जवाब दिया गया कि २० बरस से यह बोर्ड काम कर रहा है और अब इसमें किसी तबदीली की जरूरत नहीं है। जब फिर दिल्ली की गवर्नमेंट ने इसके बारे में लिखा तो कोई जवाब नहीं दिया गया और जब रिमाइंडर्स (स्मरण पत्र) भेजे गये तो कहा गया कि रिमाइंडर भेजने की कोई जरूरंत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ बात नहीं, कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, एपिडेमिक्स (व्यापक रोग) फैलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालने की कोशिश की जाती है, यह मुनासिब नहीं है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसी बात कहना जिससे कि हाउस के मैम्बर मिसगाइड (गलतफहमी) हों, यह तो बिल्कुल भी आपके लिये मुनासिब नहीं हैं। इस वास्ते मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगी कि यह जो बोर्ड है, इस की जो कांस्टीट्यूशन है, यह जो आथोरिटी है, इस चीज़ को क्लीयर (स्पष्ट) कर दिया जाये।

दिल्ली की हैल्थ सर्विसिस के साथ एक दो और बातें जुड़ी हुई हैं। एक यहां से पांच मील की दूरी पर बादली का डम्प है। इसके आस पास १०-१२ गांव हैं और वहां पर बीमारी फैल रही है। इन लोगों को

इस डम्प की वजह से बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। वहां के लोग कहते हैं कि हमारे गांव वालों को लोगों ने लड़कियां देना बन्द कर दिया है, हमारे गाँव वालों से शादियाँ करना बन्द कर दिया है इसकी वजह यही है जैसे कि मैंने आप से अभी कहा कि वहां पर कूड़ा फैल गया है, बीमारी फैल गई है। मैंने सुना है कि कोई ऐसी स्कीम बनाई गई थी जिससे कि कूड़ा डेंसट्रोय (नष्ट) करने के लिये कुछ मशीनें खरीदी जा सकें। दिल्ली बहुत छोटा शहर है और यहां पर इस तरह डम्पिगं ग्राउंड्स (कूड़ा करकट की जगहें) बनाये जायें, इसको यह एफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि इस स्कीम को टर्न डाउन (रद्द) कर दिया गया है। इसी तरह से शहर के बीचोंबीच कुतब रोड पर कूड़ा फेंकने की एक जगह है। वहां पर एक प्लेटफार्म इसी काम के लिये बनाया गया है। जब यह प्लेटफार्म बनाया गया था उस वक्त दिल्ली की आबादी तीन साढ़े-तीन लाख की थी। लेकिन आज जब दिल्ली की इतनी ज्यादा आबादी हो गई है फिर भी वहां पर कूड़ा जमा किया जाता है। वहां से इस कूड़े को बाद में शहर से बाहर ले जाया जाता है। ऐसी भी कोई स्कीम आई थी जिससे कि कूड़ा सीधे ही शहर से बाहर ले जाया जा सके। मुझे पता चला है कि वह स्कीम भी नामंजूर कर दी गई है। हो सकता है कि गवर्नमेंट के सामने और स्कीमें हों। अगर ऐसा है तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूँगी कि वह उन स्कीमों को हमारे सामने रखें।

अब थोड़ा-सा मैं फूड एडल्ट्रेशन (खाद्य अपमिश्रण) के बारे में कहती हूँ। फूड एडल्ट्रेशन के बारे में हम ने जो कानून बनाया है वह ऐसा है कि जब खुराक की चीज़ में मिलावट की जाती है तो उसके लिये काफी सख्त सज़ा दी जाती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि जो बड़ी-बड़ी मिलें हैं, जहां पर तेल निकाला जाता है, जहां पर आटा पीसा जाता है, वहां से जो सैंम्पल (नमूने) हैल्थ आथोरिटी की तरफ से लिये जाते हैं, वह भी फेल हो जाते हैं, और जो छोटे से छोटा दुकानदार है, उसके यहां से भी जो सैंम्पल लिया जाता है, वह भी फेल हो जाता है अब इन दोनों को एक सा ही फाइन (जुर्माना) किया जाता है। जो मिल मालिक हैं वह तो जुर्माना बड़ी आसानी से दे सकता है और साथ ही रिश्वत दे कर अपना छुटकारा पा सकता है लेकिन जो गरीब दुकानदार है, उसके लिये न रिश्वत देना सम्भव है और न ही इतना ज्यादा जुर्माना। यह दुकानदार जो कि दो-दो और चार-चार पैसे के पैकेट बेचता है, किस तरह से इतना ज्यादा जुर्माना अदा कर सकता है। हमारे पास कुछ दुकानदार आये और उन्होंने अपनी मुश्किलात हमें बतलाई। उनकी शिकायतें बहुत हद तक सही हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाये कि जहां पर चीज़ें बनती हैं वहीं पर इनको टेस्ट किया जाये और टैस्ट करने के बाद सील कर दिया जाये और तब फिर इन चीज़ों को दुकानदार के पास भेजा जाये और अगर फिर भी कोई मिलावट का पता चले तो इन दुकानदारों को जिम्मेवार न ठहराया जाये।

अब सब से इम्पार्टमेंट (महत्वपूर्ण) जो सब्जेक्ट (विषय) है और जिस पर मैं अब आना चाहती हूँ वह स्लम क्लीयरेंस का है। हम लोग दिल्ली वाले अपना अहोभाग्य समझते हैं कि हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने घूम फिर कर इन जगहों का दौरा किया। उन्होंने इन स्लम्स को देखा। पर सच जानिये कि इन स्लम्स में रहने वाले डर गये हैं और खौफज़दा फील (महसूस) करने लग गये हैं। उनका कहना है कि आज तक तो हम अपनी गरीबी को छिपाये बैठे थे, लेकिन अब न जाने क्या होने वाला है। हमारे मकान खराब थे, यह हम मानते हैं, लेकिन उन में रह कर अपनी रोटी तो कमा रहे थे। उनको पता नहीं कि उनको उठा कर अब कहां और कितनी दूर फेंका जाने वाला है। अब हो सकता है कि उनका खाने का अधिकार भी उनसे छिन जाये। इस वास्ते मैं प्रार्थना करती हूँ कि आनरेबल मिनिस्टर आज अपनी पालिसी स्लम क्लीयरेंस के बारे में इस सदन में साफ-साफ बता दें। बहुत बार कई किस्म के बिल इस मिनिस्टरी से ताल्लुक रखने वाले इस सदन में आये और उस वक्त भी इस चीज़ का ज़िक्र आया। हमारे कई आनरेबल मैम्बर्ज़ ने कहा कि हमें लिख कर एश्योरेंस मिलना चाहिये। लेकिन मैं उन लोगों में से थी जिन्होंने कहा कि मैं ज़बानी कह देना और नोटिस में ला देना काफी समझती हूँ। मगर मुझे

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

इस बात का अफसोस है कि इतना करने के बावजूद भी आज हम लोगों को उन एश्योरेंसिस (आश्वासनों) से इतमिनान नहीं है, भरोसा नहीं है कि स्लम क्लीरेंस के बारे में, कौन सी पालिसी एडाप्ट की (अपनाई) जाने वाली है। स्लम क्लीयरेंस का मतलब यह है कि लोगों को अच्छे मकान दिये जायें, बेहतर मकान दिये जायें न कि यह है कि एक अमीर आदमी की नज़र से, पैसे वाले आदमी की नज़र से उस दुःखी और दरिद्र को उठा कर कहीं छिपा दिया जाये और उसको उसकी नज़र से ओझल कर दिया जाये, जैसे पुराने ज़माने में जब राजकुमार और राजकुमारियां सैर को जाया करती थीं तो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई बीमार उनको नजर न आ जाये और उसको उनके सामने नहीं आने दिया जाता था। हमारी नई दिल्ली वाले शायद इस कोशिश में हैं, कि वह हमारी हकूमत से यह करवायें कि उनको अपनी आंखों से ओझल करके ऐसी जगह फेंक दिया जाये, जहां किसी की नज़र न पड़े। अध्यक्ष महोदय, हम को सब से पहले इस चीज़ पर साफ हो जाना चाहिये कि स्लम क्लीयरेंस का मतलब क्या है। स्लम क्लीयरेंस का मतलब यह है कि जहां पर वे लोग रहते हैं, उस ज़मीन को डिवेलेप किया जाये और कोशिश इस चीज़ की की जाये कि उन लोगों में से ज्यादा से ज्यादा को वहीं पर ज़मीन दी जाये। बाकी जो लोग बच जायें, उनको जो उसके सब से ज्यादा नज़दीक जगह है वहां पर बसाया जाये। मैं यह नहीं कहती कि अगर आपको कोई ज़मीन पब्लिक इंट्रेस्ट (सार्वजनिक हित) में चाहिये तो आप उस ज़मीन को न लें। लेकिन मैं यह अवश्य चाहती हूँ कि नज़दीक से नज़दीक जहां पर भी ज़मीन अवेलेबल (उपलब्ध) हो, वह उनको दी जाये। मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूँ कि वहां पर सौ-सौ बरस से लोग रहते हैं। अगर सौ बरस के बाद आज हकूमत प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) हो जाये, सोशलिस्ट स्टेट कायम करना चाहे, अगर उसके दिमाग में यह आ जाये कि नीरो की तरह से बरबाद कर के हम एक नया शहर बनायें, तो यह काम होने वाला नहीं है। इसके लोगों को रोज़गार मिलने वाला नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ स्टेट का, मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ, अगर हमने ऐसा किया तो हम एक समाजवादी ढांचा तो नहीं, हां एक समाजवादी झांसा ज़रूर बना लेंगे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज़ करती हूँ कि दिल्ली में रफ (स्थूल) गिनती पर ७००० कटड़े ऐसे हैं जिनकी कि सफाई होनी चाहिये। उनमें से १२० इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के हैं, १४० कस्टोडियन के हैं और बाकी प्राइवेट लोगों के हैं। मुझे यह अर्ज़ करना है कि कटड़े जो शहर के बीच हैं इनकी ज़मीन को एक्वायर (अर्जन) करना चाहिये और अपने कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो पास करवाया है, अगर हो सके, तो उसका इस्तेमाल इस वक्त करें और उससे फायदा उठायें। मैं कहती हूँ कि एक अमीर से ज़मीन छीन कर दूसरे अमीर को देने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें इन गरीब लोगों का ध्यान रखना है और इनके लिये कुछ करना है। जो कानून पास किया गया है अगर उसका इस्तेमाल दिल्ली जैसी जगह के लिये नहीं किया गया तो और कहां आप करेंगे। इसलिये मैं अर्ज़ करती हूँ कि उन ज़मीनों को एक्वायर करके वहां पर जहां तक हो सके, इन लोगों को जिन को कि हटाया जायेगा, बस्तियां बना कर बसाने की हमें कोशिश करनी चाहिये। इस सिलसिले में मैं एक खास बस्ती का भी जिक्र कर देना चाहती हूँ, इसलिये कि उस बस्ती का जिक्र यहां पर कुछ सवाल और जवाबों के सिलसिले में आया था और आनरेबल मिनिस्टर ने जवाब दिया कि उस बस्ती के लिये जो कुछ हो रहा है वह पबलिक के नुमायन्दों की और सब लोगों की राय से हो रहा है। यह जवाब बड़ा मिसलीडिंग (भ्रान्ति जनक) है। मैं जमुना बाजार का जिक्र करना चाहती हूँ जहा पर कि स्लम क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। हमारी इन तमाम मीटिंग्स के बाद ये तै हुआ कि उन लोगों को वहां आबाद करने की कोशिश की जायेगी। हमारे आनरेबल मेम्बर श्री राधा रमण जी ने कहा कि इसके लिये एक लिखित एश्योरेंस दिया जाये कि वहां पर दो-तिहाई या एक-तिहाई ही लोग बसाये जायेंगे। उस समय हमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि कह देना काफी है। लेकिन इन सब बातों के बाद एक मीटिंग बुलायी गयी और उसमें यह कहा गया कि जो जमुना बाजार की जमीन है उसमें किसी

को आबाद नहीं किया जायेगा बल्कि वहां पर एक खुला लान (घास का मैदान) लगाया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि यह फैसला कैसे किया गया। क्या ये दिल्ली के गरीब आदमी घास खाया करेंगे ? अगर आप उनके घरों की जमीन पर घास लगायें तो उन लोगों को वह पसन्द भी नहीं आयेगी और उनके लिये मुनासिब भी नहीं होगी। उस मीटिंग में आगे यह कहा गया कि उस जगह पर जो मकान बन गये हैं उनको एक्वायर करके गिरा दिया जायेगा और जो प्लाट बिक गये हैं उनको वापस खरीद लिया जायेगा और वहां सब जगह पर घास ही घास लगा दी जायेगी। आज सवाल जवाब में आनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि जो भी मकान बन गये हैं उनको गिराने का सवाल नहीं है और उनको हटाने का सवाल भी नहीं है। मतलब यह है कि जैसा पहले तै हुआ कि उनको हटाया जायेगा, अब नहीं किया जायेगा। मैं इस चीज़ को साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं उनको हटाने के हक में नहीं हूँ। ये बहुत बड़े-बड़े मकान हैं जो आपकी इजाज़त और कायदे और कानून के मुताबिक बने हैं। मैं नहीं चाहती कि उनको गिरा दिया जाये। ना मैं यह चाहती हूँ कि इन मकानों को लाखों रुपये में खरीद कर आप उनकी जगह पर रह रहे हैं जगह पर घास लगायें। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये लोग बीस-बीस और तीस-तीस साल से इस जगह पर रह रहे हैं और गवर्नमेंट को किराया दे रहे हैं। अगर आप कोई स्कीम बना कर उनको वहां से हटा दें और उनकी जगह पर पैसे वालों के मकान बन जायें, तो यह स्कीम हमें पसन्द नहीं आ सकती। उस वक्त यह भी कहा गया था कि इन लोगों के लिये दूसरी जगह मकान बनाये जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से दरखास्त करूँगी कि वे इन दोनों जगहों को जाकर देखें। इस बस्ती में रहने वाले मोची हैं, जिनकी बीवी भी काम करती है, बच्चे भी काम करते हैं और वे खुद भी काम करते हैं। ये लोग गली-गली घूम-घूम कर जूतियों की मरम्मत करते हैं। अब अगर इन लोगों को यहां से दस मील या ६, ७ मील दूर ले जाया जायेगा तो ये लोग गलियों में घूम-घूम कर काम नहीं कर पायेंगे। उस बस्ती में तांगे वाले रहते हैं। अब मान लीजिये कि इन लोगों को शहर से सात-आठ मील दूर बसाया जाता है, तो उसका नतीजा क्या होगा ? इनको काम नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि जो लोग दूर से आते हैं वे मोटर रिक्शा पर या बस पर आते हैं तांगों पर नहीं आते। तीसरे लोग यहां पर साईकल रिक्शे वाले रहते हैं। ये लोग तीन सौ के रिक्शे के लिये मालिक को रोज पांच रुपये देते थे। हम लोगों ने साल भर कोशिश करके उनकी सोसायटी बनायी जिससे कि ये लोग पांच आना रोज में अब रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप इनको दूर हटाकर अच्छा मकान भी दे दें तो ये उसमें क्या कर सकते हैं। अगर आपइनको शाहदरे के पार या शहर से दस मील दूर पर ले जा कर रख दें या ओखला की तरफ नई दिल्ली में रख दें तो ये लोग अपनी रोजी किस तरह कमा सकते हैं। नई दिल्ली में तो रिक्शा चलता नहीं। इनको अपना काम करने के लिये सात-आठ मील खाली शहर तक आना होगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि इनको इतनी दूर ले जाना मुनासिब नहीं है।

मैं यह भी अर्ज कर दूं कि उस मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि अगर जमुना बाजार के लोगों की कोआपरेटिव सोसाइटी (सहकारी समिति) जमीन लेना चाहेगी तो उसको जमीन दी जायेगी ताकि ये लोग मकान बना लें। उस चीज़ को भी मना कर दिया गया।

आखिर में मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो सर्विसेज़ हैं इनको शहर से बाहर ले जाने से सिर्फ इन्हीं की तबाही नहीं होगी, इस से आम लोगों की भी तबाही होगी। दिल्ली में जितने मिडिल क्लास (मध्य वर्ग) के लोग बसते हैं उनको इनसे सस्ती सर्विस मिल जाती है। हो सकता है कि अगर एक मोटर वाले की जूती टूट जाये तो उसका नौकर या ड्राइवर उसको कागज में ले जा कर ओखले से मरम्मत करवा लाये। लेकिन अगर मेरी चप्पल टूट जायेगी तो वह ओखले को मरम्मत के लिये नहीं जा सकेगी। तो इन लोगों से छोटे लोगों को सस्ती सर्विस मिलती है। अगर इन दो सौ, चार सौ कटरों से इन लोगों को हटकर शहर से आठ-दस मील के फासले पर रख दिया जायेगा तो सिर्फ ये लोग ही बेरोजगार नहीं हो जायेंगे बल्कि शहर के बहुत से रहने वालों को सस्ती सर्विस नहीं मिलेगी।

अब मैं नई दिल्ली के प्लानिंग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक ऐसा विषय है जिस पर कई दिन तक चर्चा हो सकती है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : नई दिल्ली में अच्छे-अच्छे भवन दिखायी देते हैं और शायद उन्हीं को देख कर पुरानी दिल्ली को भी वैसा ही बनाने की बात सोची जा रही है । नई दिल्ली की इन बस्तियों में जो नौकर चाकर रहते हैं उनके बच्चों के पढ़ने के लिये कोई जगह नहीं बनायी गयी है । इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । नई दिल्ली में धोबियों के रहने के लिये कोई जगह नहीं बनायी गयी है । तो मेरा कहना यह है कि अगर दिल्ली के लिये प्लान बनाते वक्त हमारे सामने सिर्फ यही उद्देश्य रहेगा कि हमको इन लोगों को अच्छे मकान देने हैं और कोई दूसरा उद्देश्य हमारे सामने नहीं रहेगा, तो इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है । मैं चाहती हूँ कि आनरेबल मिनिस्टर इस बात को साफ कर दें । जब से प्रधान मंत्री ने अभी शहर का दौरा किया है तब से गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के दिल में खोफ फैल गया है । वह कहते हैं कि हमारे मकान खराब थे लेकिन हमको यहां रोटी तो मिलती थी । मैं अर्ज करूँगी कि स्लम क्लियरेंस करते वक्त हमको उनके रोजगार का भी ध्यान रखना चाहिये । मैं चाहती हूँ कि आनरेबल मिनिस्टर इस बारे में उनको आश्वासन दें ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद—पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ थोड़े से शब्द स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से निवेदन करने हैं ।

अभी मेरी बहिन दिल्ली के घरों के सम्बन्ध में जो बातें कह रही थीं उनमें मैं उनसे सहमत हूँ । मैं प्रधान मंत्री जी के इस वाक्य से सहमत हूँ, उसका आदर करता हूँ, कि दिल्ली में जो गन्दगी बस्तियां हैं वे जला देने योग्य हैं । लेकिन जला देने के योग्य होना तो एक बात है, वास्तव में जला देना दूसरी बात है । इसके पहले कि दियासलाई ले कर प्रधान मंत्री जी या उनके आदमी वहां पहुँचें यह तो उचित ही है कि वहां रहने वालों के लिये दूसरी जगह रहने का प्रबन्ध कर दिया जाये । इस प्रकार की भूल कुछ हमारे दूसरे विभागों ने, विशेष कर पुनर्वास विभाग ने, पहले भी की है कि लोगों को हटा दिया बिना इस बात का यत्न किये हुये कि उनके लिये अलग स्थान दिये जायें। बहुत लोगों जगहों पर उन्होंने स्थान दिया मगर कई जगह पर इसमें कमी पड़ गयी । जो चेतावनी हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी को दी गयी है वह बहुत सामयिक है ।

यह जलाने की बात सुन कर मेरे कान भी खड़े हुए । यह मैं जानता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने जो जलाने की बात कही तो वह उन्होंने नाप तौल कर ही कही होगी । परन्तु यह दीन लोग जो वहां बसे हैं वे प्रसन्नता से अपने घर में आग न लगाने देंगे । वे बैरागी नहीं हैं, यह घर जलाने की बात हमारे देश में पुराने समय से चली आ रही है । एक फकीर ने कहा था :

"कबिरा खड़ा बाज़ार में लिये लुआठी हाथ,
जो घर जारै आपनो चले हमारे साथ ।"

मैं जानता हूँ कि हमारी मंत्रिणी जी और हमारे प्रधान मंत्री जी भी कबीर जी के साथ अपने घर में आग लगाने के लिये तैयार नहीं हैं लेकिन फकीर खड़ा बुला रहा है "लिये लुआठी हाथ" । आप जानते हैं यह लुआठी आपकी दियासलाई की तीली से ज्यादा मजबूत होती है । उसमें आग जल रही है । उसको लेकर बाजार में खड़ा हो कर वह चिल्ला रहा है, प्रधान मंत्री से भी ज्यादा उसकी कर्री आवाज़ है । वह बुला रहा है और मेरे साथ वह आये जो अपना घर जलाने को तैयार हो । अपना अपना घर जलाने के बाद यदि हम औरों के घर जलाने की चिल्ला करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा । मैं जानता हूँ कि गन्दी बस्तियां जलाने की बात प्रधान मंत्री जी के हृदय से निकली हैं और उसमें उन का दर्द छिपा हुआ है । उसके सम्बन्ध में हमें इतना ध्यान रखना है कि हम गन्दी बस्तियों को तो जलायें लेकिन किसी के रहने का जो घोंसला हो उसको न जलायें ।

†मूल अंग्रेजी में

मैं स्वास्थ्य के विषय में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस विषय में हमारी मंत्रिणी जी मुझ से पूर्णतया सहमत नहीं हो सकतीं। वह ऐसे स्थान पर हैं और गवर्नमेंट के ऐसे चक्कर में हैं कि यदि वह हम से सहमत नहीं है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है क्योंकि वह चक्कर सब गवर्नमेंटों का होता है। उनके पास नीचे से ऊपर तक एक विशेष वायुमंडल बना हुआ है। उनके नीचे उनके सचिव हैं और सचिव के नीचे और सचिवगण हैं फिर उनके नीचे अस्पताल हैं और डाक्टरगण हैं जिनके निहित स्वार्थ हो गये हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट्स (निहित हित) हैं। डाक्टरी का जो पेशा है, उसके अन्दर वह शुद्ध भावना जो हमारे देश में आयुर्वेद के विषय में किसी समय समझी जाती थी, आज नहीं है। इस तरह की कोई शुद्ध भावना आज आयुर्वेद के वैद्यों में हो, ऐसी बात भी नहीं है सब ओर पैसा ही पैसा, इसकी ही महत्ता दिखाई देती है। आज जिस एलोपैथिक क्रम को अधिकारी लोग सहारा दे रहें हैं वह इस प्रकार से हमारे देश में सहारा देने योग्य नहीं है। कुछ भाइयों ने जो इस सम्बन्ध में कहा है, मैं भी उनकी ध्वनि में अपनी ध्वनि मिलाता हूँ। मैं तो बहुत पुराना इस बात को मानने वाला हूँ कि इस विषय में महात्मा गांधी के जो विचार थे वे बहुत वैज्ञानिक थे। वह केवल आकर्षक भावना के कारण नहीं थें परन्तु वे वैज्ञानिक विचार थे। मैं तो ऐसा समझता था कि हमारी मंत्रिणी जी, जिनको गांधी जी के निकट सम्पर्क में रहने का सौभाग्य मिला था, जिन्होंने गांधीजी का इतना गहरा साथ किया था उन पर गांधी के विचारों की गहरी छाप पड़ी होगी . . . .

एक माननीय सदस्य : असर नहीं पड़ा।

श्री टंडन : इस बात में वे भाग्यशालिनी थीं कि बहुत पास से गांधीजी को उन्होंने देखा और बहुत दिन तक उन का काम किया। उन्होंने देखा होगा कि गान्धी जी किस प्रकार से रोगियों को अपने यहां बैठाते थे, खुद उनकी सुश्रषा करते थे, डाक्टरों की दवाई नहीं देना चाहते थे और स्वयं उनकी अपने ढंग पर चिकित्सा करते थे। उनकी चिकित्सा का क्रम पानी, भाप और मिट्टी होता था। यह उनकी दवाइयों का रास्ता था। गांधीजी का इन तत्वों में कितना विश्वास था, यह भी मंत्रिणी जी को पता है। मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो यह कहने वाले हैं कि गांधी जी ने जो भी बात कही वह सोलहों आने सही है, और चाहे वह ग़लत हो या सही हो, वह मान ही ली जाये। यदि हमारी मंत्रिणी जी ने गांधी जी के विचारों के सम्बन्ध में नाप तोल की हो और वह इस नतीजे पर पहुंची हो कि गाँधी जी के विचार इस विषय में ग्राह्य नहीं हैं, तब मैं उनके क्रम को समझ सकता हूँ मगर मेरा निवेदन है कि गांधी जी के विचार वैज्ञानिक हैं और आज के युग में भी आधुनिक विचार करने वाले बहुतेरे उनके साथ हैं।

मैं चाहता हूँ कि हमारी मंत्रिणी जी इंग्लैण्ड में कुछ वर्षों से जो एक विगैन सोसाइटी है, उसके समाचारपत्र और साहित्य कर पढ़ा करें, विगैन सोसाइटी को जो मुख्य पत्रिका निकलती है वह बहुत अधिक मूल्य की नहीं है, थोड़ा उसको देखें और जो बड़ा साहित्य प्राकृतिक चिकित्सा (नैचुरोपैथी) का है उसको भी देखें। यह नैचुरोपैथी महज़ एक इलाज का ही ढंग नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ-साथ एक जीवन के रहने का क्रम है, हमारी मंत्रिणी जी के ऊपर एलोपैथिक क्रम का इतना गहरा असर पड़ा है कि उस विषयुक्त असर को हटाने के लिये उन्हें थोड़ा दूसरा साहित्य भी पढ़ना चाहिये। कुछ बड़े बड़े एलोपैथिक डाक्टरों ने भी कहा है कि यह तीव्र दवाईयों का क्रम अच्छा नहीं है। मुझ को याद है कि इंग्लैण्ड के एक रायल फ़िज़िशियन ने कहा था कि अज तक जितनी दवाइयां बनी हैं, जितनी दवाइयां आलमारियों में मौजूद हैं, अगर यह सब की सब उठा करके समुद्र में फेंक दी जायं तो मनुष्य मात्र का इसमें भला ही होगा, अलबत्ता समुद्र की मछियों को हानि हो जायेगी। यह किसी नैचुरोपैथी का कहा हुआ वाक्य नहीं है, आयुर्वेद वालों का नहीं है बल्कि यह एक बहुत

[श्री टंडन]

अनुभवी एलोपथिक डाक्टर ने बुढ़ापे में अपने स्वयं के अनुभव से यह बात कही है । इस तरह की यह कोई एक अकेली राय नहीं है बल्कि अगर आप कहें तो मैं आपको सैकड़ों एलोपैथिक डाक्टरों के वाक्य दिखला सकता हूँ जिन्होंने अपने अनुभव के बाद यह कहा है और यह घोषणा की है कि हमारा जो क्रम है, दवाई देने का, वह ठीक नहीं है और इसमें बहुत त्रुटियां हैं । मैं ने स्वयं भी थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं और मैं ने उनमें डाक्टरों को अधिक दवा देने के इस क्रम के विरुद्ध लिखते देखा है । कलकत्ते का जो ट्रापिकल इंस्टीच्यूट आफ़ मेडिसिन है, उसके एक प्रिंसिपल द्वारा लिखी हुई डाक्टरी की एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें उन्होंने शरीर के अन्दर जो जर्म्स (कीटाणु) विद्यमान होते हैं उनके मारने के जो करें सोधन चले हुए हैं, उनका विरोध किया है और उन्होंने लिखा है कि यह जर्म्स को मारने का बड़ा हिरोइक (तीव्र) तरीका है और जर्म्स को इस तरह मारने में हमें नुक़सान पहुँचने की सम्भावना बनी रहती है क्योंकि जब हम जर्म्स को मारते हैं तो कुछ न कुछ ज़हर तो हमारे शरीर में जाता ही है और उससे और दूसरे क़िस्म के नुक्सान भी हमें पहुँच सकते हैं । जर्म्स मारने के लिये एलोपैथिक क्रम में संख्या (आर्सेनिक) का प्रयोग किया जाता है और बहुत सी दवाइयां बनती हैं जिनमें संखिया होती है । डाक्टर जानते हैं कि संखिया के आधार पर कितनी ही दवाइयां बन चुकी हैं और उनको प्रयोग में लाया जाता है । लेकिन मैं ने एक हार्ट स्पैशलिस्ट (हृदय विशेषज्ञ) की लिखी हुई किताब पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ है कि संखिया की दवाई न देनी चाहिये क्योंकि उससे नुक़सान हो जाने का डर है । और उन्होंने आयोडिन से बनी दवाइयों की सिफारिश की है । इंग्लैंड के एक बड़े भारी हार्ट स्पैशलिस्ट (हृदय विशेषज्ञ) थे उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसी राय दी थी । परन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि आयोडिन की दवाइयों में क्या ज़हर नहीं होता ? मैं एक दफ़ा बीमार पड़ा तो एक डाक्टर ने संखिया (आर्सेनिक) की प्रसिद्ध दवाई कारबोरेसान का सुझाव दिया, दूसरे डाक्टर ने जो उन हृदय विशेषज्ञ के चेला थे जिन की मैंने अभी चर्चा की कारबोरेसान लेने को मना किया और आयोडिन से बनी दवा, जिसका नाम भूल रहा हूँ, लेने के लिये कहा । मगर मैं ने सोचा कि यह दोनों विष हैं । 'ए प्लेग ऑन बोथ योर हाउसेज़'' वाली बात ठीक है । मैं न यह दवाई लूं और न वह दवाई लूंगा । हृदय का मुझ को कष्ट था । एक आइरिश सिविल सर्जन थे, जो बहुत भले पुरुष थे, उन्होंने मुझ से कहा कि यदि तुम सार्वजनिक भाषण बन्द कर दो तो तुम पांच वर्ष तक जीवित रह सकते हो । यह १९३९ की बात है । इस प्रकार की चेतावनी उन्होंने मुझे दी । आज मैं उन का कृतज्ञ हूँ । मैं मानता हूँ कि बहुत से एलोपैथिक डाक्टर बड़े सज्जन होते हैं, उनके हृदय में करुणा भाव होता है । परन्तु वे बेचारे क्या करें, उन को तो वही एक प्रकार से पाला गया है और उस क्रम के वे गुलाम हैं । मेरा निवेदन है कि हमारी मंत्रिणी जी देश को इस गुलामी से बचावें । आयुर्वेद के हमारे देश में कई क्रम हैं, उनको आप देखिये ।

हमारे देश में प्राकृतिक क्रम है, उसको कुछ रास्ता दीजिये, मूल कर्तव्य यह है कि बीमार पड़ने से ही बचाइये । एक पुराने यूनानी डाक्टर ने कहा था कि जब किसी बीमार को देखो तो समझ लो कि यह लुच्चा है, असल बात यह है कि हम सब प्राकृतिक नियमों को तोड़ा करते हैं । जाननेंद्रिय और जिह्व इंद्रिय, इन दो के द्वारा हम अपने शरीर का नाश करते हैं । फिर जो कुछ हम बचाते हैं, उनको तीव्र दवाइयों से भी हम नाश करते हैं । यह जो बी० सी० जी० वैक्सीनेशन आपने शुरू किया है, यह भी नाश का एक कारण है । हमारे भाई श्री राजगोपालाचारी जी ने इस विषय म कुछ लिखा और आपने उन को जवाब दे दिया । आप को अधिकार प्राप्त हैं और आपकी बात मानी ही जायेगी । आपका ठेंगा सब के सिर पर चलेगा । परन्तु मैं कहता हूँ कि आपने जो दलील दी, वह मेरे हृदय को लगी नहीं । उस दलील का मेरे हृदय पर कोई असर नहीं हुआ । यह बी० सी० जी० का वैक्सीनशन एक अजीब चीज़ है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार के विवादास्पद विषयों में, माननीय सदस्य सभापति को संबोधित करेंगे।

श्री टंडन : हमारी मंत्रिणी जी मेरे वाक्यों को कोई कड़वाहट के वाक्य न समझें। जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, यह प्रेमपूर्वक कर रहा हूँ। परन्तु मैं यह जानता हूँ कि उन का मत एक प्रकार का है और मेरा मत दूसरी प्रकार का है। मैं तो अपना मत ही इस सदन के सम्मुख रख रहा हूँ। यह जो मेरा मत है, कोई नया मत नहीं है, यह पुराना है। मैं केवल बी० सी० जी० के ही विरुद्ध नहीं हूँ। मैं यह भी देखता हूँ कि हर बीमारी में, चाहे वह छोटी हो या बड़ी सुई लगाने का क्रम चल रहा है, यह क्रम गलत है, इस चीज़ को मैं डाक्टरों से भी कहना चाहता हूँ। जब बीमारी आती है, तो उसके जर्म्स को मारने के लिये जो कुछ किया जाता है, यह गलत है। इस सिद्धान्त को ही मैं गलत मानता हूँ। यह सिद्धान्त जिस को पासट्यूर ने निकाला, मैं गलत मानता हूँ। जर्म्स रोग का कारण है, या जर्म्स स्वयं रोग के परिणाम हैं, यह कार्य कारण समझने का भेद है। कारण जर्म्स हैं या कारण कहीं और है, यह हमें देखना है। आज जो हम जर्म्स के पीछे पड़े हैं, तो हमें हर जगह जर्म्स ही जर्म्स दिखाई पड़ते हैं। वायुमंडल में जर्म्स हैं, शरीर के भीतर जर्म्स हैं और हम समझते हैं कि किसी तरह से इन हानिकर जर्म्स को मारना ही हमारा कर्त्तव्य है। मुझे यह लगता न कि आप ईश्वरीय नियम के विरुद्ध हैं। इसी कारण से आप ऐसी-ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो हमारी आयु को घटाने वाली हैं। परिणाम यह हुआ है कि मैटीरिया मैडिका में जो दवाइयां लिखी हुई हैं वह बहुत बढ़ गई हैं। अगर आप देखें तो आप को पता चलेगा कि बीमारियों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। ५० बरस पहले जो पुस्तकें लिखी गई थीं, उनको अगर आप उठा कर देखें तो आपको जो नई-नई बीमारियां अब चली हैं, वह नहीं मिलेंगी। मनुष्य की आयु बढ़ी नहीं है। आज इन बहुत सी दवाइयों के कारण हमने उसके शरीर को कमज़ोर ही किया है। जो शक्ति उसमें बरदाश्त की होनी चाहिये, वह कम होती जा रही है, मेरा सुझाव यह है कि मंत्रिणी जी दवाइयों पर व्यय करने की अपेक्षा लोगों को स्वास्थ्य बनाने की ओर अधिक ध्यान दें।

मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि आप गांव की तरफ देखिये। उनको दवाइयां न भेजिये। उनको रहने का ढंग बताइए आप यह देखिये कि उनकी गलियां स्वस्थ हैं उन के आस-पास गंदगी तो नहीं है। मैंने कई बार उनके घरों के लिये आध-आध एकड़ भूमि देने की बात कही है लेकिन उस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। आप कुछ थोड़ी ही ज़मीन तो उनको दें ताकि एक घर दूसरे घर के साथ मिलने न पावे, इनफेकशन फैलने न पावे, स्वस्थ वायु हो, ईश्वर का तेज पहूँचे और ताज़ी हवा और रोशनी उनको मिले। यह सब चीज़ें विष को मारने वाली हैं, और स्वास्थ्यकर हैं। आप करोड़ों रुपया इन किसानों पर खर्च कीजिये। अभी आप करोड़ों रुपया इन दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप इन दवाइयों पर रुपया खर्च न करें।

एक पहलू इस विषय का और है; आप जितना रुपया इन दवाइयों पर खर्च करती हैं, उसका बड़ा हिस्सा देश के बाहर जाता है। इस कारण से भी मैं इस का विरोध करता हूँ। इस प्रकार विलायत से दवाइयां मंगाना मुझे उचित दिखाई नहीं पड़ता। इस आर्थिक पहलू को भी आप को ध्यान में रखना है लेकिन मैं इस आर्थिक पहलू को गौण मानता हूँ। मुख्य पहलू स्वास्थ्य का है।

आपने हाल ही में एक बयान रिक्षा वालों के बारे में दिया था। मेरा अनुमान है कि शायद श्रम विभाग का इस से सम्बन्ध है। लेकिन आपने स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा था कि कुछ आज्ञायें गई है राज्य सरकारों को। मैं आप से इस बात में सहमत नहीं हूँ। इतना कह सकता हूँ कि करुणा उनके प्रति मेरी स्वाभाविक है। मैंने कुछ अन्दर घस कर उनके जीवन को देखा है और जब श्रम विभाग की

[श्री टंडन]

बारी आएगी, उस समय मैं कुछ कहूँगा। लेकिन आप से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी की रोटी छीनने से पहले उसको रोटी देने की तैयारी आप को करनी है। हमारे देश में रोटी छीनना तो बहुत आसान है, लेकिन रोटी सुलभ करना मुश्किल है। छोटों की तो रोटी छीनी जाती है लेकिन बड़े-बड़े लोगों को रोटी पहुँचाई जाती है। यह गरीब रिक्षा वाला तो लोगों को ले जाता है और अपना पेट भरता है। सम्भवत: आपने यह इस लिये किया है कि वह मनुष्य को खींच कर ले जाता है, और आप की दृष्टि में उचित नहीं है। अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि लखनऊ में एक आदमी जो कि रिक्शा में जाया करता था, उसके हृदय में करुण आई और उसने रिक्शा छोड़ दी और इक्के में बैठ कर गया। रिक्शा वाले ने देखा और वह उसके पास आया और कहने लगा कि साहब, क्या मुझ से कुछ कसूर हो गया है कि आपने रिक्शा में बैठना छोड़ दिया है। साहब ने कहा कि नहीं भाई यह बात नहीं है और आप लोगों का दिया हुआ कारण उसने उसे बता दिया। इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा कि पहले हमें ज़हर दे कर मार दो और फिर इक्के पर बैठो। जब श्रम विभाग की डिमांडस यहां पर प्रस्तुत होंगी उस समय मैं उनसे बात करूँगा। आज मैं आपने जो आज्ञा स्वास्थ्य को दृष्टि में रखकर भेजी हैं, उसके बारे में ही कह रहा हूँ। जब यह कहा जाता है कि रिक्शा खींचना स्वास्थ्य-कर नहीं है तो मुझे उस मिल का ध्यान आता है जहां पर रुई की धुनाई होती है और चारों तरफ रुई के अंश उड़ते फिरते हैं। वहां काम करना किसी हालत में स्वास्थ्यप्रद नहीं कहा जा सकता। यही हालत खानों की है। यही हालत भंगियों की है। वे लोग गन्दगी उठाते फिरते हैं। मैंने तो कई भंगियों को इस काम को छोड़ देने की भी सलाह दी थी। परन्तु मैं कहता हूँ कि किसी का रोजगार छीनने से पहले, उसकी रोज़ी का कुछ प्रबन्ध कीजिये। अगर यह देखना है कि कोई काम स्वास्थ्य-कर है या नहीं तो फिर आपको एक सूची बनानी पड़ेगी।

तब स्वास्थ्य विभाग को बहुत से काम बन्द करने होंगे। लेकिन यह काम उतना अस्वास्थ्य-कर नहीं है जितना कि उसका तमाशा किया गया। इस विषय पर मैं श्रम विभाग के सम्बन्ध में बोलूंगा। मंत्रिणी जी से तो मेरा निवेदन यही है कि जो आप का विषय है, अर्थात दवाइयों का और बी० सी० जी० के इंजेक्शन आदि का उस पर आप नये दृष्टिकोण से विचार करें।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : राजकुमारी जी ने दिल्ली के लोगों को यमुना में न नहाने की सलाह दी थी। अब आप न तो यमुना में नहा सकते हैं, न वहां का पानी पी सकते हैं तब, मुझे डर है कि अब यमुना नदी न रह कर यमनदी बन गई है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कुछ किया है। पीलिया जाँच समिति द्वारा जिन लोगों को लापरवाह पाया गया है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्य-वाही की है। इस मामले में सरकार की प्रवृत्ति अत्यन्त निन्दनीय रही है! मंत्रिणी जी यह कह सकती हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं हैं। किन्तु उन अधिकारियों की रक्षा करने का क्या आशय है जो कि जिम्मेवार पायें गये हैं। जो लोग पीलिया का शिकार हुए हैं उनके आश्रतों को क्या मुआवज़ा दिया गया है। यदि किसी अन्य देश की राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर ये पीलिया की हत्याएं होतीं तो वहां के मंत्री को फाँसी पर चढ़ाने की मांग की जाती और सम्बन्धित पदाधिकारियों को दण्ड मिलता। किन्तु यहां सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और फिर भी सरकार पर असर तक नहीं पड़ा।

जो सरकारी कर्मचारी पीलिया से पीड़ित थे और जिनका इलाज अस्पताल में हुआ था उनकी छुट्टी का प्रश्न था। उन्हें सवेतन छुट्टी नहीं मिली। उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री टंडन ने बी० सी० जी० आन्दोलन का जिक्र किया है। बी० सी० जी० के प्रति मेरा विरोध वैसे नहीं है, किन्तु इसे ठीक प्रकार से संचालित किया जाना चाहिये। टीके लगाने के बाद उसके परिणामों की बराबर जांच की जाती रहनी चाहिये। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर

†मूल अंग्रेजी में

बी० सी० जी ० का काम किया जा रहा है और जिस ढंग से किया जा रहा वह है कीटाणु युद्ध की तरह की चीज़ है। मेरे पास अनेक पत्र मौजूद हैं। एक व्यक्ति से प्राप्त पत्र में कहा गया है कि बी० सी० जी० का टीका लगाये जाने से पूर्व उनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ्य थीं, किन्तु अब उन्हें क्षय रोग हो गया। वही रोग जिससे बचने के लिये के लिये टीका लगाया गया, टीका लगाने से पैदा हो गया। अखबारों में कितने ही मामले इस प्रकार के आये हैं। एक मामला लखनऊ का है। डाक्टरी जांच के बाद मालूम हुआ कि लड़के को क्षय हो गया है। इस मामले में स्पष्टीकरण दिया गया कि क्षय उसे बी० सी० जी० के टीके के बाद नहीं हुआ वरन उससे पहले ही हुए संक्रमण के कारण हुआ था। अब विचारणीय बात यह है कि बी० सी० जी० का टीका उसी को लगाया जाता है जिसे क्षय का संक्रमण न हो। इसलिये यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह कहा जाता है कि क्षय पहले के संक्रमण के कारण हुआ।

चिकित्सकों में भी इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। अमेरिका में इसी लिये बी० सी० जी० को बड़े पैमाने पर प्रयुक्त नहीं किया गया कि चिकित्सा विज्ञों की राय अभी इसके पक्ष में नहीं है। जैसा टंडन जी ने अभी कहा, आप यहां लोगों को अच्छा भोजन दीजिये, ताज़ी हवा दीजिये, अच्छे मकान रहने को दीजिये और फिर बी० सी० जी० की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

हमारी मंत्रिणी जी में बहुत बड़ी कमी यह है कि वह अपनी राय को नहीं बदलना चाहतीं तथा हर चीज़ को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती हैं। इंग्लैण्ड और अमेरिका में भी विशेषज्ञों में इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। अमेरिका में तो निश्चित रूप से इसके विरुद्ध धारणा है।

मैं स्त्रियों के लेडी हार्डिंग कालेज और अस्पताल का जिक्र भी करना चाहता हूँ। गत ३५ वर्षों से अधिक काल से यह अर्हत भारतीय महिला डाक्टरों द्वारा प्रशासित होता रहा है। लेकिन अर्सा हुआ डा० स्विपट को वहां नियुक्त कर दिया गया है। मुझे बताया गया है कि वह अमृतसर के एक निवृत प्राप्त व्यक्ति हैं और स्वास्थ्य मंत्राणी जी के दूर के रिश्तेदार भी हैं — मुझे यही सूचना मिली है। उनकी अर्हताओं से अधिक आर्हता प्राप्त महिलाओं डाक्टरों से ऊपर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, किन्तु मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ।

मेरा विचार है कि अब एक पृथक स्वास्थ्य मंत्रोलय की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका एक भाग शिक्षा मंत्रालय और दूसरा श्रम मंत्रालय में मिलाकर इसे समाप्त कर देना चाहिये।

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के ऊपर मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। चूंकि अब पंचवर्षीय योजना खत्म हो रही है, इसलिये यह ज़रूरी है कि भारतवर्ष में स्वराज्य प्राप्ति के बाद आर्युवेद के सम्बन्ध में क्या देखने में आया, वह मैं आप को बतला दूं। सन् १६२० में कांग्रेस ने अपने नागपुर के अधिवेशन में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया था और मैं समझता हूँ कि स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् हमारी सरकार के लिये यह लाजिम था कि उस प्रस्ताव के अनुसार काम करती, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि सन् १६२० में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसका अभी तक कोई खयाल हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी तौर पर क्या, मैं तो कहूँगा कि सैकड़े में एक फ़ी सदी भी नहीं किया। वह प्रस्ताव इस प्रकार है :

†"इस कांग्रेस का यह विचार है कि भारत में आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धतियों के बहु प्रचलन और सामान्यतः स्वीकृत उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस देश के लोगों द्वारा इन पद्धतियों को स्कूलों व कालिजों में पढ़ाने तथा अस्पतालों में इलाज के लिये और अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयोजन से सच्चे और निश्चित प्रयत्न करने चाहिंये"

यह प्रस्ताव १६२० में नागपुर में पास हुआ था। इस नागपुर कांग्रेस में मैं मौजूद था और इसके हक में मैंने हाथ उठाया था। आज राजकुमारी अमृत कौर यह कह सकती हैं कि वह उस वक्त कांग्रेस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री धुलेकर]
में नहीं थीं, इसलिये यह उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जबकि वह कांग्रेस की तरफ से हमारी मंत्राणी जी हैं तो उनको कांग्रेस के आदेश का पालन भी करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, १९२० के बाद ९–१० बरस तक मैं जैल में ही रहा। १९३३ में जब मैं वापिस आया तो मैंने इस बात पर विचार किया कि वह जो कांग्रेस का प्रस्ताव है, इस को कार्यरूप देने के सम्बन्ध में मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी और मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। लेकिन मैंने यह समझा कि यह कांग्रेस का प्रस्ताव है, इसलिये मेरा फर्ज है कि मैं कुछ काम करूँ। आप को यही मालूम है कि उस वक्त बहुत से लोग नुक्ताचीनी किया करते थे कि कांग्रेस वाले काम करना ज्यादा तो नहीं जानते, हाँ व्याख्यान देना अवश्य जानते हैं। इसलिये मैं ने इस बात का विचार किया कि काम भी किया जाय और भाषण भी दिये जायें। इस लिये १९३३ में मैंने झांसी में अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) कायम की। इसको केवल एक इंस्टीट्यूशन का नाम न देकर, एक संस्था न कह कर, यह कहा कि यह तो एक मूवमैंट शुरू की गई है। मैंने सोचा कि भारतवासियों को जो नुक्सान एलोपैथी से हो रहा है, उससे उन्हें बचाया जाए और उनको तन्दरुस्त रखने की जो समस्या है, उसको हाथ में लिया जाये। राजकुमारी जी को मैं बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया में मैं ने जो पेपर (कागज़ात) दाखिल किये, उनमें उस आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी को जो मूल सिद्धान्त हैं, वे लिखे हुए हैं और वह उनको निकलवा कर देख सकती हैं। राजकुमारी जी ने इन सिद्धान्तों को उस वक्त भी मंजूर किया जब वह झांसी आयुर्वेदिक यूनिवर्स्टी का कनवोकेशन एड्रेस (दीक्षान्त भाषण) देने के लिये १९५२ में वहां गई थीं अब जो मूल सिद्धान्त हैं मैं उनको अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं डा० रामा राव को यह बतला देना चाहता हूँ कि कि उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि "शायद चन्द लोग एलोपेथी या आयुर्वेद को पूरी तरह नहीं जानते हैं।" मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुन ले और अगर आपको कोई गलती मालूम पड़ती है, तो आप उससे बारे में मुझे लिख कर बता सकते हैं और मैं आप की गलतफहमी को दूर कर दूंगा। तो यह जो १९३२ या १९३३ में लिखा गया था यह अटूट है, यह अमर है, इसे आप सुनिये :

†विश्वविद्यालय का सिद्धांत उस समय यह निर्धारित किया गया था :

"एक ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जहां प्रसिद्ध आयुर्वेद शास्त्री तथा अध्येता मिलें और प्राचीन आयुर्वेदशास्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित आयुर्वेद प्रणाली को विकसित करें। वर्त्तमान चिकित्सा प्रणाली से भी जो कुछ लिया जा सके वह लिया जाए और इसमें समन्वित किया जाये। यह इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य होना चाहिये।"

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये वह सिद्धान्त हैं जो कि तकरीबन २२ साल पहले लोगों के सामने रखे गये थे और इन्हीं सिद्धान्तों के ऊपर आज झांसी विश्वविद्यालय चल रही है और इन का पालन कर रही है। इस विश्वविद्यालय से तकरीबन ४,५०० विद्यार्थी निकल चुके हैं और वे सारे हिन्दुस्तान में काम कर रहे हैं। साथ ही यह वह इंस्टीट्यूशन है, और मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी जी ज़रा ध्यान से सुन लें, जिस के पोस्ट-ग्रेजुएट स्कालर्ज़ (छात्र) आपकी जामनगर की रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह वह इंस्टीट्यूशन है जिस के पोस्ट ग्रेजुएट स्कालर्ज़ हिन्दू यूनिवर्स्टी के आयुर्वेदिक कालेज में प्रोफेसर्स और डीज़ के तौर पर काम कर रहे हैं। यह वह इंस्टीट्यूशन है जिसके पोस्ट-ग्रेजुएट स्कालर्स हैदराबाद के गवर्नमेंट कालेज में प्राफेसर्स

†मूल अंग्रेजी में

की पदवी पर काम कर रहे हैं। यह वह इंस्टीट्यूशन है जिसमें तालीम पाये हुए लोग पटना में आज आठ-आठ सौ रुपया प्रतिमास तनख्वाह पा रहे हैं। एक बड़े अस्पताल में जिस में तकरीबन ४०० बैड्स (पलंग) हैं, वहां पर यहां से ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) पाये हुए स्टुडेंट्स (विद्यार्थी) काम कर रहे हैं। मध्यभारत में, विन्ध्य प्रदेश में, मद्रास में, बंगाल में, मतलब यह कि तमाम जगहों पर जहां कि आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर कोई पढ़ाई होती है, सब जगह पर झांसी के पोस्ट-ग्रेजुएट स्टुडेंट्स आज काम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आयुर्वेदिक यूनिवर्स्टी ने कभी भी द्वेष की भावना से या संकोच के साथ काम नहीं किया। उसके मन में कभी ऐसी कोई भावना आई ही नहीं। आयुर्वेद के साथ-साथ जितनी भी माडर्न साइंसिस (आधुनिक विज्ञान) हैं वे वहां पर सब सिखाई जाती हैं। मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि आज़ वहां पर सैंकड़ों विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ (स्नातकोत्तर अध्ययन) के लिये आते हैं, रिफ्रेशर कोर्स के लिये आते हैं। आज हिन्दुस्तान में जो आयुर्वेद के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर्स (चिकित्सक) हैं, वे सैंकड़ों की तादाद में हर साल वहां जमा होते हैं। मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि झांसी एक प्रकार से एक तीर्थ स्थान बन गया है। जामनगर में जो काम किया गया वह सब मेरी कोशिश से हुआ है। कर्नल चोपड़ा की अध्यक्षता में जो कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी के साथ मेरा घनिष्ट सम्बन्ध था। मैं उस समय कर्नल चौपड़ा के साथ यू० पी० में था। मैंने उनसे साफ साफ कहा कि आयुर्वेदिक विद्या जब तक छोटे-छोटे स्कूलों में, छोटी-छोटी पाठशालाओं में पढ़ाई जाती रहेगी, तब तक वह बुलन्दी तक नहीं पहुंच पायगी। इस वास्ते मैंने उनसे कहा कि दो चीज़ें आप आयुर्वेद में आवश्य लायें। एक चीज़ तो यह कि आप पोस्ट-ग्रेजुएट के कोर्सिस (पाठयक्रम) रखें और दूसरी चीज़ यह कि आयुर्वेद पर रिसर्च किया जाये। कर्नल चोपड़ा ने बहुत बुद्धिमानी के साथ एक रिपोर्ट लिखी लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कर्नल चोपड़ा की रिपोर्ट को जो कि एक मैडिकल डाक्टर थे और एक बहुत ही काबिल आदमी थे, बालायेताक रख दिया। इसके बाद क्या हुआ। गर्वनमेंट ने कहा कि वह एक गवर्नमेंट सेंट्रल इंसंटीट्यूट खोलेगी। उस वक्त एक रिसर्च इंस्टीट्यूट (गवेषणा संस्था) कायम करने के लिये कोशिश की गई। उसके चेयरमैन (अध्यक्ष) डा० पंडित बनाए गए। झांसी यूनिवर्स्टी के बारे में डा० पंडित को खूब मालूम था। मैं भी उनके मकान पर गया, उनके आफिस में गया और झांसी यूनिवर्स्टी के बारे में एक स्कीम मैं ने उनको दी। उस स्कीम में सारी बातें लिखी हुई थीं। लेकिन आज हम को बताया जाता है कि जामनगर में काम होने वाला है। आप ज़रा नोट कीजिये, यह कहते हैं कि होने वाला है, हो नहीं रहा है। झांसी में वह चीजें हो रही थीं १६४६ में, १६४७ में और इससे पहले भी। एक दम डा० पंडित ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो जाये कि कि झांसी में ही रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ जाये, इस लिये वह झांसी ही नहीं आए। उन्होंने देखा कि वहां पर सैंकड़ों बीघा तो ज़मीन मिलेगी, बौटेनिकल गार्डन्स भी दिखाई देंगे, अस्पिताल दिखाई देगा। इसलिये इधर उधर करके और आंखें बन्द करके वह जामनगर पहुँचे। मैं राजकुमारी जी से कहता हूँ कि उनका दिल यह जरूर कहता होगा कि जामनगर में जितना बड़ा धोखा उनके साथ किया गया है, मैं समझता हूँ, उतना बड़ा धोखा शायद ही उन के साथ पहले कभी किया गया हो। राजकुमारी जी जब वहां गई तो उनको बताया गया कि यह चीज़ें आपको यहां मिलेंगी। यहां सीलेरियम (सूर्य चिकित्सालय) है। यह रानी आयुर्वेदिक कालिज की बिल्डिंग है, यह ३० लाख की है, यह यहां पर अस्पताल है, यह भी आपको मिलेगा, समुद्र भी मिल जायेगा और और कई चीजें मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या? जब राजकुमारी जी ने मुझको गवर्निंग काउंसिल (कार्यकारी परिषद्) पर मुकर्रर किया, जिसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और जब मैं वहां पहुंचा तो रानी साहिबा ने कहा कि यह कालेज की बिल्डिंग तो हमारी है, सौराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि अस्पताल तो हमारा है। फिर खयाल आया कि साहब अब इंस्टीट्यूट

[श्री धुलेकर]
को कहां रखा जाए। एक गोदाम दिया गया सौराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो तीस-चालीस हजार का था। हमको उसकी मुरम्मत करानी पड़ी।

और आज मैं इस बात को कहता हूँ कि जामनगर इंस्टीट्यूट के पास न तो कोई बिल्डिंग है, न अस्पताल के लिये बिल्डिंग है, न प्रोफेसर के बैठने के लिये जगह है, न स्कालर्स (छात्रों) के रहने के लिये जगह है, न प्रोफेसरों के रहने के लिये जगह है। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पर कुछ भी नहीं है।

हर साल मैं वहां जाता था चूंकि मेरा तो कहना यह है कि ब्राह्मण के नाते तुम हम को श्राद्ध में बुला लो, चाहे खाने को कुछ न दो सिर्फ एक पैसा ही दे दो, हम खुश हो जायेंगे। इसलिये चाहे आप जामनगर में आयुर्वेद के नाम पर कितना ही रुपया ले लें हमें परवाह नहीं है। आप जानते हैं कि वहां पर आयुर्वेद के नाम पर १५ लाख रुपया दिया गया है। लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि मुझे वहां की हालत देखकर अफसोस होता है। जो आपके अफसरान यहां बैठे हुए हैं और जो कि गवर्निंग बाडी में जाते हैं और जो लोग कि पैसा मंजूर करते हैं वे यह बात जानते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर यहां पर कोई इंटरनेशनल (अन्तर्राष्ट्रीय) डाक्टर आवे और पूछे आपका आयुर्वेद इंस्टीट्यूट कहां पर, किस कोठरी में है तो उसे आप क्या दिखलायेंगे। जो चीज कि आज वहां मौजूद है वह तो मैं कहूँगा कि एल० एम० पी० अस्पताल की एक खराब सी प्रतिकृति है। वहां के डाइरेक्टर व डा० पंडित साहब हाथ उठाकर और गंगा की कसम खाकर कहते हैं कि वे आयुर्वेद का काम करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि वे आयुर्वेद के लिये थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी सारा रुपया विलायत भेज देते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस उम्मीद के साथ मैं ने जामनगर के इंस्टीट्यूत को पाला पोसा है वह उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं ने आपके आफिसर्स (पदाधिकारियों) के सामने भी कहा था और यहां भी कहता हूँ अगर आप कल के दिन इस इंस्टीट्यूट के लिये दस करोड़ रुपया भी मांगें तो मैं उसके लिये हाथ उठाऊंगा क्योंकि यह रुपया आयुर्वेद के नाम से दिया जावेगा। पारसाल भी यही बात हुई। हाथ उठाये गये और कहा गया कि हम कसम खाकर कहते हैं, परमात्मा की कसम खाकर कहते हैं कि हम आयुर्वेद के लिये काम करेंगे लेकिन नतीज कुछ नहीं निकला। मैं ने उस समय कहा था कि कसम खाने को क्या ज़रूरत है काम करोगे तो वह दिखलायी ही देगा। मैं कहता हूँ कि तुम चाहे जितना रुपये ले लो लेकिन आयुर्वेद का काम तो करो। लेकिन वहां भी वही तरकीब है कि तीन चार पांच वैद्यों को रख दिया गया है और उनको ढाई तीन हजार तनख्वाह दे दी जाती है और बाकी डाक्टरों के लिये है, कहीं एक लाख की एक चीज़ ली जाती है, ५० हजार की दूसरी ली जाती है। १५ हजार रुपये के माइक्रास्कोप लिये गये हैं। यह देख कर मैं ने उनसे कहा कि अगर यही यहां होने वाला है तो फिर लखनऊ का ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (भैषज गवेषणा शाला) जो गवर्नमेंट का है वह ही क्या बुरा है, आप कृपा करके अपना विस्तर वोरिया बांधकर लखनऊ चले आइये और न हो तो आप दिल्ली आ जाइये। यह काम तो वहां पर भी हो जायेगा। लेकिन हुआ क्या? अब की बार बड़ी मुश्किलों से एक आयुर्वेदिक लेबारेटरी (प्रयोगशाला) के लिये २७ हजार रुपया रखा गया है और हमसे कहा कि आप खामोश रहिये। मैं ने कहा कि खामोश तो हम हैं ही लेकिन हम पार्लियामेंट में जाकर अब की बार ज़रूर कहेंगे। अब इसके मुकाबले में आप देखिये कि झांसी में क्या काम हो रहा है। राजकुमारी जी वहां जाकर सारी चीज़ें देख आई हैं। हमारे यहां कच्चे मकानात में काम होता था। उनको झोपड़ियां पसन्द नहीं हैं। उन्होंने फरमाया कि यह टेम्पोरेरी मेज़र (अस्थायी चीज़) मालूम पड़ता है। मैंने अपने दिल में कहा कि राजकुमारी जी जो कुछ चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगा। मैंने दूसरे दिन से ही वहां बड़ी इमारतें बनाना शुरू कर दिया। वहां एक डेढ़ मील के अन्दर पक्की इमारतें बन रही हैं और एक सौ आदमी रोजाना उस काम पर लगा हुआ है। मैं ने कहा कि कोई परवाह नहीं मैं इस काम के लिये पैसा-पैसा मांगूंगा लेकिन राजकुमारी

को दिखा दूंगा कि कितना काम किया गया है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट को रिसर्च के लिये १५ हजार रुपये दिये गये। आप देखें कि कहां १५ लाख और कहां १५ हजार और उम्मीद है कि इससे आयुर्वेद का सारा रिसर्च हो जायेगा। दूसरी साल जब बहुत कहा गया तो दस हजार रुपया इस काम के लिये दिया गया और इस साल फिर १५ हजार दिया गया है। मैं कहता हूँ कि अगर आप एक रुपया ही रोज़ दें तो भी झांसी यूनीवर्सिटी, एक कदम पीछे नहीं रखेगी। यह हिन्दुस्तान ३६ करोड़ आदमियों का देश है और मैं ने बीड़ा उठाया है कि चाहे मुझे एक-एक पैसा भी मांगना पड़े तो मांगूगा पर इस काम को चलाऊंगा। लेकिन मैंने कभी आपको बाहर बदनाम नहीं किया। मेरे दोस्तों को आज बड़ा ताज्जुब होगा यह देखकर कि मैं आज यह क्या कह रहा हूं। जो आदमी मुझसे पूछता था मैं उससे कह देता था कि राजकुमारी जी ने हमको बहुत दिया है। वे लोग सोचेंगे कि आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ नहीं दिया है। किसी एक अंडर सेक्रेटरी ने उनको लिखकर भेज दिया कि झांसी यूनीवर्सिटी तो रिकागनाइज्ड (मान्यताप्राप्त) नहीं है और हम उनकी डिग्रियों को रिकागनाइज़ (मान्य) नहीं करते मैं कहता हूँ कि अगर वे रिकागनाइज़ नहीं करते तो हिन्दुस्तान तो उसे रिकागनाइज़ करता है। वहां दूसरे देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी ने गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास इस सम्बन्ध में एक पत्र भेजा है जिसमें वह लिखते हैं :

†"झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की प्रगति को मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा है। आयुर्वेद शास्त्र पढ़ाने तथा उसमें गवेषणा करने की यह एक सुस्थापित तथा मान्य संस्था है। गत अनेक वर्षों में सफलतापूर्वक यह आयुर्वेद के उत्तरोस्नातक पाठ्यक्रम में शिक्षण प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों के अनुसार इस विश्वविद्यालय को सहायता देने का प्रयत्न कर रही है। मुझे आशा है कि भारत सरकार भी उसको उपयुक्त वित्तीय सहायता करेगी जिससे कि यह अधिक क्षमतापूर्वक तथा अधिक बड़े पैमाने पर कार्य कर सके।"

हमारे मुख्य मंत्री ने तो यह लिख कर भेज दिया लेकिन इस पर भी कहा जाता है कि इस मामले को फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाये। मैं कहता हूँ कि इससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट और क्या लिख कर दे देगी। २३ जनवरी को आनरेबल चरण सिंह वहां गये थे। उन्होंने लिखा है :

†"आज मुझे झाँसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में जाने का अवसर मिला। यह एक प्रगतिशील संस्था है तथा संसद् सदस्य श्री आर० वी० धुलेकर के अध्यवसाय और कल्पना का ज्वलन्त उदाहरण है। देश में अपनी प्रकार की यह एक ही संस्था है तथा राज्य वह संघ दोनों सरकारों एवं जनता की सहायता की पात्र है।"

डाइरेक्टर जनरल आफ हैल्थ लिखते हैं :

†"नेपाल सरकार ने प्रार्थना की है कि श्री सत्यनारायण झा को जोकि इस विश्वविद्यालय में एक वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आयुर्वेद का मास्टर आफ सांइस की डिग्री के दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिये दाखिल कर लिया जाये।"

आप देखें कि झांसी यूनीवर्सिटी कोलम्बो प्लान के अंडर रिकागनाइज़ की गई है। वहां पर दूसरे एशियाटिक कंट्रीज़ (एशियाई देशों) के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। लेकिन उसको ग्रांट (अनुदान) मिलती है १५ हजार। मैं आपके सामने वह पत्र पढ़ना चाहता हूं जो कि डा० सम्पूर्णानन्द जी ने सन् ४९ में लिखा था जिससे आपको मालूम होगा कि झांसी में आज से दस वर्ष पहले जामनगर से कितना ज्यादा काम होता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री धुलेकर]

†"आयुर्वेद विश्वविद्यालय, झांसी, श्री धुलेकर की एकनिष्ठ तपस्या एवम् अनवरत अध्यवसाय का मूर्त रूप है। इस युग में जब कि समस्त प्राचीन चीजों को अवैज्ञानिक आंका जाता है, इस पुरातन विज्ञान का बेड़ा उठाए रखने का प्रयत्न कोई सामान्य आस्था नहीं है। मुझे आशा है कि श्री धुलेकर और उनके साथी यह दिखलाने में सफल होंगे कि आयुर्वेद समस्त आधुनिक ज्ञान को अपने में संमन्वित करते हुए अपने विशिष्ट सिद्धान्तों को बनाये रख सकती है। विश्वविद्यालय समस्त सहायता का पात्र है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिये।

श्री धुलेकर : बस एक मिनट में मैं खत्म किये देता हूं। मैं बतलाना चाहता हूं कि इस देहली गज़ट में ता० २९ फरवरी, १९५३ को जिसमें कि झांसी आयुर्वेदिक यूनीवर्सिटी गज़ट हो चुकी है और आफ़िश्यल गज़ट में यह रेकगनाइज़ हो चुकी है और हमारे वहां हर साल नैपाल और दूसरी जगह से विद्यार्थी आते हैं और हम उनको आर्थिक सहायता देते हैं, यह सारी चीज़ होती है लेकिन एक चीज़ जिसको कि हमारी मंत्राणी जी मानने को तैयार नहीं है और जिसके लिये कि मैंने उनसे प्रार्थना की यह सारा झगड़ा आपका मिट जायगा अगर आप पार्लियामेंट के मेम्बर्स और जो दूसरे मेम्बर्स हैं उनका यहां पर एक बोर्ड बना दें और जब तक कि आप एक ऐसा आयुर्वेदिक बोर्ड नहीं बनाती हैं तब तक आपके ऊपर यह बौछारें यह सारी जितनी बातें आपको सुननी पड़ती हैं, यह सारी चीजें आपके उपर आती रहेंगी। यह डेमोक्रेसी का ज़माना है, प्रजातन्त्र का ज़माना है, इसमें कोई भी आदमी, अगर एक आदमी इस बात को कहे कि मैं दुनिया को खुश रखना चाहता हूं तो वह बात गलत है। अगर यह पार्लियामेंट न हो तो मैं कहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, उनकी भी बात कोई नहीं मानेगा लेकिन चूंकि ५०० आदमी मिल कर एक बात का फैसला कर लेते हैं, इसलिये हर एक आदमी उसको मानता है। मैं आप से आज से नहीं बल्कि पिछले पांच वर्षों से यह निवेदन करता आ रहा हूँ आप अपने नीचे एक डिप्टी मिनिस्टर मुक़र्रर कीजिये जो कि आयुर्वेद के मुहकमे को सम्हाले। इस सिलसिले में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके वहां जो डाइरेक्टर जनरल आफ पब्लिक हेल्थ हैं वह भी आयुर्वेद के पक्ष में हैं और जो चीफ सेक्रेटरी मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, वह भी आयुर्वेद के पक्ष में हैं। मैं समझता हूं कि जब तक उसका कोई महकमा अलग से क़ायम नहीं होता तब तक आयुर्वेद की प्रगति नहीं हो सकती। आज हम देखते हैं कि हमारी १९५२ की लिखी हुई चिट्ठी का जवाब सन् ५५ में दिल्ली से झांसी पहुंचता है और तीन साल का समय लग जाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग कमिशन (योजना आयोग) और आपको मिल कर आयुर्वेद के सम्बन्ध में एक प्लान बनाना चाहिये जिससे कि आयुर्वेद का काम ठीक तौर पर चले और यह जो आपके ऊपर बौछारें पड़ती हैं यह तभी हट सकती हैं जब कि आप हम लोगों को उसमें साथ लें और हम लोग उसमें आपकी मदद करने के लिये हर वक्त तैयार हैं।

†**कर्नल जैदी** (जिला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद—पूर्व वं जिला शाहजहांपुर—दक्षिण) : किसी योजना या सुधार का तब तक स्थायी प्रभाव नहीं हो सकता जब तक कि जनता को सुदृढ़ न बनाया जाये। भारी उद्योग किसी रासायनिक उद्योग, या किसी बांध या नदी घाटी परियोजना से भारतीयों की अधिक स्वस्थ और सुदृढ़ पीढ़ी बनाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे खेद है कि इसकी ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्र-निर्माणकारी विभागों में स्वास्थ्य विभाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सर्वप्रथम उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

मुझे खेद है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री की कई मानों में सर्वथा अनुचित आलोचना की गयी है। अभी पिछले दिन बांटे गये संक्षिप्त प्रतिवेदनों से यह दिखायी पड़ता है कि कई बहुत उपयोगी काम किये जा रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य में बराबर सुधार हो रहा है।

देशी चिकित्सा के प्रचार से सम्बद्ध होने के नाते मेरी यह निश्चित धारणा है कि यूनानी और भारतीय पद्धतियों की उपेक्षा की जा रही है। मेरे विचार से इस उदासीनता का कारण यह है कि लोग किन्हीं कारणवश उन्हें दकियानूसी विज्ञान समझते हैं और उनमें किसी अनुसंधान या गवेषणा या सुधारों का समावेश नहीं देखते। अतः ऐलोपैथी के साथ, जिसमें नित्य नयी गवेषणा और प्रति-दिन सुधार हो रहे हैं, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। यह बिलकुल ठीक है और मैं उसे अस्वीकार नहीं करता।

हमारे देश की ८० या ८५ प्रतिशत जनता भारतीय चिकित्सा पद्धति पर निर्भर रहती है क्योंकि वह सब से अधिक लोक-प्रिय विस्तृत और सस्ती है। एक सदस्य ने कहा कि हमें सर्वोत्कृष्ट, आधुनिकतम और सब से अधिक वैज्ञानिक पद्धति चाहिये। यह बिल्कुल ठीक है किन्तु सभी पांच लाख गांवों में वह तुरन्त नहीं पहुंच सकती और लोगों को हकीमों और वैद्यों के पास जाना ही पड़ेगा। फिर हमारे पास इतना साधन और संगठन भी नहीं है कि प्रत्येक गांव वाले तक हम उसे पहुंचा सकें। ऐसी दशा में हम उस पद्धति की क्यों उपेक्षा करें जिस पर ८५ प्रतिशत लोग निर्भर रहते हैं? इस पद्धति में भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो ऐलोपैथी के उपायों से अधिक प्रभावकारी हैं। हमने देखा है कि अभी हाल में दिल्ली में पीलिया रोग के दौरान में जिन लोगों ने हकीम और वैद्यों से इलाज कराया वे डाक्टरों के इलाज की तुलना में बहुत जल्दी अच्छे हो गये। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि हकीम और वैद्य का इलाज कराने वाले कितने लोगों की मौत हुई। मैं जानता हूं और पूरे विश्वास से कहता हूं कि भारतीय और प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति में पीलिया के लिये निश्चित इलाज है जब कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज नहीं है। प्रत्येक पद्धति में कुछ अपने गुण होते हैं और यही बात भारतीय चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में भी है। यदि वह आधुनिक नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, तो हम क्यों न उस पर समय, शक्ति और धन खर्च करें और उसे आधुनिकतम बनायें? किसी भी व्यक्ति को केवल अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं से संचालित न होना चाहिये अधिकतर भारतीय और हममें से भी अधिकतर लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति में विश्वास करते हैं और यही उचित है कि उसके प्रति पूरा न्याय किया जाये।

कुछ आंकड़े बताकर मैं यह दिखाऊंगा कि इस पद्धति को कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आय व्ययक में कुल उपबन्ध २,१५,८४,६०० रुपये के लिये हैं किन्तु जामनगर के आयुर्वेदिक केन्द्र के लिये साढ़े पांच लाख रुपये और देश भर की अन्य सब आयुर्वेदिक संस्थाओं के लिये कुल ६ लाख रुपये की व्यवस्था है। पिछली बार आयुर्वेदिक संस्थाओं के लिये १२ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। हमें बताया गया है कि इस वर्ष यह रकम आधी कर दी जायगी अर्थात् ६ लाख रुपये कर दी जायगी। यदि इसमें जामनगर की सहायता की रकम भी शामिल कर ली जाये, तब भी वह १२ लाख रुपये से कम होगी।

यूनानी चिकित्सा पद्धति की स्थिति और भी खराब है। १९५५–५६ में इसके लिये ४ लाख रुपये दिये गये थे और इस वर्ष कुल १,४०,००० रुपये दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यूनानी संस्थाओं के लिये इस वर्ष जो कटौती की गयी है, उसके लिये क्या औचित्य है!

झांसी संस्था को केवल ३५ हजार या ५० हजार रुपये का अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री धुलेकर शिकायत कर रहे थे किन्तु दिल्ली तिब्बिया कालेज के लिये जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय देश भक्त हकीम अजमल खां ने स्थापित किया था, केन्द्र ने अब तक कोई अनुदान नहीं दिया है। यदि दिल्ली राज्य सरकार न होती, तो यह संस्था कभी की बन्द हो गयी होती। हकीम

[कर्नल ज़ैदी]

अजमल खां के जीवन काल में, जब कि वह बहुत अच्छी तरह चल रहा था और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, वहां एक गवेषणा विभाग जर्मनी में प्रशिक्षित एक सुप्रसिद्ध रसायनिक के अधीन कार्य कर रहा था। यहां पर वह आश्चर्यजनक औषधि, जो ऊंचे रक्त चाप और पागलपन के लिये सर्वोत्कृष्ट औषधि समझी जाती है, अर्थात् सर्पगन्धा (रुवोल्फिया सर्पेन्टाइना) और रेसरपिन भी निकाली गयी थी। मैं जर्मनी और अमेरिका से प्रकाशित अनेक पत्रों और सी० आई० बी० ए० के प्रतिवेदन के उद्धारण दे सकता हूं जिनमें यह कहा गया है कि सर्पगन्धा से ए, बी, सी, डी, अल्कलाइडस् की खोज दिल्ली के तिब्बिया कालेज में की गयी थी। आज उस गवेषणा विभाग की यह स्थिति है कि लाखों रुपये का सामान गायब हो गया है क्योंकि सुरक्षित रखने के लिये वह भारत सरकार को सौंप दिया गया था। हमें उसके लिये कोई अनुदान नहीं मिल सकता। अतः वहां कोई गवेषणा कार्य नहीं किया जा रहा है और वह विभाग प्रायः बन्द हो गया है।

मेरे मित्र श्री मोहनलाल सक्सेना ने कल इस बात का निर्देश किया था कि चीन में क्या हो रहा है। चीन में प्राचीन चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में क्या हो रहा है वह हमारे लिये पथप्रदर्शक है। उस क्रांतिकारी देश की जनता निरन्तर अपनी प्राचीन पद्धति की प्रशंसा करती रहती है। सभी पत्र पत्रिकाओं से यह बात प्रकट होती है कि उस प्राचीन पद्धति को उन सभी का समर्थन प्राप्त है। वहां की एक सरकारी पत्रिका में कहा गया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अनेक पूर्व गृहीत सिद्धान्तों और प्रथाओं का वैज्ञानिक रीति से परीक्षण किया गया है और उन्हें अत्यधिक प्रगतिशील आज की कल्पनाओं के बिल्कुल अनुरूप पाया गया। हमारा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस प्रकार की बात कभी न कहेगा। वहां एक चीनी चिकित्सा अकादमी स्थापित की गयी है। मैं माननीय मंत्री से सिफारिश करता हूं कि वह उसी आधार पर एक भारतीय चिकित्सा अकादमी स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करें। माननीय मंत्री के चीन से लौटने पर हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई कि चीनी लोगों ने मक्खियों का किस प्रकार नाश किया है किन्तु खेद की बात है कि दिल्ली की जनता ने उस प्रकार शहर में मक्खियों को नष्ट करने के विषय में कोई प्रोत्साहन न दिया। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि चीन के अगले दौरे में वे इस बात का विशेष रूप से अध्ययन करें कि चीनी लोग अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं; और हम आशा करते हैं कि वहां से लौटने पर वे उसी तरह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपना गौरव दिलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का निश्चय करेंगी।

पहले निर्देशित लेख में कहा गया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय के चीनी चिकित्सा विभाग का विस्तार किया गया है और पेकिंग परम्परागत चिकित्सा की गवेषणा के लिये एक राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की गयी है। शंघाई, नानकिंग, पेकिंग और अन्य नगरों में परम्परागत चिकित्सा के अस्पताल खोले गये हैं। चीन में पाश्चात्य चिकित्सा के अनेक अस्पतालों में परम्परागत चिकित्सा के विभाग खोल गये हैं। अनेक मेडिकल कालेजों में चीनी चिकित्सा के शिक्षा क्रम शीघ्र ही चालू किये जायेंगे और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के अनेक डाक्टर चीनी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। चीनी भेषजीय संस्था अगले पांच वर्षों में कई सौ चीनी औषधियों का प्रमापीकरण करने की योजना बना रही है। उसी तरह चीन की मेडिकल संस्था ने देश में अपनी सभी शाखाओं को अनुभवी चीनी वैद्यों को अपना सदस्य बनाने का आदेश दिया है।

चीन की यह पंचववर्षीय योजना है और मैं माननीय मंत्री से उसको सिफारिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बतायें कि भारतीय मेडिकल संस्था ने क्या किसी एक भी आयुर्वेद-विशेषज्ञ को अपना सदस्य बनाया है। मैं कहूंगा कि भारत में भी उसी प्रकार की कार्यवाही की जाये।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : मैं इस आध घंटे में स्वास्थ्य मंत्रालय क अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्तावों और कुछ आलोचनाओं का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी ।

कई बातें कही गयी हैं किन्तु मुख्य रूप में मुझ पर यह दोष लगाया गया है कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों और विशेषकर आयुर्वेद के प्रति मेरा दृष्टिकोण पक्षपात और द्वेषपूर्ण रहा है । मैं प्रारम्भ में ही यह बता देना चाहती हूं कि किसी भी पद्धति के प्रति मेरी द्वेषपूर्ण भावना नहीं है । मैं चाहती हूं कि गरीब जनता को उसी प्रकार की सहायता दी जाये जिस तरह की सहायता मैं अपने आपको देना चाहूंगी ।

मेरा सदा ही यह मत रहा कि आधुनिक चिकित्सा संसार के प्रत्येक देश से सदियों से प्राप्त ज्ञान का कुल जोड़ है । अतः सदा ही मेरा यह प्रयत्न रहा है कि आयुर्वेद से सभी अच्छी बातें ली जायें और आधुनिक चिकित्सा में उन्हें सम्मिलित किया जाये । यह कहना कि आयर्वेद के लिये इन वर्षों में कुछ नहीं किया गया है, बिलकुल गलत है । इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि जो धन दिया गया था, वह खर्च नहीं किया गया या नहीं किया जा सका । जामनगर संस्था बनाना मेरी ही कल्पना थी । मेरी यह इच्छा थी कि ऐसी संस्था बनायी जाये जहां आयुर्वेद के सभी पहलुओं में वैज्ञानिक ढंग पर गवेषणा की जाये और आयुर्वेद का विकास किया जाये । यदि श्री धुलेकर यह कहें कि उनके कारण वह संस्था बनी है तो मैं सहर्ष उन्हें श्रेय देने के लिये तैयार हूं । जामनगर संस्था के प्रशासन मंडल में १५ सदस्य हैं और सौराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री श्री दुबे उसके अध्यक्ष हैं जो स्वतः आयुर्वेद के समर्थक हैं । विभिन्न राज्यों से तीन प्रतिनिधि हैं आयुर्वेदिक वैद्य डा० सुब्रम्हण्यम्, डा० म्हसकर और श्री धुलेकर । इसके अतिरिक्त राज्य सभा के श्री दुबे, श्री कुलकर्णी, कविराज प्रताप सिंह, डा० बी० बी० योध और श्री सी० डी० पंडित हैं । मैं बता सकती हूं कि इन परामर्श दाताओं की समिति ने जिसमें अधिकतर वैद्य हैं, गवेषणा की जिस किसी योजना को भी अनुमोदन दिया है, उसके लिये मेरे मंत्रालय ने धन देने से कभी इन्कार नहीं किया है ।

मैंने अभी हाल में देशी चिकित्सा पद्धतियों की केन्द्रीय संस्था, जामनगर, को दखने के लिये प्रधान मंत्री से कहा था । मेरे माननीय मित्र श्री धुलेकर ने जामनगर संस्था को एक ढकोसला कहा है और उन्होंने अपने आय-व्ययक भाषण में अपने खुद की संस्था के प्रति सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न किया है । मैं पूछती हूं कि क्या लोक-सभा के एक सदस्य के लिये यह उचित है कि वह लोक-सभा में ऐसे अवसर पर अपनी संस्था की सहायता के लिये मांग करें ? फिर भी मैंने उनकी संस्था को सहायता दी है और यदि वे कोई गवेषणा योजना मेरे पास भेजे तो मैं वचन देती हूं कि उन्हें उसके लिये भी धन मिलेगा किन्तु वैद्यों की इस मंडली को इस पर अपना निर्णय देना होता है कि योजनायें सहायता के उपयुक्त हैं या नहीं । मुझे विश्वास है कि इस सभा का कोई सदस्य यह नहीं चाहेगा कि ऐसी योजनाओं के लिये भी सहायता दी जाये जिनकी सिफारिश इस समिति ने नहीं की है ।

जैसा कि मैंने बताया है, पर्याप्त गवेषणा चल रही है और में सभा का ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ ४४–४५ की ओर आकृष्ट करूंगी और कहूंगी कि वे देखें कि क्या किया गया है, क्या किया जा रहा है और भविष्य में क्या करने की योजना है और कितनी महत्वपूर्ण औषधियों का अनुसंधान किया गया है । २० महत्वपूर्ण औषधियां तैयार की गयी हैं और मेरा सदा ही यह प्रयत्न रहा कि उनका प्रमापीकरण कर दिया जाये । मैं श्री टंडन जी के इस मत से सहमत हूं कि बहुत अधिक औषधियों से कोई लाभ न होगा । मैं चाहती हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व एक मेडिकल कालेज में मैंने जो भाषण दिया था उसे वे पढ़ें । मैंने उसम आधुनिक चिकित्सकों से यह कहा है कि चमत्कारात्मक औषधियों के पीछे पड़ने के वजाय वे सरल जड़ी बूटियों को अधिक काम में लायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[राजकुमारी अमृत कौर]

मैंने मनुष्य पर इन आश्चर्यजनक औषधियों के प्रभावों की गवेषणा करने के लिये एक निकाय की स्थापना की है । मेरी सभी योजनाओं में, प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में पूर्णरूपेण निरोध पर जोर रहेगा । मलेरिया को जनता में फैलने से रोकने के लिये भी हमने निरोध पर ही जोर दिया है । कुष्ठ को रोकने के लिये जो कुछ हमने किया है वह भी केवल रोग की रोक-थाम करने के लिये न होकर उसमें निरोध पर ही जोर दिया गया है । ठीक यही उपाय हमने फीलपांव और प्रसूति और बाल कल्याण के बारे में भी किया है । यदि वे प्रतिवेदन और आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तथा जो कुछ सूचना मैंने प्रश्नों के उत्तर में दी है तो उससे पता लग जायेगा कि निरोधक उपाय पर यथासम्भव जोर दिया गया है । शिशु मृत्यु संख्या में कमी हुई है । प्रसूतियों की मृत्यु संख्या भी कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप औसत जीवन काल में वृद्धि हुई है । यह सब किये गये निरोधात्मक उपायों का परिणाम है । मैं श्री टंडन के निवेदन का उत्तर देना चाहती हूं कि मैं भी उन्हीं की भांति निरोधात्मक उपायों के लिये इच्छुक हूं । मैंने उन लोगों की सहायता करने का भी बहुधा प्रयत्न किया है जो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा—बहुत जानते हैं । मैं कई बार बापू के कथन का उद्धरण दे चुकी हूं कि मनुष्य प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने पर ही बीमार पड़ता है, अतः उसे प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिये । मैं अधिक दवाइयां खिलाये जाने के पक्ष में नहीं हूं । किन्तु तथ्य यह है कि लोग प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने पर बीमार पड़ते हैं क्योंकि उन्हें गन्दे स्थानों में रहना पड़ता, जो मनुष्यों के रहने योग्य नहीं होते और उन्हें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल नहीं मिलता । इस कारण मैंने सारे राष्ट्र को शुद्ध जल सम्भरण करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाया है । यदि आपको पीने के लिये शुद्ध जल, रहने के लिये अच्छा मकान और खुली हवा एवं धूप मिलती है तो आप अस्पतालों में जाकर बीमारों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा बहुत कम बीमार पड़ेंगे । जनसंख्या के साथ ही बीमारियों के बढ़ जाने के कारण यदि वे अस्पताल की शरण लेते हैं तो मुझे उपचार के लिये उचित प्रबन्ध भी करना चाहिये । प्रत्येक चीज का प्रबन्ध समान रूप से होना चाहिये । मंत्रालय ने भी निरोधक उपाय पर अधिक जोर दिया है ।

मैंने जब प्रधान मंत्री से जामनगर संस्था देखने के लिये कहा तो उन्होंने लिखा था :—

"इस गवेषणा संस्था में यह बड़ी दिलचस्प जांच की जा रही है, जिसका बड़ा सार्थक परिणाम निकल सकता है । आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा के बीच चलने वाले कथित संघर्ष का अध्ययन कर उसे समाप्त करना है । ठीक तरीका तो वैज्ञानिक तरीका है अर्थात् प्रयोग, जांच और गलती करके शुद्ध नतीजों पर पहुंचना । हम चाहे जो चिकित्सा पद्धति लें उसके अध्ययन से तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि वैज्ञानिक ढंग से उसे लागू न किया जाये । इस प्रकार अनेक प्रकार के संघर्षात्मक तरीके न होकर केवल एक वैज्ञानिक तरीके के विभिन्न पहलू हो सकते हैं । कोई भी चीज हमें मान कर नहीं चलना चाहिये । प्रत्येक चीज की परीक्षा करके और उसके सिद्ध हो जाने पर ही उसे वैज्ञानिक चिकित्सा पुरानी अथवा नई समझी जानी चाहिये ।"

मेरे माननीय मित्र ने आस्ट्रिया के एक डाक्टर का उद्धरण दिया है, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मेरे ही कहने से वह वहां गये थे । जो भी व्यक्ति चाव रखता हो, वह इस संस्था को जाकर देखे कि हम आयुर्वेद के लिये क्या कर रहे हैं । यूनानी का पहले कभी उल्लेख ही नहीं किया गया । मुझे हर्ष है कि एक सदस्य आज उसके बारे में बोले । होमियोपैथी और आयुर्वेद की भांति यूनानी के लिये बोर्ड स्थापित न कर सकने का कारण यह है कि इसकी सहायता के लिये कोई अपील नहीं की गई है । केवल अलीगढ़ ने सहायता मांगी थी और हमने अलीगढ़ को पर्याप्त राशि दी भी । अच्छे कार्य के लिये आवश्यकता पड़ने पर और अधिक सहायता दी जायेगी ।

दिल्ली के तिब्बिया कालेज के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसके संस्थापक के जीवित होने पर इसका स्थान कितना महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात् यह बुरे लोगों के हाथ में आ गया। बापू की मृत्यु से कुछ समय पूर्व उन्होंने इसके बारे में मुझसे बातचीत की थी। वह चाहते थे कि हम इस कालेज को ले लें। उनसे मेरी खूब बात चीत हुई। उन्होंने न्यासियों को बुलाया। वे लगभग एक इस प्रकार का संकल्प पारित करने पर सहमत हो गये कि इसे भारत सरकार को दे दिया जाये किन्तु बाद में वे अपने शब्दों से फिर गये। न्यासी आपस में लड़ने लगे। यह देखते हुए भी संस्था का प्रबन्ध खराब लोगों के हाथों में है, कुछ भी नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् मैंने मुख्यायुक्त से पूछा कि क्या इस बारे में हम विधि की सहायता ले सकते हैं। उस समय तक दिल्ली राज्य बन चुका था। इसका प्रबन्ध दिल्ली राज्य ही कर सकता था। दिल्ली राज्य ने अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी मांगों में पूछा था कि क्या इस संस्था को कुछ राशि दी जा सकती है। मैंने इसका विरोध नहीं किया। वास्तव में मैंने इसे स्वीकार कर लिया।

मैं सभा को बताना चाहती हूं कि मैं आयुर्वेद, यूनानी अथवा होमियोपैथी की विरोधी न होकर केवल अनाड़ीपन को विरोधी हूं वह चाहे किसी में भी हो। जब मुझ से कहा जाता है कि मुझे होमियोपैथी को मान्यता दे देनी चाहिये तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि कुछ सप्ताह के पत्र व्यवहार वाले पाठ्यक्रम को किस प्रकार मान्यता दे दूं जिसके द्वारा औषधियों का क्या उचित प्रभाव होगा यह बताय बिना लोगों को दवा देने का अधिकार दे दिया जाता है ? आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में भी आयुर्वेद के समर्थकों को भी यही राय दी थी कि यह परिवर्तन का युग है, कोई भी चीज सदैव एक-सी नहीं रहती। पश्चिमी देशों में आधुनिक चिकित्सा की बड़ी तीव्र गति से प्रगति हो रही है। यदि आप आधुनिक चिकित्सा के अर्हता प्राप्त डाक्टर हो जाते हैं तो दो वर्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा के स्नातकोत्तरीय अध्ययन में व्यय कीजिये तो आप आधुनिक चिकित्सा में आयुर्वेदिक पद्धति को लाकर उसमें और वृद्धि कर सकेंगे। मेरी इस सम्मति पर ध्यान नहीं दिया गया।

मैं चाहूंगी कि सभा यह बात स्मरण रखे कि सम्पूर्ण देश में जो कुछ हो रहा है उसका उत्तर-दायित्व स्वास्थ्य मंत्रालय पर नहीं है। स्वास्थ्य तो राज्य का विषय है। मुझे विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के अपने साथियों से अत्यधिक सहयोग प्राप्त होता रहा है। प्रतिवर्ष सम्मेलन में आने पर मुझे उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आयुर्वेद के सम्बन्ध में दो समितियों की स्थापना की गई है। एक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आयुर्वेद के लिये स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिये। इतने से ही सुन्तुष्ट न होकर दूसरी समिति की बैठक इस बात का पता लगाने के लिये हो रही है कि आयुर्वेदिक पद्धति का किस प्रकार विनियमन किया जाये और इस बारे में क्या सिफारिशें की जानी चाहिये। मैं इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही हूं।

मैं महसूस करती हूं कि लोग आलोचना करते समय चीजों को भली प्रकार समझते नहीं हैं। सारे प्रतिवेदन को पढ़कर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है, यह जानने का प्रयत्न नहीं करते। श्री कामत का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय तोड़ दिया जाना चाहिये। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐसा करने से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कुछ किया है वह काम कौन करेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह आशा करती हूं कि वे प्रतिवेदनों को पढ़ें और पहले यह देखें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना काम हुआ है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना और किया जाना है, उसके पश्चात् इस सबकी आलोचना करें।

†**श्री कामत** : वह किया जा चुका है, आप चिन्ता न करें।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं माननीय सदस्य को प्रतिवेदन का हवाला दूंगी। श्री कामत ने असाधारण शब्दों में कहा है कि सम्पूर्ण देश में मृत्यु, विनाश का उत्तरदायित्व मेरे मंत्रालय पर

†मूल अंग्रेजी में

[राजकुमारी अमृत कौर]
रहा है, अतः इसे क्यों रहने देना चाहिये ? इस प्रकार की टिप्पणी पर मैं दुःख प्रकट करने के सिवा और कुछ नहीं कहना चाहती । इस पर मुझे गुस्सा नहीं आता है । मुझे इससे दुःख होता है कि कोई बिलकुल झूठी बात कहे ।

जब राज्यों से आयुर्वेद, होमियोपैथी आदि में गवेषणा सम्बन्धी योजनायें आती हैं तो उन पर यथोचित विचार किया जाता है तथा उनके लिये धन दिया जाता है । यदि योजना में पहले कम उपबन्ध था तो इसका कारण यह नहीं कि मैं कम उपबन्ध चाहती थी परन्तु यह कि आवंटित राशि व्यय नहीं की जा सकी थी । इसमें मेरा दोष नहीं । मुझे राज्यों और संस्थाओं के द्वारा काम करना पड़ता है। मैं सभा को आश्वासन देती हूं कि जब कोई ठीक योजना आयेगी तो उसके लिये धन दिया जायेगा । भारत सरकार ने होमियोपैथी के अवर-स्नातक-प्रशिक्षण पर जोर दिया है और कलकत्ते में एक कालेज ऊंचे स्तर का बनाया जा रहा है । होमियोपैथी के स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था के लिये बम्बई सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

आयुर्वेद का प्रशिक्षण राज्यों के जिम्मे है फिर भी मैंने बहुत सी संस्थायें देखी हैं । यह देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि मद्रास, बम्बई, लखनऊ, बनारस और अन्य स्थानों की उन संस्थाओं में से निकलने वाले विद्यार्थी जिन्हें आधुनिक चिकित्सा के आधार पर नान क्लिनिकल विषय पढ़ाये जाते हैं, वे आधुनिक चिकित्सा करते हैं और उनमें से कोई भी आयुर्वेद चिकित्सा नहीं करता । वैद्यों में भी यह विवाद चल रहा है कि शुद्ध आयुर्वेद का प्रयोग किया जाये या मिले-जुले का । इस विषय में कुछ कहना कठिन है । इन संस्थाओं की देख रेख के लिये राज्य सरकारें हैं ।

यह कहा जाता है कि जन साधारण आयुर्वेद चिकित्सा चाहता है, आधुनिक चिकित्सा नहीं । बहुत से स्वास्थ्य मंत्रियों ने, जिनमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यह कहा है कि जब आयुर्वेदीय औषधालय खोले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें आधुनिक चिकित्सा चाहिये । आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथी की चिकित्सा के बारे में इतना कहने सुनने के बाद मुझे आशा है कि मैं सभा को विश्वास दिला सकी हूंगी कि मैं इनके विरुद्ध नहीं हूं । मैं इनकी सहायता करने और धन देने के लिये तैयार हूं । यहां अर्हता प्राप्त वैद्य और हकीम मुझे आश्वासन देते हैं कि धन का सदुपयोग किया जा सकेगा ।

जहां तक जन साधारण के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा की व्यवस्था करने का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहती हूं कि इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । यदि माननीय सदस्य प्रतिवेदन पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि बहुत प्रगति हुई है । देश में प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या बढ़ती जा रही है । मैं राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण और जल कार्यक्रम का उल्लेख फिर से नहीं करना चाहती । गांवों में पानी पहुंचाने के लिये मैं अनुदान दे रही हूं । यहां पर भी कार्य राज्यों के द्वारा किया जायेगा । जल प्रदाय तथा प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्रों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से लाभ उठाना, जो राशि प्रारम्भ में काफी होती है, राज्य सरकारों का काम है । यदि विदेशों से सहायता प्राप्त होती है तो वह प्रायः राज्यों को दे दी जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता देने पर जोर दिया जाता है ।

गन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में कुछ सदस्यों ने कहा और वे उठकर सभा से बाहर चले गये । यह विषय मुख्यतः निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय से सम्बन्धित है । परन्तु इसमें मुझे बहुत रुचि है क्योंकि यदि स्वास्थ्यप्रद वातावरण नहीं हो तो लोग स्वस्थ नहीं रह सकते । स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री परिषद् ने मांग की थी कि गन्दी बस्तियों को हटाने की अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार द्वारा राज्यों को उदार आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि गंदी

बस्तियों को हटाने का प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इस संकल्प के अनुसरण में निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २० करोड़ रुपये गन्दी बस्तियों को हटाने और भंगी बस्तियों के लिये अलग कर रखे हैं। इसमें से २५ प्रतिशत केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में, २५ प्रतिशत राज्य द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में और शेष ५० प्रतिशत राशि केन्द्र से ऋण के रूप में दी जायेगी। यह अच्छी योजना है। इसमें लोगों को प्लाट (भू-खण्ड) दिये जायेंगे जिन पर गन्दी बस्ती वाले लोगों को कम घने बसे नगरों में मकान बनाने दिया जायेगा। जब निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय की मांगें चर्चा के लिये आयेंगी तो आप मेरे सहयोगी से इसके बारे में और अधिक पूछ सकेंगे और मुझे संशय नहीं कि इस बारे में वह अधिक ठीक-ठीक जानकारी देंगे क्योंकि गन्दी बस्तियों को हटाना मेरे मंत्रालय का विषय नहीं है।

दिल्ली के लिये ५० लाख रुपया दिया गया था। वे मकान कैसे बनवाये जायेंगे, इसके बारे में प्रश्नों का उत्तर मैं पहले दे चुकी हूं। गन्दी बस्तियों को हटाने और उनमें सुधार करने के बारे में एक कठिनाई, जो दिल्ली में विशेष रूप से होती है, उस जनसंख्या का क्या होगा, जो विभाजन के पश्चात् बढ़ गई है और जहां लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है अथवा खुले मैदानों और बगीचों के लिये छोड़े गये क्षेत्र में अनधिकृत मकान बनवा लिया है। इन्हें कहां हटाया जाये? मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि हम गरीबों को अमीरों से अलग नहीं कर सकते। हम क्यों करें? वास्तव में तो हमें सारे नगर को फिर से बनाने और गन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में सोचना चाहिये और उन लोगों के बारे में सोचना चाहिये जो शारीरिक श्रम के लिये उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास जाते हैं। दुःख की बात तो यह है कि बार-बार मकान और बस्तियां बसाई गई हैं। बस्तियां बसाने वाले लोगों ने गरीबों का शोषण किया है और बस्तियां बसाई हैं। मुझे दुःख है कि इस विषय में कुछ मंत्रालय भी अपराधी हैं। और उन्होंने नाली इत्यादि की व्यवस्था नहीं की है।

अब मैं पीलिया रोग की दुःखद घटना की बात कहती हूं जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा की थी और जिसके बारे में मैं इससे अधिक कुछ नहीं चाहती कि मैंने सभा में प्रतिज्ञा की थी कि मैं स्वयं इस मामले की देख भाल करूंगी। उसके पश्चात् मैं सभा को बता सकती हूं कि मैं और मेरे साथी प्राय. प्रति दिन इसी बात पर विचार करते रहते हैं कि हम इसके लिये क्या कुछ कर सकते हैं, और जांच समिति के प्रतिदिन की सिफारिशों पर, जहां कहीं शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता थी, कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी विशेषज्ञ समिति को इस समिति की सिफारिशों पर विचार करके एक सप्ताह के अन्दर मेरे पास अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था, और इन लोगों ने भी दिन रात काम किया, प्रयोग किये और दूसरे अनुसन्धान किये तथा एक बहुत ही अच्छा प्रतिवेदन पेश किया जिसमें बताया गया है कि हम तुरन्त क्या काम कर सकते हैं और अल्प काल में क्या तथा दीर्घ काल कार्यक्रम के अन्दर क्या कुछ कर सकते हैं, और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो काम अभी किया गया है वह भी इसमें ठीक ढंग से समा जायेगा। मुझे बड़ी आशा है कि अगली मानसून में यदि बाढ़ें भी आ गईं, तो हम इस प्रकार के दूषित जल से दिल्ली की रक्षा कर सकेंगे और पहले जिस समय का विचार किया गया था उससे काफी कम समय के अन्दर हम नालियों और गन्दे नालों को नदी में गिरने से रोक सकेंगे। हम यह करने का प्रयत्न करेंगे।

किसी सदस्य ने ठीक कहा है कि नदियों में गन्दे नालों का गिरना, विशेषकर पवित्र नदियों में, और उन नदियों में, जहां लोग स्नान करते हैं, ऐसा विषय है, जिस पर विचार किया जाना चाहिये। इस प्रश्न की जांच की गई है। गवेषणा की जा रही है और राज्यों को सचेत किया गया है कि वह यथा सम्भव जितना कर सकते हैं, करें।

[राजकुमारी अमृत कौर]

विरोधी पक्ष के डा० रामा राव ने कुछ प्रश्न उपस्थित किये हैं, और मैं उन्हें सिनकोना के बारे में कुछ बताना चाहती हूं । मैं पहले भी उन्हें बता चुकी हूं, और मैं फिर से बताना चाहती हूं कि हमारे पास जो स्टाक है उसे सस्ते दामों पर बेचने के प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार करूंगी, चाहे इससे सरकार को कुछ हानि भी हो ।

जहां तक संश्लेषणात्मक मलेरिया विरोधी दवाइयां के तैयार करने का सम्बन्ध है, उनकी तैयारी फार्मेस्यूटिकल की तैयारी की बड़ी योजना के साथ होगी किन्तु हम इसे भूल नहीं गये हैं । हम उसके बारे में भी जागरूक हैं । किन्तु जैसा श्री टण्डन ने कहा कि यदि हम रिक्शा वालों को उनके काम से हटा देंगे, तो हम उन्हें बेकार कर देंगे, इसी के समान, मैं आप के सामने यह तथ्य रखना चाहती हूं कि यदि हम अपने सिनकोना के बागान को बन्द कर देंगे तो सैकड़ों हजारों लोग बेकार हो जायेंगे, और मैं ऐसा करना नहीं चाहती । रिक्शावालों के बारे में भी, जब मैंने राज्यों को लिखा (क्योंकि यह उनका विषय है), तो मैंने उनको बताया कि यह स्वस्थ्य के लिये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस काम से फेफड़ों और दिल को बड़ी हानि पहुंचती है । किन्तु मैंने उनको यह भी बताया कि, इन लोगों को दूसरा काम अवश्य दिया जाना चाहिये । अतः मैं श्री टण्डन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मुझे यह बात ध्यान में है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरा वैकल्पिक रोजगार दिये बिना इससे नहीं हटाया जाना चाहिये ।

चीन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि वह अपनी पुरानी चिकित्सा के लिये क्या कुछ कर रहा है । मैं अभी हाल ही में चीन गई थी और मैंने उन सब अस्पतालों को और संस्थाओं को देखा था, जो परम्परागत डाक्टरों द्वारा चलाये जाते थे । मैंने वहां पुराने डाक्टरों और आधुनिक डाक्टरों के बीच सहकारिता देखी । चीन ने आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को अपना लिया ह । अब चीन में अधिक पुराने ढंग के डाक्टर नहीं बन रहे हैं । वहां भी डाक्टरों की बहुत कमी है । मैं डा० रामा राव के कथन से सहमत हूं और मैं पहले ही राज्य मंत्रियों को यह सुझाव दे चुकी हूं कि उन्हें ऐसे लोगों को नौकर रखना चाहिये जो गांवों में रहते हैं और जो गांवों में जाने को तैयार हैं और उन्हें स्वच्छता तथा सफाई सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । चीन यही तो कर रहा ह । वह सब चीजों का उपयोग कर रहा है, किन्तु वहां किसी पुराने डाक्टर को संक्रामक बीमारी का इलाज करने की अनुमति नहीं है । उन्हें केवल पांच बीमारियों का इलाज करने की अनुमति थी अर्थात् पुराना दर्जा, पुराना जोड़ों की सूजन, पुराना जोड़ों का दर्द, आमाशय और आंत सम्बन्धी पुराना रोग तथा अत्यधिक आवेश में आने की पुरानी बीमारी । इसके अतिरिक्त उन्हें और किसी बीमारी का इलाज नहीं करने दिया जाता । वे अपनी पुरानी चिकित्सा सम्बन्धी गवेषणा भी कर रहे हैं, जैसी हम यहां करते हैं, और जब वे यहां आये थे तो उन्हें हमारे द्वारा किये जाने वाले काम में बड़ी दिलचस्पी हुई थी ।

मैं व्यक्तिगत रूप से चीन की प्रणाली का पालन करना चाहती हूं, किन्तु तब मुझे आयुर्वेद के प्रति असहिष्णु कहा जायेगा । यहां और बहुत से वैद्य तैयार किये जा रहे हैं; और उन्हें आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है, किन्तु वे आधुनिक चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं ।

मैं और भी कई बातों पर प्रकाश डालना चाहती थी, किन्तु अब समय नहीं रहा ।

मुझे प्रसन्नता है कि कैंसर के टाटा हस्पताल के प्रश्न पर डा० रामा राव सन्तुष्ट हैं । मलेरिया के लिये, हम कार्य कर रहे हैं, और बहुत कुछ कर चुके हैं । मलेरिया रोग के कारण लोगों का जितना समय नष्ट होता था, वह अब कम हो रहा है । अब मैं नहीं समझती कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो बहुत सी योजनायें आरम्भ की हैं, उनके प्रति किसी को कोई रोष है ।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मेरे मंत्रालय का काम प्रतिवेदन से, और हमारे द्वारा किये जाने वाले काम के आधार पर आंका जाना चाहिये। मेरे द्वार सदा खुले रहते हैं। जो भी आना चाहे आ सकता है और अपने सुझाव दे सकता है और मैं उन सब नवीन सुझावों को सुनने और उन पर विचार करने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के चौथे स्तंभ में दिखाई गई राशियों से अनधिकृत राशियां, राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांग शीर्षों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई है, उन भारों के पूरा करने के लिये दी जाये, जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा। मांग संख्या ४७,४८,४९,५० और १३०।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं व नीचे दी जाती हैं — संपादक]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
४७	स्वास्थ्य मंत्रालय ...	९,६७,०००
४८	चिकित्सा सेवायें	३,६९, ५८,०००
४९	लोक स्वास्थ्य	८,५२,५६,०००
५०	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	८७,४०,०००
१३०	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	७,९६,८४,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय की मांग संख्या १०१,१०२,१०३,१०४,१०५,१४३,१४४ और १४५ पर विचार करेगी जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं, वे पटल पर दे दें, उनके नियमित होने और उनके प्रस्तावक के उपस्थित होने पर उन्हें प्रस्तुत समझा जायेगा। प्रत्येक सदस्य को प्राय: १५ मिनट और आवश्यकतानुसार वर्गों के नेताओं को २० मिनट मिलेंगे।

निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१०१	निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय ...	५२,४३,०००
१०२	सम्भरण ...	२,११,५९,०००
१०३	अन्य असैनिक निर्माणकार्य	१७,९५,६०,०००
१०४	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	५,६३,०४,०००
१०५	निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	६०,००,०००
१४३	नई दिल्ली पूंजी व्यय	९,१७,८४,०००
१४४	भवनों पर पूंजी व्यय ...	९,२८,९५,०००
१४५	निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३,७१,२२,०००

†मूल अंग्रेजी में

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : अध्यक्ष महोदय, जो डिमान्ड वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई के सम्बन्ध में अभी सभा के सामने आई हैं उनके बारे में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। मुझे सबसे पहले यह कहने में खुशी होती है कि हमारी केन्द्रीय सरकार की जो भी मिनिस्ट्रियां हैं उनमें से निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय ऐसा है, जिसके मुताल्लिक हमारे सदन में कम से कम आलोचना सुनने में आती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन मांगों के लिये ४ घण्टे आवंटित किये गये हैं; यदि सभा आज आध घण्टा देर तक बैठने को तैयार है तो आज इन मांगों सम्बन्धी चर्चा समाप्त हो सकती है। माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यदि मुझ से यह आशा की जाती है कि मैं सब प्रश्नों के उत्तर दूं, तो ४०–४५ मिनट लगेंगे।

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: उत्पादन मंत्रालय की मांगों के लिये छः घण्टे आवंटित किये गये हैं। ६ तारीख को मैं यहां नहीं रहूंगा अतः कल को वाद-विवाद का मेरा उत्तर पूरा किया जाना चाहिये। इसको ध्यान में रखते हुए इस वाद-विवाद का समय नियत किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा आज आध घण्टा देर तक न बैठ कर कल आध घण्टा देर तक बैठेगी और उत्पादन मंत्रालय सम्बन्धी मांगों पर चर्चा पूरी की जायेगी।

श्री राधा रमण : मैं यह कह रहा था कि इस सदन में जहां केन्द्रीय मंत्रालयों के सम्बन्ध में बहुत आलोचनायें होती हैं, वहां वर्क्स, हाउसिंग एण्ड सप्लाई (निर्माण आवास और सम्भरण) का एक ऐसा महकमा है, जिसके सम्बन्ध में बहुत ही कम नुक्ताचीनी सुनने में आती है। इसका कारण यह है कि हमारे इस महकमे के मंत्री बड़ी दक्षता से, बड़ी मेहनत से और बड़ी कुशलता के साथ अपना कार्य करते हैं।

सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय को उस रिपोर्ट के लिये धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस सदन के सामने रखी है जिससे यह पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल क्या क्या काम किये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस मंत्रालय ने बहुत से काम ऐसे किये जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे बहुत अच्छे काम थे और जिनको जानकर हमें संतोष हुआ। और उन कामों को करने में जिस दक्षता का परिचय मंत्री महोदय ने दिया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। एक काम जो इस मंत्रालय ने किया, और जिसके बारे में काफी बहस-मुबाहसा इस हाउस में हो चुका था, वह यह है कि इसने फैसला किया है कि इस देश की बनी हुई चीजें ही और विशेष रूप से खादी अधिक से अधिक मात्रा में खरीदी जाये। इस रिपोर्ट से यह भी जाहिर होता है कि इस दिशा में उनके कदम बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वह बराबर इस बात का प्रयत्न करते जा रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में इन चीजों को खरीदा जाये। मेरी यह इच्छा है और मैं समझता हूं कि इस सदन की भी बड़ी इच्छा है कि केवल ऐसा की माल खरीदने का प्रयत्न किया जाये जोकि छोटे-छोटे कारीगरों द्वारा बनाया गया हो ताकि लोगों को अपनी आजीविका उपार्जन का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। विशेष तौर से खादी एक ऐसी वस्तु है जिसको अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और माननीय मंत्री जी को मालूम ही है कि कई सालों से इस सदन की यह पुकार चलती आ रही है और सदन की इस इच्छा को पूरा करके माननीय मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। हमें इस बात का भी विश्वास होता है कि आपके कदम इस दिशा में आगे

---

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ते ही जायेंगे । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय के जरिये एक बहुत बड़ी रकम सामान खरीदने के लिये खर्च होती है क्योंकि यह मंत्रालय गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्टरीज (मंत्रालय) हैं उन सबके लिये सामान खरीदता है । इसलिये यदि आप हिन्दुस्तान की बनी हुई ही चीजें खरीदेंगे तो लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठेगा। ऐसा करके आप छोटे-छोटे घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा दे सकेंगे, जो कि परम आवश्यक है । इस वास्ते मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करके यह मंत्रालय देश में बनी हुई और विशेषकर खादी, जिसके साथ हम सबको प्रेम है, जिसके द्वारा गांवों के छोटे-छोटे बुनकरों को रोजगार मिलता है की ओर विशेष ध्यान दे और यथाशक्ति उसे ही प्रयोग में लाये ।

इस मंत्रालय में जिस डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है वह सी० पी० डब्ल्यू डी० का महकमा है । यह किसी से भी छिपा नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में काफी गड़बड़ है । जितने भी काम इस डिपार्टमेंट में होते हैं, इंजीनियर से लेकर नीचे तक जितने भी काम करते हैं, उन सबकी कुछ रकम बंधी होती है । कांट्रेक्टर्स (ठेकेदारों) से यह रकम ली जाती है और सबमें तकसीम की जाती है । इसे हर कोई मानता है और खत्म करने की हम कोशिश तो अवश्य करते हैं लेकिन इस ओर हमें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है । विजिलेंस (निगरानी) भी होती है, इन्स्पेक्शन्स (निरीक्षण) भी होते हैं, फिर भी यह व्यापार उसी ढंग से चलता है जिस तरह से कोई धंधा खुलेआम किया जाता है । इसका खत्म किया जाना जरूरी है क्योंकि दिन प्रति दिन इसकी चर्चा होती है और लोगों के दिमागों पर इसका बुरा असर पड़ता है और वे हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं ।

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मुम्किन है, आपको पुरानी बातों का ख्याल हो ।

श्री राधा रमण : त्यागी जी को शायद यह मालूम नहीं है कि पुरानी बात ही आज नई बन कर हमारे सामने आ रही है ।

श्री कामत : आप तो महावीर चक्रधारी हो गये ।

श्री राधा रमण : इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब हैल्थ मिनिस्टरी की डिमांड्स (स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगें) यहां रखी गई थीं, उस वक्त उन पर बहस के दौरान में कुछ मैम्बरों ने दिल्ली की हालत के बारे में कुछ चर्चा की थी । पूज्य टंडन जी ने तथा हमारी बहन सुभद्रा जी ने बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में कही थीं और उनका जवाब भी राजकुमारी जी ने दिया था । उन्होंने कहा कि सरकार बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ कर भी चुकी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सही बात यह है कि हालत जैसी पहले थी, उससे कुछ बिगड़ी हुई ही नजर आती है, सुधरी हुई नहीं । हाउसिंग और हैल्थ मिनिस्टरी का जहां तक कि मकान बनवाने और गरीबों को अच्छे मकान प्राप्त कराने का ताल्लुक है, एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध है । आप देखें तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली में बहुत देर से एक पुकार थी और वह पुकार यह थी कि एक तरफ तो नई दिल्ली है और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली और इन दोनों को स्वर्ग और नरक से मुसाहबत (उपमा) दी जाती है । इस भेदभाव को दूर करना बहुत जरूरी है । नई दिल्ली की सड़कों पर चलने वाला इन्सान इस बात का पता नहीं लगा सकता कि पुरानी दिल्ली के रहने वाले लोगों की क्या हालत है, कैसी गली-सड़ी गलियों में वे लोग रहे हैं, किस तरह से वहां गंद बहता है और कितनी गंदी बस्तियां वहां पर हैं, बहुत कुछ कहने सुनने के बाद कि दिल्ली को एक मास्टर प्लान की जरूरत है, यहां के लिये एक डिवेलेपमेंट आथोरिटी बनी है । इस आथोरिटी को बने थोड़ा-सा अर्सा ही हुआ है । उसने पहला काम तो यह किया है कि जितने भी मकान अभी तक बन रहे थे या आधे बने थे, उन सबका बनाना बन्द करवा दिया है । जो एक्टिविटी कार्रवाई मकान बनाने के बारे में चल रही थी वह खत्म हो गई है । मैं मानता हूं कि उसकी मंशा यह नहीं है कि लोगों को तकलीफ दी जाये बल्कि उसका मंशा यही है कि मकान बनाते वक्त कुछ चीजें ध्यान

[श्री राधा रमण]

में रखी जायें और वे चीजें यह हैं कि मकान हवादार हों, कितनी जगह एक मकान में खुली होनी चाहिये, इत्यादि इत्यादि। यह सब बातें सही हैं लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या इन सब बातों से गरीब जनता की हालत सुधरी है। वह जो एक हैवानी जिन्दगी बसर कर रहे हैं उसमें कोई आराम व फैज पहुंच रहा है। अगर सरकार ३६५ दिन में कम से कम ३६५ आदमियों की तकलीफ भी दूर कर दे तो कुछ आराम लोगों को मिल सकता है। लेकिन हम साल व साल यह कहते हुये चले आ रहे हैं कि देहली में एक मास्टर प्लान की जरूरत है एक सिंगल आथॉरिटी (एकक प्राधिकार) की जरूरत है, कोआर्डिनेटिड एफर्ट (समन्वपित प्रयत्न) की जरूरत है लेकिन ऐसा कहने से उन गरीबों को जो इन बस्तियों में रहते हैं कोई आराम नहीं मिल सकता। इसलिये यह ख्वाहिश होती है कि सरकार को जगाया जाये और कहा जाये कि इस तरह से काम नहीं बनेगा और इन चीजों को जल्द से जल्द करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी सरकार इस तरफ तवज्जह दे सके उतना ही अच्छा है।

आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि चन्द दिन हुये हमारी दरख्वास्त पर हमारे महबूब प्राइम मिनिस्टर उन गलियों में और उन स्लम्स (गन्दी बस्तियों) में गये जहां कि गरीब लोग रहते हैं और उन लोगों से मिले। इसका प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल पर असर हुआ वह भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे सेंटर के मिनिस्टर भी कम से कम महीने में एक बार इनके पास जाकर देखा करें कि इन गली और कूचों में लोग किस तरह से रहते हैं और उनकी क्या हालत है, किस तरह वे अपनी जिन्दगी बसर करते हैं और किस तरह हमने उनको हैवानों की तरह छोटे-छोटे मकानों में रखा है जहां हवा का तो सवाल ही क्या है रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। अब अगर उनको हटाने की बात की जायेगी तो एक तरफ जहां उनको खौफ होगा वहां दूसरी तरफ उनको आशा भी बंधेगी। लेकिन अगर सरकार उनके खौफ को दूर करती जाये और आशाओं को पूरा करती जाये तो मैं समझूंगा कि उसने अपने फर्ज को अंजाम दिया है और उसे यह कहने का मौका मिल सकेगा कि वह जो बड़ी-बड़ी बातें करती हैं कि देश में समाजवादी व्यवस्था लानी है और यहां से गुरबत को दूर करना है। इनसानों को तकलीफ से नजात दिलानी है इत्यादि इत्यादि। और उस कदम तरफ उसका कदम भी उठता दीखने लगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं वह हमारी मंजिल पर पहुंचने के लिये बहुत धीमी है। अगर आज हम पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के चारों तरफ देखें तो मालूम होगा कि जिन इन्सानों की जिन्दगी का हम यहां बैठकर बारा न्यारा करते हैं उनकी जिन्दगी बड़े खतरे में है। यह जो सैकड़ों की तादाद में छोटी-छोटी टाउनशिप्स (बस्तियां) बन गई हैं इनमें लोगों को रहने के लिये अच्छे हवादार और सस्ते मकानात नहीं मिलते और वे टी० बी० के शिकार हो रहे हैं और आपके पास जो टी० बी० का इलाज करने के साधन हैं वे बहुत सीमित हैं जिसकी वजह से उन गरीब भाइयों को जो बीमारी के शिकार होते हैं अपस्तालों में दाखिला तक नहीं मिलता। तो मैं मिनिस्टर साहब से बिनती करूंगा कि दिल्ली के इस हाउसिंग के प्राबलम को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। हमारी सबसे पहली बेसिक नीड (मूल आवश्यकता) खाने की है, दूसरी कपड़े की है और तीसरी अच्छे मकानों में रहने की है। हमने खाने के सवाल को हल कर लिया है, कपड़े के सवाल को भी किसी कदर हल कर लिया है। अब सबसे बड़ी हमारी जरूरत यह है कि बड़े-बड़े शहरों में और खास कर राजधानी जैसी जगह में रहने की समस्या हल की जाये। आप यहां से आधा मील भी जायें तो आपको ऐसी-ऐसी बस्तियां मिलेंगे जो कि इन्सान के रहने के काबिल नहीं हैं। परसों या तरसों जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हार्डिंग ब्रिज गये थे तो उन्होंने वहां पर मजदूरों की एक बहुत बड़ी बस्ती को देखा था। ये वे लोग हैं जिन की मेहनत से हम बड़े-बड़े मकान बनाते हैं और हम उनमें रह कर आराम की जिन्दगी बसर करते हैं। मेरा सिर शर्म से

झुक गया जब मैंने देखा कि इनकी बस्ती में पानी का काफी इन्तिजाम नहीं है, उनके ऊपर छत नहीं हैं, उनके पास रहने की मुनासिब जगह है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आज दिल्ली के अन्दर इस बात की बहुत जरूरत है कि हैल्थ मिनिस्ट्री और हाउसिंग मिनिस्ट्री में पूरा कोआर्डिनेशन (समन्वय) हो और इस मामले पर वह सबसे ज्यादा तवज्जह दें और कोई ऐसी कदम उठावें कि अगर मास्टर प्लान के बनने में देर लगे तो भी कोई ऐसा फौरी तरीका अपनाया जाये कि ऐसे मकान जिनमें आदमी एक दिन भी नहीं रह सकता-उनको इस कदर बेहतर किया जाये कि वहां रहने वालों को कुछ तो आराम मिल सके। इस सिलसिले में मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम इससे सन्तुष्ट नहीं हो सकते कि इन गन्दी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको उठाकर आप बहुत दूर रख दें जिससे उनकी जो तकलीफ है वह औरं भी बढ़ जाये और वे अपनी रोजी से वंचित हो जायें और जो उनके मकानों की जमीन है उस पर बड़े आदमियों के मकान बनाये जायें या उनको बड़ी कीमत पर बेच दें आपने पहले यह फैसला किया था और यह यकीन दिलाया था : "कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बहुत कम इधर-उधर भेजना चाहिये और उनको इन गन्दी बस्तियों के वर्तमान स्थान पर ही या इनके समीप ही फिर से बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये, और उनको वहां से उखाड़ नहीं दिया जाना चाहिये।" इस अश्योरेंस (आश्वास) को पूरा करना चाहिये और इस काम के लिये आपको काफी रकम रखनी चाहिये। आपने अगली योजना में इसके लिये २० करोड़ रुपया रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस रुपये से आप हालात को किसी कदर दुरुस्त कर सकेंगे। अब जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस तरफ तवज्जह दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप भी और हैल्थ मिनिस्टर भी इस तरफ तवज्जह देंगे और दिल्ली के इम्प्रूवमेंट के लिये कोई ऐसी रकम रखेंगे ताकि लोगों की उम्मीद पूरी की जा सके और वह यह देखें कि सिलसिला शुरू हो गया है और यह ऐसी जगह जाकर खत्म होगा कि लोगों की तकलीफ जाती रहेगी। मैं चाहता हूं कि इस तरफ बहुत जल्द कदम उठाया जाये।

आपने एक लो इनकम (कम आय) वालों के लिये मकान बनाने की स्कीम निकाली थी। इसके लिये आपने स्टेट्स को रुपया एलोकेट किया था। दिल्ली सरकार ने भी उस रुपये से बहुत लोगों को मदद पहुंचाई। लेकिन रिपोर्ट से मुझे मालूम होता है कि जो रुपया आपने एलोकेट किया था उसमें से आधे से भी कम स्टेट्स ने उसे इस्तैमाल किया है। इसकी क्या वजह है यह हमको जानना चाहिये कि रुपया होते हुये भी इसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

आपने मिडिल क्लास के लोगों के लिये भी २५ हजार रुपया तक कर्ज देकर मकान बनाने की स्कीम बनायी थी। क्या इंश्योरेंस के नेशनलाइजड होने से वह खत्म कर दी गयी या खत्ते में पड़ गयी। मैं चाहता हूं कि जो आपकी स्कीम थी कि इंश्योरेंस कम्पनीज से रुपया लेकर इस स्कीम को चलाया जायेगा, उस स्कीम को आप इन्श्योरेंस कार्पोरेशन से रुपया लेकर चलायें या किसी और तरह से चलायें। इसकी भी काफी जरूरत है, इसलिये इसका भी कोई न कोई तरीका अख्तियार करना चाहिये। इस स्कीम से मिडिल क्लास के लोगों को भी उम्मीद बंध गई थी उसे भी पूरा किया जाये।

इसके अलावा मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पुरानी और नई दिल्ली में जो असमानता देखने में आती है उसे शीघ्र दूर किया जाये और ऐसे कदम उठाये जायें जिस से इस मसले का फौरी हल निकले ताकि इन गन्दी बस्तियों में रहने वालों को कुछ शान्ति और सन्तोष मिल सके।

इन शब्दों के साथ जो काम इस मंत्रालय ने किया है उसके लिये उसको बधाई देता हुआ मैं सिफारिश करता हूं कि जो डिमांड्स सदन के सामने रखी गई हैं उनको मंजूर किया जाये।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्): औद्योगिक कर्मकरों के लिये आवास योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह अच्छी तरह पूरा नहीं हुआ है। सरकार गैर-सरकारी मालिकों को इन लोगों के लिये मकान बनाने के लिये प्रोत्साहित करने का प्रयत्न नहीं करती और न ही उनसे इसके लिये जोर देकर कुछ कहती है। पश्चिम बंगाल राज्य में मालिक मजदूरों के लिये मकान नहीं बनाते। कुल्टी में इस्पात श्रमिकों की दशा बहुत खराब है। सरकार मालिकों पर मकान बनवाने के लिये दबाव नहीं डालती। वे बहुत धन कमाते हैं परन्तु श्रमिकों की तनिक चिन्ता नहीं करते।

कम आय वाले लोगों के लिये गृह-निर्माण की योजना की भी शोचनीय दशा है। मद्रास राज्य के लिये ८१ लाख रुपये दिये गये थे उसमें से केवल १७·७ लाख रुपयों का उपयोग किया गया है। अन्य राज्यों में भी यही दशा है। इस के लिये उचित कार्यवाई की जानी चाहिये।

गन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में एक अधिनियम बनाया गया है। इसका लाभ उठाकर दिल्ली सुधार प्रन्यास ने बहुत से स्थानों के गरीब लोगों को दूर-दूर स्थानों पर भेज दिया है तथा बड़े बड़े भवन बनवाकर किराये से लाभ उठा रहे हैं। इसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। इन बस्तियों में से निकाले गये लोगों के लिये सरकारी सहायता द्वारा उसी क्षेत्र में सस्ते मकान बनवाये जाने चाहियें। गन्दी बस्तियों का अर्थ वह नहीं है कि गरीब लोगों को धनवान लोगों वाले स्थानों से हटा दिया जाये। उन्हें भी नगर में रहने का अधिकार है। पण्डित नेहरू को गन्दी बस्तियां देखकर बड़ा दुःख हुआ था। विस्थापित व्यक्तियों के आने से इन बस्तियों की दशा और भी खराब हो गई है। सरकार को चाहिये कि वह इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की भलाई के लिये कार्य करे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों के बारे में भी कुछ कहना है। वहां के १३,००० व्यक्तियों में से केवल २,५०० को स्थायी और २,५१६ को अर्धस्थायी बनाया गया है। शेष अभी भी स्थायी नहीं बनाये गये हैं। यह युक्तियुक्त नहीं कि १०–१५ साल की नौकरी वाले लोगों को अर्ध स्थायी या अस्थायी रखा जाये। इन व्यक्तियों को यथाशीघ्र स्थायी बना दिया जाना चाहिये, क्योंकि मंत्रालय के कार्यालय बढ़ रहे हैं और उनको इनकी आवश्यकता होगी।

गत वर्ष मंत्री महोदय ने कहा कि इन लोगों की शिकायतें दूर की जायेंगी और उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी जायेंगी। अभी केवल दिल्ली में ही यह सुविधा दी गई है कुछ औषधालय खोले गये हैं और उन में भी अर्हता प्राप्त कम्पाउंडर नहीं है। मंत्री महोदय ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया है। हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों को भी मकान नहीं दिये गये हैं और उन्हें अंशदायी स्वास्थ्य योजना में भी सम्मिलित होने नहीं दिया जाता, और न ही उन्हें अधिक समय तक काम करने का भत्ता दिया जाता है। कर्मचारियों को तंग किया जाता है और दण्डित किया जाता है। एक भारतीय फुटबाल खिलाड़ी इसी लिये नौकरी से निकाल दिया गया है कि उसने हंगरी में एक स्वागत समारोह में भाग लिया था। कर्मचारी की नौकरी की कालावधि पर ध्यान दिये बिना ही केवल पुलिस की रिपोर्ट पर लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है।

कर्मचारियों की अन्य बड़ी शिकायतें हैं। राष्ट्रपति भवन के उद्यान में लगभग २५० व्यक्ति काम करते हैं। वे २५–३० साल से काम करने के बावजूद भी स्थायी नहीं बनाये गये हैं। उन्हें छुट्टी देने या निवास स्थान देने के बारे में भी कोई नियम नहीं है। यदि उन्हें निवास स्थान दिया जाता है तो उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। इन लोगों की भर्ती काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा न करके सुपरिनटेंडेंट की इच्छानुसार की जाती है। इन २५० व्यक्तियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत बागवानी विभाग में लिया जाना चाहिये तथा उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता के लेखन सामग्री ठेका कर्मचारियों की ओर से मुझे प्रतिवेदन मिला है । इन्हें दो रुपया प्रतिदिन के दैनिक वेतन पर रखा जाता है । विभाग ने उन्हें अपने अधीन नहीं लिया है । इस प्रकार वे १५–२० वर्षों से कार्य कर रहे हैं । २० मार्च को इन कर्मचारियों ने अच्छे वेतन, अच्छी शर्तें और इतवार की छुट्टी के लिये हड़ताल की थी । इन्हें इतवार तक की छुट्टी नहीं मिलती । माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इनकी जांच करें और इन्हें विभाग के अन्तर्गत लेकर इस बात को देखें कि इन्हें न्यूनतम सुविधायें एवं वेतन दिया जाता है ।

अब मैं एस्टेट आफिस की चर्चा करूंगा । वहां दो सैक्शन हैं । एक है किराया सैक्शन तथा दूसरा इलाटमेंट सैक्शन । रेन्ट (किराया) सैक्शन में कर्मचारियों की कमी है तथा किराये की बहुत सी रकम बाकी पड़ी है । इलाटमेंट सैक्शन में कर्मचारियों की संख्या अधिक है । और वहां पर बिना किसी परीक्षा आदि के कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी जाती है जब कि किराया सैक्शन में बिना परीक्षा पास किये पदोन्नति नहीं होती । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी जांच करें ।

गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये एक सिद्धान्त अपनाया जाय । क्योंकि यह समस्या केवल दिल्ली की ही नहीं है अपितु सारे भारत की है । इसके लिये अधिक मकानों का बंटवारा किया जाये । इस समस्या का हल करते समय दक्षिण का भी ध्यान रखा जाये । राज्य सरकारें भी इस मामले में केन्द्रीय सरकार को सहयोग देंगी ।

श्री आर० एन० सिंह (जिला गाजीपुर पूर्व व जिला बलिया दक्षिण पश्चिम) : मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री वर्क्स और हाउसिंग और सप्लाई से अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम कुछ छोटी-छोटी बातों पर भी वे ध्यान दिया करें । मैं इस के सम्बन्ध में पिछल सालों में भी कह चुका हूं, लेकिन आपने उनको छोटी चीजें समझ कर टाल दिया ।

अभी-अभी मेरे पहले एक वक्ता बोल गये जो कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ ही बैठते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि एक यही ऐसा विभाग है जिस में कोई शिकायत नहीं सुनाई देती । मैं तो यह कहूंगा कि यही एक विभाग है, चाहे वह सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० हो या राज्यों का पी० डब्ल्यू० डी० हो, जो कि देश में भ्रष्टाचार का स्थान है । मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि वह आपके द्वारा किया जाता है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो आपकी मशीनरी है उसमें यह दोष है, उसके द्वारा यह भ्रष्टाचार किया जाता है । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चूंकि आप उस तरफ बैठे हुये हैं इसलिये शायद आपके कानों तक पूरी बातें नहीं जाती हैं । कल भी मैंने एक मंत्री महोदय से कहा था कि अगर आप इधर के स्थानों पर बैठ जायें या सदस्यों की जगह पर बैठ जायें तो आपको बहुत सी बातें सुनाई देंगी । बहुत से सदस्य इन बातों को जानते हैं लेकिन कहते नहीं हैं । उनको बहुत सी बातों का खौफ भी रहता है इसलिये क्यों कहने जायें, क्यों इन बातों में पड़ने जायें ? फिर इन सब बातों के कहने से कुछ लाभ भी नहीं होता है क्योंकि उनको मालूम है कि लाख दो लाख रुपयों के गबन की बातों को इस जगह पर सुना नहीं जाता, उसको टाल दिया जाता है । ऐसी बहुत-सी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ छोटी बातों के सम्बन्ध में ही कहना चाहता हूं । मेम्बरों के जो फ्लैट्स और बंगले हैं या आपके भी जो फ्लैट्स या बंगले हैं, उनमें वायर्स लगाये जाते हैं बिजली के । वहां पर पहले के तारों को निकालने की बात होती है, पर ऐसा होता नहीं है । मामूली तौर से काट पीट कर पिछले तारों को ही जोड़ दिया जाता है, पुराने तार ही रह जाते हैं, और अगर उनको निकाला भी तो उनको स्प्रिट से धो कर जिस से कि वह साफ हो जायें, और चीजों में लगा दिया जाता है या वहां पर फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है । नये जो तार होते हैं वे बाजारों में बिकते हैं । इस तरह की बातें अक्सर देखने में आती हैं । मैं इन सब चीजों को आपके सामने रख रहा हूं । हो सकता है कि आप कहें कि यह मामूली चीजें हैं और इन पर कम ध्यान दिया जाना चाहिये । यह तो सिर्फ एक लाख या दो लाख की बात है ।

[श्री आर० एन० सिंह]
लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि छोटी-छोटी चीजें ही बाद में बड़ी बन जाती हैं। एक-एक बूंद करके तालाब भर जाता है। छोटी-छोटी चोरियों से अरबों और करोड़ों रुपया गबन हो जाता है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने थोड़ी आमदनी वाले लोगों के लिये कर्ज के तौर पर मकान बनाने के लिये रुपया देने की व्यवस्था की है। यह एक अच्छी योजना है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन आपने यह किया है कि यह योजना बड़े-बड़े शहरों और नगरों में ही लागू होगी। मेरी प्रार्थना है कि यह जो योजना है यह छोटे-छोटे गांव में भी जानी चाहिये। उन किसानों को जो देहातों में काम करते हैं और उन मजदूरों को जो खेती करते हैं, इस योजना से लाभ उठाने का मौका दिया जाना चाहिये। उनको भी घर की आवश्यकता होती है। आपने कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनको तो इस योजना के अन्तर्गत लाने का फैसला किया है जिसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो खेतों में काम करते हैं, उनको इस लाभ से क्यों वंचित किया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्या आप चाहते हैं कि एक किसान जो कि एक छप्पर में रहता है और जिसके पास मकान नहीं है, बारिश के दिनों में भीगता रहे और उसके पास पक्का मकान न हो आपको मालूम होना चाहिये कि जिस शानदार बिल्डिंग के अन्दर आप बैठे हुए हैं, इसके बनाने पर जितना पैसा भी खर्च आया है, वह सारा पैसा आपने उसी किसान और मजदूर से प्राप्त किया है। ये मजदूर आपके लिये गल्ला पैदा करता हैं जिससे आप अपना पेट भरते हैं और जीते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आपकी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आपने हमारे पास एक पैम्फलेट भेजा है जिस में आपने जो कुछ पिछले साल में किया है उसकी समरी (सारांश) दी हुई है। इसमें आपने कहा है कि कुछ स्कीमें हैं जिनको पूरा करने के लिये आपके पास पैसा नहीं है। इससे पढ़कर मुझे बहुत कष्ट हुआ। जिनके परिश्रम से आपके पास पैसा आता है, जिनसे आप पैसा वसूल करते हैं, जब कोई स्कीम उनकी भलाई के लिये आप बनाते हैं तो उसको इस बिना पर आप टाल देते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। और चीजों के बारे में जिनके बारे में यह कहा जाता है कि पैसा नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जब एजुकेशन का सवाल आता है तो भी यह कह कर कि पैसा नहीं है, उसको टाल दिया जाता है। इसी तरह से जब किसानों के लिये, मजदूरों के लिये कुछ करने का सुझाव दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि यह पासिबल (सम्भव) नहीं है, यह सम्भव नहीं है। आपने यह कहा है कि आप एक-आध आदर्श बस्ती बना देंगे। मैं कहता हूं कि आप एक काम जरूर करें और वह यह कि हर गांव में आप या आपकी राज्य सरकारें १०—२० मकानों में अवश्य सुधार करती जायें। हमारे यहां यू० पी० गवर्नमेंट ने गांव सुधार की एक योजना बनाई है और कुछ नक्शे तैयार किये हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि उनके पास इस योजना को लागू करने के लिये पैसा नहीं है। नक्शे तो उन्होंने बना लिये हैं लेकिन पैसा उनके पास नहीं है। केवल नक्शे बनाने से ही काम नहीं चल सकता। किसी योजना को कार्यरूप देने के लिये पैसे की जरूरत होती है।

आप नगरों और शहरों में मकान बनाते जा रहे हैं, इससे मुझे कोई विरोध नहीं है। इसके बारे में मेरे मन में कोई द्वेष की भावना नहीं है। मैं मानता हूं कि यह भी बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों के लिये, खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिये, जोकि सदियों से टूटी-फूटी झोंपड़ियों में रहते आये हैं, उनके लिये भी मकान बनाये जायें। मुझे प्रसन्नता है कि अभी एक दो दिन हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने यहां की गन्दी बस्तियों को देखा था। उन्होंने ऐसी बस्तियों को जला देने की सलाह दी थी। यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि केवल दिल्ली ही नहीं है जहां पर कि गन्दी बस्तियां है बल्कि बाकी देश में भी गन्दी

बस्तियां हैं । इस दिल्ली को मुगल बादशाहों ने स्वर्ग बनाने की कोशिश की, अंग्रेजों ने भी इसे स्वर्ग बनाने की कोशिश की और आज हमारी सरकार भी दिल्ली को ही स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रही है और इसी की ओर सब से अधिक ध्यान दे रही है । दिल्ली की तरफ तो आपका ध्यान जाता है लेकिन उन लोगों के खून और पसीने की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है जिनकी वजह से दिल्ली बनी है । मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट का नारा लगाया है जब कि वह इस पर अमल नहीं कर रही है । क्या सोशलिस्टिक पैटर्न का यह मतलब है कि केवल दिल्ली की ओर ही हमारा ध्यान जाये और बाकी देश की ओर न जाये ? मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली जो है उसे गिरा दिया जाय या दिल्ली की शान को बनाये न रखा जाये । मैं चाहता हूं कि दिल्ली की शान बनी रहे । लेकिन इसकी शान भी तभी बनी रह सकती है जब कि हम अपने देश के करोड़ों किसानों की हालत को सुधारें, उनको रहने के लिये अच्छे मकान दें । ऐसा करने से ही दिल्ली का बेड़ा पार हो सकता है । इस वास्ते मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि किसानों को मकान बनाने के लिये कर्ज देने की योजना को चालू किया जाये । आप चाहते हैं कि दिल्ली को अच्छा बनाया जाये ताकि जो दूसरे देशों के लोग यहां आते हैं वे देखकर सन्तुष्ट होकर वापस जायें । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा विदेशी आ गया जो कि देश के दूसरे गांवों को देखने चला गया तो उनको देखने के बाद वह यही कहेगा कि यहां पर दिखावटी बातें ही होती हैं । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि गांवों की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाये ।

अब आपके जो मकान बनत हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । आपके जो मकान बनें वे ऐसे नहीं होने चाहियें, जो कि कागजी हों या उनमें नक्काशी की हुई हो । ऐसे मकान बनने चाहियें जोकि कुछ टिकाऊ हों, कुछ देर तक रह सकें । मैंने देखा है और मैंने आपको लिखा भी है कि आपके जो मकान बनते हैं उनमें बालू के सिवा और कुछ नहीं लगाया जाता है । कुछ क्वार्टर बनाये गये हैं जिनका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता जिनकी कि बैलकनी झुक गई है । मैं चाहता हूं जो चीज बनाई जाये अच्छी बनाई जाये और अच्छे मसाले का इस्तेमाल किया जाये । इसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि जब मैं नार्थ एवेन्यू में १९५३ में रहा करता था उस वक्त मेरी बगल में कुछ फ्लैट्स बनाये जा रहे थे । मैं जब भी बाहर निकलता था तो यही देखता था कि सिमेंट की जगह बालू का ही अधिक इस्तेमाल हो रहा है । कुछ दीवारें बनाई गई थीं जिनको कि मैंने ही ढहा दिया था और उनमें से बालू और मिट्टी निकाल कर मैंने स्वर्गीय स्पीकर साहब के पास भेजी थी यह देखने के लिये कि किस तरह का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है और जो परसेंटेंज बालू और सिमेंट का तय किया जाता है, उतना सिमेंट नहीं डाला जाता है । सैंकड़ों की तादाद में सिमेंट की बोरियां बाजारों में जा कर बेची जाती है । इस सब चीज का अफसरों के ऊपर दोष लगाया जाता है । मेरा उनके प्रति कोई द्वेष-भाव नहीं है । लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि आप जरा सा अपने बड़े-बड़े भूतपूर्व इंजीनियर्स को देखिये ।

उनकी तनख्वाहें ४,००० रुपये से अधिक नहीं होंगी, लेकिन आज करोड़ों के ठेकेदार वही हैं, उन्हीं से ठेके होते हैं । मैं नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत से ठेकेदार ऐसे हैं जो कि आप के यहां चीफ इंजीनियर रह चुके हैं । तो क्या मैं आप से यह निवेदन करूं कि आप भी अपने विभाग के इन कर्मचारियों, जिनके द्वारा देश का काम होता है और जो देश का निर्माण करते हैं, उनकी पहले की और अब की हालत को देखिये । आप देखिये कि जब वह आये थे तो उनकी हालत क्या थी और आज वह किस हालत में हैं । यहां पर कुछ नियम और कानून ऐसे बन चुके हैं कि यदि किसी कर्मचारी के ऊपर शक व शुब्हा हो तो उसको पहले की स्थिति का पता लगाया जाये । आज वह कैसी स्थिति में हैं, कुल ४,००० रुपये तनख्वाह पाते हुए भी आज वह करोड़ों के मालिक हैं, आखिर किस आमदनी से । आप उसकी तन्ख्वाह का हिसाब लगा कर देखिये ? अगर उसने कोई गड़बड़ी नहीं की तो उसके पास

[श्री आर० एन० सिंह]
कैसे इतना पैसा आ गया, कैसे वह इतना मालदार हो गया। इस तरफ भी आप को ध्यान देना चाहिये। आप केवल यही न कह दें कि हमारे यहां मकान बन रहे हैं। मकानों की संख्या कागजों में आ रही है, लेकिन आप इस पर भी ध्यान दें कि आखिर वह मकान बन कैसे रहे हैं। मैं आप से बार बार कहता हूं कि यह देखा जाय कि जो मकान बन रहे हैं वह किस प्रकार के हैं, मजबूत हैं या कमजोर हैं, सिर्फ पूछ कर ही आप उसको अच्छा न समझ लें।

मेरा समय खत्म हो गया, मैं और भी बातें कहना चाहता था, लेकिन मैं हाउस का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस विभाग के लिये केवल चार घण्टे रखे गये हैं, जब कि इसके लिये कम से कम सात या आठ घण्टे चाहिये थे क्योंकि वह यह विभाग है जो कि देश का निर्माण करने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अवसर तो गुजर चुका, हाउस के सामने इसको रखा गया और उसने मंजूरी भी दे दी, अब मेम्बर साहब को शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्री आर० एन० सिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय से कहता हूं कि आगे के लिये इस पर विचार किया जाय।

†**श्री रणजीत सिंह** (संगरूर) : दिल्ली की जन संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। शहर में बहुत भीड़ भाड़ हो गई है। अतः यह आवश्यक है कि इस भीड़ को रोकने के लिये सरकार को प्रभावकारी कार्यवाही करनी चाहिये। दो उपायों से सरकार इस कार्य को कर सकती है। पहला उपाय तो यह है कि सरकार सस्ते दामों पर तथा सस्ते मूल्य से भूमि एवं मकान बनाने का सामान दे जिस से लोग अपना मकान बना सकें। दूसरे कम महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को उन स्थानों को भेज दे जहां कि स्थान उपलब्ध हो। युद्ध काल में जिन मकानों को सरकार ने अपने उपयोग के लिये लिया था वे अभी तक सरकार के पास हैं। उनकी मरम्मत पर भी सरकार को व्यय करना पड़ता है। उनकी मरम्मत उचित ढंग से नहीं की जाती अतः उनकी स्थिति बिगड़ रही है जिस से मालिकों को काफी हानि पहुंच रही है। यह समझ में नहीं आता कि सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान मालिक क्यों हानि उठाये। सरकार को उन मकानों को छोड़ने के बारे में एक तिथि निश्चित करनी चाहिये।

किराया नियन्त्रण अधिनियम लड़ाई के दौरान में लागू हुआ। इसके कारण मकान मालिक अपने या अपने निकटतम रिश्तेदार के उपयोग के लिये भी अपने मकानों को खाली नहीं करा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि किरायेदारों को लाभ हुआ। उदाहरण के लिये कनाट प्लेस की एक दुकान को ही लीजिये। लड़ाई से पूर्व किसी ने ४०,००० की लागत से एक दुकान बनवाई। उस समय आवश्यकता कम होने के कारण उसका किराया केवल १५०) प्रतिमास था इसी बीच लड़ाई छिड़ गई और किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू हो जाने से उसका किराया तय हो गया। इस प्रकार दुकान मालिक को तो कोई लाभ नहीं हुआ जब कि किरायेदारों को काफी लाभ हुआ। इन दुकानों के किरायेदार जो व्यापार करते हैं उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। सभी प्रकार के नियन्त्रण लड़ाई के पश्चात अब समाप्त हो गये हैं। मेरा निवेदन यह है कि इन दुकानों के किराये सम्बन्धी नियन्त्रण को भी अब समाप्त कर देना चाहिये। यदि सरकार समझती है कि अधिनियम के निरसन के लिये यह उचित समय नहीं है तो कम से कम दुकान मालिक को अपने तथा अपने निकटतम रिश्तेदार के उपयोग के लिये एक दुकान खाली कराने का तो अधिकार मिलना चाहिये। अगर इतना भी नहीं किया जा सकता तो मैं समझता हूं कि यह न्याय की अवहेलना होगी। क्योंकि दुकान मालिक इस प्रकार कठिनाई में पड़ जायगा। सरकार

†मूल अंग्रेजी में

को चाहिये कि इस मामले की जांच करे और उपयुक्त कार्यवाही करे । वास्तव में देखा जाय तो उनकी आय बहुत ही कम है । यदि आंकड़ों के आधार पर देखा जाय तो मैं कहूंगा कि कुछ पुराने मामलों में आय १/४ प्रतिशत से भी कम है । निस्संदेह यह ठीक है कि नये मकान अच्छी आय दे रहे हैं । अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि सरकार इस मामले की जांच करे और मालिकों की मांग पर उनके पक्ष में अथवा ठीक प्रकार से विचार करे ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : एक आजाद देश का देशवासी जहां यह चाहता है कि उसे खाना मिले और पहनने के लिये कपड़ा मिले वहां वह यह भी चाहता है कि उसे रहने के लिये मकान मिले । आप को मालूम है कि हमारे देश ने और हमारी कांग्रेस सरकार ने यह फैसला किया है कि हम इस देश में समाजवादी ढंग का समाज कायम करेंगे । ३१ मार्च को हमने अपनी पहली पंचसाला योजना पूरी की है । मैं समझता हूं कि हर हिन्दुस्तानी को यह सोचने की कोशिश करनी चाहिये कि आज हमारा देश किधर जा रहा है, आया हमने जो उद्देश्य अपने सामने रखा है उसे प्राप्त करने के रास्ते पर हम जा रहे हैं या किसी दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं । अभी मैं सैकिंड फाइव इअर प्लान को पढ़ रहा था । पहली पंचसाला योजना के दौरान में कुल १४,९०,००० मकान बनने का अन्दाजा है । इनमें से ७,४०,००० मकान ऐसे हैं जिन के बनने में सरकार ने किसी न किसी ढंग से मदद दी है, चाहे वे मकान इस देश में सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये गये हों, चाहे कम आमदनी वालों के लिये बनाये गये हों जो कि कभी अपना मकान बनाने का सपना भी नहीं देखते थे, चाहे मजदूरों के लिये बनाये गये हों । पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने इतना काम किया है इसके लिये वह मुबारकबाद की हकदार है और यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार ने जो समाजवादी ढंग का समाज बनाने का ऐलान किया है वह उसकी तरफ बढ़ रही है ।

अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी नम्बियार साहब ने मजदूरों के बारे में कुछ कहा । उनकी तरफ हमारे माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे । लेकिन मैं आप को सन् ४७ की हालत के बारे में बतलाना चाहता हूं जब कि जो लोग काम करते थे उनको यह मालूम नहीं था कि उनकी नौकरी पक्की होगी या नहीं और यह भी देखें कि उनको छुट्टी की क्या सहूलियतें मिलती थीं । उस हालत का आज की हालत से मुकाबला करें और फिर अन्दाजा लगायें कि कितना फर्क हुआ है । चाहे लोगों के दिल को पूरी तसल्ली न हुई हो लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब ने तकरीबन ८० फीसदी मसलों को हल कर दिया है । उस वक्त हमारे देश में क्या हालात थे । उनको ध्यान में रखकर आप अन्दाजा लगाइये कि कैसी तसल्ली करने वाली तेजी से मसले को हल करने की कोशिश की गयी है ।

आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि हमारे देश में मकानों की बड़ी समस्या है । इतना बड़ा काम होते हुये भी आप किसी बड़े शहर में निकल जाइये, या दिल्ली में ही जाइये तो आप को मालूम होगा कि इस प्राबलम (समस्या) को किस तेज़ी से हल किया जा रहा है । अगर कोई आदमी जो सात आठ साल पहले दिल्ली आया था, आज दिल्ली आवे तो शायद उसको रास्ता ही न मिले । आज भी यह हालत है कि हम लोग जो कि सात आठ साल से इस हाउस के मेम्बर हैं, हमें आज भी यहां रास्ता बस या टैक्सी के जरिये तलाश करना पड़ता है । अगर आप किसी तरफ कुछ महीनों बाद जायें तो आप को बहुत से नये-नये मकान नजर आयेंगे, हो सकता है उनमें बहुत से सरकारी हों और कुछ प्राइवेट आदमियों के भी हों । बहरहाल यह इस बात का सबूत है कि देश के अन्दर मकानों के मसले को हल करने की कितनी कोशिश की जा रही है । इतना होते हुये भी यह बात सही है कि जितने मकानों की आवश्यकता है उतने मकान अभी नहीं बन पाये हैं और उनका इतनी जल्दी शायद बनना भी मुश्किल था । मैं समझता हूं कि इसकी यह वजह नहीं है कि सरकार इस सवाल को जी जान से हल नहीं करना चाहती बल्कि इसकी वजह यह है कि हमारे देश में सीमेंट की पैदावार

[चौ० रणवीर सिंह]

लिमिटेड (सीमित) है । इस देश के अन्दर बड़े-बड़े बांध बन रहे हैं और भी कई बड़े बड़ काम हो रहे हैं जो कि देश की तरक्की के लिये जरूरी हैं । हमारे यहां सीमेंट की और लोहे की पैदावार लातादाद नहीं है । और वह तादाद भी इतनी है कि जितनी आज हमारे देश को जरूरत है उसको पूरा नहीं कर सकती । अगर रुपये की मांग को एक तरफ रख दिया जाय और रुपये के खर्च का ध्यान किसी चीज की तरक्की में न हो तो भी कम से कम जो मकान बनाने का सामान है, उसकी जो सप्लाई है वह एक ऐसा लिमिटिंग फैक्टर है जिसका कि कोई इलाज नहीं कर सकता ।

मैं अब अपने मंत्री महोदय का ध्यान देहातों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय मेरी तरह से देहाती हैं, मेरी तरह से वह भी देहात में पैदा हुये हैं और आज भी उनका दिल देहात में है । यह जो लो इनकम हाउसिंग स्कीम के तहत कर्ज देने का काम शुरू हुआ और इस स्कीम के मातहत स्टेटों को २१ करोड़ रुपये खर्च करने का अख्तियार दिया गया था कि वे ऐस लोगों को जिन की कि आमदनी कम है, उनको इस में से रुपया मकान बनाने के लिये कर्जा दें । यह कर्जा सिर्फ उन्हीं आदमियों को दिया जाना है जो कि वाकई में इसके मुस्तहक हैं और इस कर्जे देने में जो हम इस देश में समाजवादी ढंग की समाज बनाना चाहते हैं उसका पूरा-पूरा सबूत मिलता है और वह इस तरह, कि अगर किसी आदमी के पास मकान है, तो उसको कर्जा नहीं दिया जा सकता है लेकिन अगर उसके पास कोई मकान नहीं है और न ही उसके पास कोई ऐसी जमानत है जो कर्जा लेते समय वह पेश कर सके, उसको इस स्कीम में कर्जा मिल सकता है, दूसरे मानों में वह गरीब आदमी जिसके कि पास न कोई मकान है और न कोई बहुत बड़ा जरिया है, वह ही इससे फायदा उठा सकता है और यह इस बात को साफ जाहिर करता है कि किस तरह से हम देश को और समाज को चलाना चाहते हैं ।

मुझे यह कहत हुये बड़ी खुशी होती है कि हमारा पंजाब प्रान्त इस लो इनकम हाउसिंग स्कीम का फायदा उठाने वालों में सब से आगे रहा है । यह इस लिये नहीं है कि हमारे मंत्री महोदय पंजाब के रहने वाल हैं बल्कि इस लिये है कि वहां की सरकार ने जरा हिम्मत की और वहां क लोगों ने भी हौसला दिखलाया और कर्जा लेने से घबड़ाये नहीं और इसी वास्ते पंजाब में और प्रान्तों की बनिस्बत ज्यादा कर्ज दिया गया । पंजाब में जो बाढ़ आई और लोगों के मकान गिरे उसकी वजह से भी वहां लोगों ने काफी कर्ज लिया । देहली के अन्दर भी कर्ज दिया गया है । लेकिन कई रियासतें तो ऐसी भी हैं जहां कि लोगों ने इस स्कीम का कोई फायदा ही नहीं उठाया और कोई कर्ज़ नहीं लिया । कई जगह के लोगों को तो कर्ज लेना दूर रहा उनको यह भी पता नहीं है कि उन्हें कर्ज के लिये दरख्वास्त देने का हक भी है या नहीं । जहां तक मेरे जिले का ताल्लुक है जिसका कि मैं यहां पर प्रतिनिधित्व करता हूं, उसकी हालत कुछ अलग रही, वहां के गरीब हरिजनों ने काफी तादाद में कर्जा लिया । कोई चार हजार के करीब एक हरिजन भाई कर्ज लेकर गया और जब वह गांव में पहुंचा तो उसने कुछ और गरीबों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा कि भाई तुम यह कहते हो कि राज्य नहीं बदला है, गरीब के लिये राज्य नहीं आया है, जरा जाओ और देखो कि गरीब के लिये सरकार की ओर से क्या सहायता दी जा रही है ? उसने कहा कि एक जमाना था जब कि हमारे जैसे आदमी को कोई १०० रुपये कर्ज भी नहीं देता था लेकिन आज सरकार की तरफ से हमें हजारों रुपये का कर्ज मिल रहा है और आज हम देखते हैं जितना रुपया आज हमें मिल रहा है उतना रुपया हमारे कुनबे में किसी ने न देखा होगा, न हमारे पास बाप ने देखा होगा और न दादा ने देखा होगा । यह कांग्रेस राज्य की नियामत है जिस से कि गरीब आदमियों क लिये सरकार की ओर से यह आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है और वह इस रुपये को अपने तरक्की के कामों पर, मकान इत्यादि बनाने के लिये खर्च कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कर्जा देने की स्कीम के सम्बन्ध में एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि जहां मजदूरों को जो कर्ज देने की व्यवस्था की गई है उसके लिये हम सरकार के शुक्रगुजार हैं वहां हम उनका ध्यान दिलायेंगे कि देहातों में भी स्लम्स् हैं और उन गरीब हरिजनों के मकान हैं। एक-एक मकान के अन्दर १५,१५ आदमी रहते हैं, इतने आदमी रहते हैं जितनी कि उसके अन्दर चारपाइयां भी नहीं आ सकतीं और उन स्लम्स् को भी आप को सुधारना है और उनको इन्सान के रहने के काबिल बनाना है। उन की हालत आप सिर्फ कर्जा देकर ही नहीं सुधार सकते हैं। उनकी हालत को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो जिस तरह से शहरों में स्लम्स् की सफाई के लिये आप ग्रांट देते हैं उसी तरह देहातों की गन्दी बस्तियों की भी सफाई के लिये अगर ज्यादा ग्रांट सम्भव न हो तो कम से कम २५ फीसदी ग्रांट दें। इतना ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि हमारे देश की समाज पर इस बात की एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे हजारों लाखों लोगों को जिन को आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से दबाते चले आये हैं, जिनकी कि आर्थिक अवस्था बहुत शोचनीय है और जिन को न तो जमीन दी गई और न ही कोई कारोबार दिया गया, ऐसे असहाय और नीचे गिरे हुये लोगों को ऊपर उठाये और अगर हम चाहत हैं कि वे भी इन्सानों के रहने लायक मकानों में रह सकें और अपनी जिन्दगी इन्सानों की तरह बिता सकें तो आप यह यकीन रखिये कि वह कर्ज के रुपये से मकान नहीं बना सकते, उन्हें सरकार को ग्रांट देनी होगी। और अगर कोई कर्ज लेगा भी तो मैं समझता हूं कि उसको पूरी तौर पर वह शायद अदा न कर सकेगा या अगर अदा करने की उसने कोशिश भी की तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी और जिसका कि नतीजा यह होगा उसके बच्चों को तालीम नहीं मिल सकेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस लो इनकम हाउसिंग स्कीम के तहत जो गरीब हरिजनों को कर्ज दिया जाता है, उसके अन्दर ग्रान्ट की कोई परसेंटेज भी रखनी चाहिये, अगर २५ फीसदी आप नहीं रख सकते तो १० फीसदी या १५ फीसदी की ग्रांट दें।

इसके अलावा जहां तक करप्शन का सवाल है मैं समझता हूं कि हर वह भाई जिस का कि थोड़ा बहुत भी वास्ता सेंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० और दूसरे पी० डब्ल्यू० डीज० के मुहकमों से पड़ता है वह जानता होगा कि किस तरह से वहां पर खुले आम रिश्वत चलती थी। उन मुहकमों में रिश्वत परसेंटेज के हिसाब से ली जाती थी और मैं समझता हूं कि हो सकता है कि शायद आज भी कहीं पर कोई इस तरह की रिश्वत की परसेंटेज कायम हो, यह मैं मान सकता हूं कि आज हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप करप्शन में कुछ कमी आ गई हो और वह किसी हद तक कम हो गया हो लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आत्म विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता कि आज उन मुहकमों में करप्शन बिलकुल नहीं है। यह मैं मान सकता हूं कि आज रिश्वत उतने खुले रूप में विद्यमान न हो कि २५ फीसदी बड़े इंजीनियर के पास जायेगी और इतना परसेंटेज छोटे के पास जायेगी लेकिन यह बात कोई दावे से नहीं कह सकता कि करप्शन और रिश्वत एकदम इन विभागों में से लुप्त हो गया है। मैं यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अगर अपने मुकहमे को दुरुस्त करना चाहते हैं और उसको बिलकुल पाक करना चाहते हैं तो जहां अब हर एक सरकारी कर्मचारी के लिये यह जरूरी होता है कि जो कोई जायदाद वगैरह वह खरीदे उसको दर्ज करवाना होता है, वहां साथ ही में आप इसका भी इन्तजाम कर दें कि इस मुहकमे के कर्मचारियों के जिनके रिश्तेदार बड़े-बड़े इंजीनियर्स और ओवरसियर्स वगैरह हैं, उन के रिश्तेदारों तक की भी सम्पत्ति आदि की जांच पड़ताल और लिखा पढ़ी होनी चाहिये कि पिछले सात आठ साल के अन्दर उन्होंने कितनी जायदादें अपनी बढ़ाई हैं। कितने बैंक बैलेन्स उन्होंने बढ़ाये हैं, अगर यह चीज शुरू की गई, तो जिन लोगों ने सीमेंट की जगह बालू और रेता मिलाया है, जिसका जिक्र मेरे भाई ने यहां पर किया, वह ऐसा करते हुये डरेंगे। साथ ही वह यह भी सोचेंगे कि आखिर किस चीज के लिये हम बालू और रेता मिलायें, किस फायदे के लिये मिलायें जब कि मालूम हो जाने पर सारा

[चौ० रणवीर सिंह]

रुपया कांफिस्केट हो जायेगा, उन को सजा भी मिलेगी और साथ ही वह नौकरी भी खोयेंगे ? अगर ऐसा डर उन में आ जायेगा तो वह क्यों रिश्वत लेंगे । तो जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री से पुरजोर अपील करता हूं कि इस चीज की काफी से ज्यादा पड़ताल होनी चाहिये ताकि कम से कम उन लोगों के अन्दर डर आये, हर एक कर्मचारी को भी पता होना चाहिये कि हर साल इसकी पड़ताल भी की जायेगी कि कितना उस का रुपया या कितनी जायदाद उसके नाम या उसके रिश्तेदारों के नाम में गई है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** (कोयम्बटूर) : वास्तव में यह बधाई की बात है कि गत वर्षों में मंत्रालय ने बहुत अच्छा कार्य किया है । साथ ही मैं देखता हूं कि मंत्रालय को कुछ कठिनाइयों के साथ कार्य करना पड़ रहा है । उदाहरणत: मंत्रालय ने औद्योगिक मकान तथा कम लागत वाले मकान बनाने के लिये काफी धन नियत किया है । किन्तु केन्द्र ने जो सुविधायें दी हैं उन से राज्य सरकारों ने लाभ नहीं उठाया है । अपने कार्यक्रम को ठीक समय में समाप्त करने के लिये उनके पास सामान नहीं है । निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य समाप्त करने के लिये लोहा और इस्पात की कमी है । मालूम हुआ है कि सरकार ४ लाख टन सीमेंट का आयात कर रही है ।

साथ ही हमें यह भी देखना है कि, इसको सुपुर्द किये गये कार्यों को क्रियान्वित करने में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर इसने ऐसा कार्य किया है कि इसके कार्य में कोई रुकावट नहीं पड़ी है, और इसकी कोई वस्तु बेकार नहीं गई और न हानि हुई है ।

हम देखते हैं कि दूसरे अन्य मंत्रालय ठीक उसी समय पर ही इस मंत्रालय को निर्माण कार्य देते हैं और कभी-कभी काम समाप्त करने के लिये अवधि भी निश्चित कर देते हैं । इस से मंत्रालय पर निर्माण कार्य का काफी बोझ पड़ जाता है । कार्य प्रभारी इंजीनियर यह आश्वासन नहीं दे सकते कि चीज अच्छी बनेगी । इस लिये यह आवश्यक है कि निर्माणकार्य का कार्यक्रम उचित रूप से बनाया जाय । अर्थात् किसी अमुक वर्ष में किये जाने वाले कार्य पहले ही से एक या दो वर्ष पहले तय कर लिये जायें ? यह ठीक है कि कुछ मामले आपातकालीन अथवा आकस्मिक होंगे किन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी होगी । वास्तव में बात तो यह होनी चाहिये कि इस मंत्रालय को तब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ ही करना चाहिये जब तक कि सम्बन्धित मंत्रालय से मदों की जांच एवं उनकी स्वीकृति काफी पहले ही नहीं मिल जाती ।

दिल्ली बड़ी गति से बढ़ रही है । यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यालय भी बढ़ रहे हैं । ऐसे कार्यालयों अथवा विभागों का निर्माण कार्य, जिस का इस विभाग से प्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है, इस मंत्रालय द्वारा करना अनावश्यक है ।

कुछ कार्यालयों को दिल्ली से हटाने की अफवाह भी कई वर्षों से चल रही है । पहाड़ी स्थानों जैसे शिमला आदि में स्थान भी मिलते हैं । दक्षिण में भी स्थान मिलते हैं । दिल्ली की जन संख्या बढ़ने के साथ-साथ इसका महत्व भी और बढ़ गया है । किन्तु इतनी चर्चा के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है । चूंकि जिन विभागों के जाने की बात थी उनके पदाधिकारी कार्यालयों को यहां से हटाने के पक्ष में नहीं ह अत: वे कार्यालय अब नहीं जायेंगे । यह भी बड़ी ही विचित्र सी बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये ढांचे में, जो बहुत शीघ्र ही क्रियान्वित होगा, राजधानियों की संख्या में भी कमी होने वाली है, इसलिये बहुत से स्थानों पर वे कार्यालय नहीं रहेंगे जो अब वहां हैं। राजप्रमुख भी हट रहे हैं अतः उनके महल भी खाली हो जायेंगे। एकता बनाये रखने को दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि उन कार्यालयों को छोड़ कर जिन की दिल्ली में वास्तव में आवश्यकता है शेष सभी कार्यालयों को सारे देश में फैला देना चाहिये।

इसके लिये इस मंत्रालय को तो मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा क्योंकि यह मंत्रालय इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं करता। अतः मैं आशा करता हूं कि उन कार्यालयों को छोड़कर जिन की दिल्ली में बहुत ही आवश्यकता है शेष अन्य सभी कार्यालयों को इधर उधर भेजा जायगा। सैनिक दृष्टि से भी यह बहुत ही आवश्यक है। कुछ कार्यालयों, जैसे भाखड़ा परियोजना नियन्त्रण बोर्ड, नमक आयुक्त का कार्यालय, कला और दस्तकारी का राष्ट्रीय अजायबघर कार्यालय आदि की यहां बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

यदि आवश्यकता हो, तो यह तय करने के लिये कि कौन-कौन कार्यालय दिल्ली में रहें और कौन-कौन कार्यालय न रहें, एक समिति को नियुक्ति करनी चाहिये। इस समिति को, नये ढांचे के अनुसार बहुत शीघ्र बनने वाले राज्यों में स्थान ढूंढने का भी कार्य देना चाहिये।

दिल्ली में दफ्तरों के लिये और लोगों के रहने के लिये जगह ढूंढने की जो कठिनाई मंत्रालय और सरकार को अब हो रही है इस से वह कम हो जायेगी। इसका एक कारण यह बताया जाता रहा है कि दिल्ली के बाहर नगरों में और कस्बों में दफ्तरों के लिये जगह तो प्राप्य है परन्तु वहां पर लोगों के रहने के लिये मकान नहीं हैं। परन्तु वास्तव में कारण यह है कि जो लोग दिल्ली में रहने के आदी हो गये हैं या जो लोग दिल्ली में रहते हैं वे दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने कभी दिल्ली से बाहर रहने के लिये मकान तलाश हो नहीं किया वहां पर निर्वाह व्यय भी कम है। इसलिये बहुत से विभागों को दिल्ली से बाहर ले जाना चाहिये। सरकार को इस प्रश्न का अविलम्ब निबटारा कर देना चाहिये और कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेज देना चाहिये।

मैं कम लागत के मकानों को चर्चा करना चाहता हूं। इस प्रयोजन के लिये पिछले वर्ष राज्यों को २१·२८ करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया गया था। परन्तु इस राशि में से राज्यों ने केवल ७·८ करोड़ रुपये खर्च किये हैं। यह बात स्पष्ट नहीं है कि उन के मार्ग में ऐसी क्या बाधायें और कठिनाइयां थीं जिन के कारण वे मकानों के निर्माण के कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सके हैं।

कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये मकान बनाने की दिशा में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। ७९,००० मकान बनाने की योजना थी जिन में से ३५,००० से अधिक मकान बनाये जा चुके हैं और शेष बनाये जा रहे हैं। परन्तु केन्द्र को यह देखना चाहिये कि कम लागत के मकान क्यों तैयार नहीं हो सके हैं? राज्य सरकारें समस्त राशि को क्यों खर्च नहीं कर सकी हैं? क्या इसका कारण वित्तीय संसाधनों, या टैक्नीकल सहायता या सामान आदि का अभाव था।

देहातों में मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। परन्तु देश में मांगों की संख्या को देखते हुये यह राशि बहुत ही कम है। मेरे विचार में मंत्रालय इसके लिये उत्तरदायी नहीं है बल्कि योजना बनाने वालों ने इस बात के महत्व को अच्छी तरह नहीं समझा है।

कुछ ही दिन हुये जब हम स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर विचार कर रहे थे तब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि उचित मकान व्यवस्था के बिना और उचित वातावरण के बिना इस देश में जन स्वास्थ्य की बात करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिये लोगों का जीवन स्तर ऊंचा

[श्री एन० एम० लिंगम]

उठाने के लिये हमें मकान के प्रश्न को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी होगी। परन्तु हमने अपने अनुभव से देखा है कि राज्य सरकारों ने कम लागत के मकानों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये मकानों के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। इसी प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि राज्य सरकारें देहातों में मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में भी कुछ न करेंगी, वे ५ करोड़ रुपये से इस समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगी।

जब तक हम गांवों में आदर्श मकान बना कर गांवों का फिर से आयोजन नहीं करेंगे तब तक हम इस योजना को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन भी नहीं कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के बिना हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी असफल होगी। हम जिन्हें गांव के नाम से पुकारते हैं वहां गन्दगी ही गन्दगी है और मकान एक दूसरे से सटे हुये हैं। मुझे आशा है कि मंत्रालय इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेगा और योजना आयोग तथा सरकार से इस विषय पर बातचीत करेगा।

मंत्रालय द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है अब मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। यह एक ऐसा मंत्रालय है जहां पर सत्ता तथा संसाधनों का अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। इंजीनियरों के सुपुर्द अत्याधिक राशियां होती हैं और जब तक यह ध्यान नहीं रखा जाता कि धन का उचित उपयोग किया जाये, टेण्डर ठीक ढंग से आमंत्रित किये जायें, दरों की भली भांति जांच पड़ताल की जाये, दरों की अनुसूची बहुत सोच विचार तथा देश की परिस्थितियों को देखते हुये निर्धारित की जाये तब तक कागजों पर भले ही अच्छी रिपोर्ट हो, कार्यरूप में कुछ प्रगति न हो सकेगी।

मंत्रालय की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह ऐसे मकान तैयार करे जो सस्ते हों, और देश की स्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल हों। उसकी सफलता सीमेंट, इस्पात या ईंटों और चूने की बड़ी-बड़ी इमारतों पर निर्भर नहीं करती है। मंत्रालय को यह प्रयत्न करना चाहिये कि निर्माण का कार्य देश के प्रत्येक कोने में फैले, सरकार का कम रुपया खर्च हो और करदाता पर न्यूनतम बोझ पड़े।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों ने निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के अन्तर्गत विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनमें से चुने हुये कटौती प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

मांग संख्या	**कटौती प्रस्तावों की संख्या**
१०३	७२ से १०५
	१४६ से १६१

मांग संख्या	**कटौती प्रस्तावक**	**कटौती आधार**	**कटौती राशि**
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट)	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये जिन कर्मचारियों ने दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन सभी कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी घोषित न कर सकना।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	स्थायी कर्मशालाओं के दक्षपूर्ण संधारण के लिये अपेक्षित स्थायी पदों की व्यवस्था न कर सकना।	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती की राशि
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बम्बई उड्डयन विद्युत् डिवीजन (बौम्बे एविएशन इलैक्ट्रिकल डिवीजन) के काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये उन कर्मचारियों को, जिन्होंने जुलाई १९४६ को दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, अर्ध-स्थायी घोषित न कर सकना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को बाहर के स्थानों पर सरकारी कर्त्तव्य के लिये भेजते समय यात्रा, दैनिक तथा विराम भत्ते देना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करते समय यात्रा और दैनिक भत्ते और योगकाल देना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बैलगाड़ी वाले को चारे के भत्ते में की गई कटौती वापस न लेना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सिन्दरी में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता देना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को आसाम प्रतिकरात्मक भत्ता देना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण भत्ता देना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	शिमला में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को उसी हिसाब से पहाड़ भत्ता देना जिस हिसाब से वह अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोन्नागर में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को १९५१ से १९५३ तक के लिये प्रतिकरात्मक भत्ते की बकाया राशि देना ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती की राशि
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बिजली में काम के लिये स्थायी रूप से रखें गये बिल्डिंग डिवीजन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता न देना जब कि यह भत्ता इलेक्ट्रिकल डिवीज़न के अधीन काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को दिया जाता है ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	धार-उदमपुर सड़क पर काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता देना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को उनके वेतन क्रमों के अनुसार मकान न दे सकना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	मुक्तेश्वर में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को बिना किराया लिये मकान न देना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	चौकीदारों के काम के घंटों को न घटाना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को अप्रवीण, अर्ध प्रवीण, प्रवीण, अत्यधिक प्रवीण तथा लिपिक-कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत न कर सकना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने के लिये उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते से दुगुना वेतन न देना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	राजगीर, बढ़ई, तन्तुपुरुष इत्यादि (काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी) को उपकरण न दे सकना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये लिपिकों के लिये उन्हें उनकी पिछली सेवा का लाभ देकर पदोन्नति के मार्ग खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कामगार अंशदायी भविष्य निधि में चन्दा देने वालों को निक्षेपक पुस्तिकायें (पास बुक) देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती की राशि
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	नई दिल्ली के उत्तरी इलैक्ट्रिकल डिवीजन के कर्मचारियों की १९५० के बाद से वेतन वृद्धि न करना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये स्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में निवृत्ति के वही नियम लागू न करना जो केन्द्रीय सरकार के अन्य स्थायी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	भोपाल, ललितपुर और जयपुर के हवाई अड्डों पर काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये जिन कर्मचारियों को कर्मशालाओं के साथ ही केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग में स्थानान्तरित किया गया था उन्होंने राज्य लोक निर्माण विभाग के अधीन जो सेवा की थी उस की अवधि के गिने जाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना के लागू किये जाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों द्वारा किये गये चिकित्सा सम्बन्धी व्यय का परिशोध न कर सकना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को सभी घोषित छुट्टियां (गजटेड होलीडेज) देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को आधे वेतन पर छुट्टी न दे सकना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये क्षय अथवा प्लूरिसी से पीड़ित कर्मचारियों को आधे वेतन पर छुट्टी न दे सकना ।	१०० पये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती की राशि
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	तिरुचिरापल्ली के काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को चक्रवात सहायता (साइक्लोन रिलीफ) न दे सकना।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को जब साधारण स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है तब उन्हें यात्रा और दैनिक भत्ते और योगकाल न दिया जाना।	१०० पये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	उद्यान विद्या केन्द्र में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की उपस्थिति वेतनावलि में न दर्ज करना।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कारखानों में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को काम करते समय पहनने वाले वस्त्र न दे सकना।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	रंगसाजों को काम करते समय पहनने वाले वस्त्रादि न दे सकना।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	चौकीदार, सहायक चौकीदार, स्वागतकर्त्ता, (रिसैप्शनिस्ट), मीटर पढ़ने वाले, (मीटर रीडर्स), डीजल इंजिन के चालक, विद्युत्-कार (इलैक्ट्रिशियन) तथा डी–७ कैटरपिलर के चालकों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण न कर सकना।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	धनबाद में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के मकान में बिजली की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	दिल्ली में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के मकानों में बिजली की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मकानों में बिजली की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती की राशि
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पूसा, क्वीन्सवे तथा विनय नगर में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के मकानों के क्षेत्र में सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	दिल्ली में भवनों तथा बारादरियों का किराया वेतन के दस प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत के हिसाब से लेने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कामगार अंशदायी भविष्य निधि नियमों को औद्योगिक विवाद अधि-नियम के संशोधनों के अनुसार बनाने के लिये उनमें संशोधन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के वेतन क्रमों की अनियमतताओं की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को उनकी पिछली सेवा का पूरा लाभ देकर नियमित स्था-पना में परिवर्तन करने की आव-श्यकता ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	मद्रास हवाई अड्डे पर काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को रोगी-वाहन गाड़ी (एम्बुलेंस वान) के उपयोग की अनुमति न देना।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सान्ता क्रूज हवाई अड्डे के कर्मचारियों की बस्ती में, काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को सरकारी औषधालय से मुफ्त उप-चार कराने की अनुमति न देना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	भंगियों, नालियां साफ करने वालों और चौकीदारों को जो वर्दियां दी जानी हैं उनके ब्यौरे का न दिया जाना ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती की राशि
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	दिल्ली से बाहर के काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को किसी प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें न प्रदान करना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कामगार मिस्त्रियों को कामगार निरीक्षकों के रूप में नामोद्दिष्ट करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के औषधालयों में कर्मचारियों को कीमती औषधियों का न दिया जाना ।	१०० रुपये
१०३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सैकण्ड सर्कल, दिल्ली राज्य, उड्डयन आयोजन, पुनर्वास, केन्द्रीय निर्माण, उद्यान विद्या, सदर्न इलैक्ट्रिकल, मद्रास सैन्ट्रल, बम्बई सैन्ट्रल, कलकत्ता सैन्ट्रल संख्या १, कलकत्ता सैन्ट्रल संख्या २ तथा माधोपुर सर्कल्स में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की वरिष्ठता सम्बन्धी सूचियों को पूरा न करना और उनका पुनरीक्षण न करना ।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव लोक-सभा के समक्ष हैं ।

श्री बाल्मीकी (जिला बुलन्दशहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं मंत्री महोदय को उनकी कार्य कुशलता, सजगता और जागरूकता के लिये धन्यवाद देता हूं ।

अभी जब स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड पर वाद-विवाद चल रहा था तो सदन में गंदी बस्तियों का जिक्र किया गया । जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो गंदी बस्तियों में अब भी रहता हूं और वहां की जो हालते हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे वर्क, हाउसिंग एन्ड सप्लाई (निर्माण, अवास और सम्भरण) के मिनिस्टर साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है और यह उनका उत्तरदायित्व है कि वह इन गंदी बस्तियों को दूर करें और अच्छे सुन्दर घरों का निर्माण करें । सरकार ने इस कार्य के वास्ते सेकेंड फाइव इयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में जो २० करोड़ रुपया रक्खा है, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । जहां तक गंदी बस्तियों का प्रश्न है, वह एक बड़ा जटिल प्रश्न है और हमारे देश के सामाजिक जीवन पर उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है । अभी पहली तारीख को दिल्ली की गंदी बस्तियों का हमारे जनप्रिय और सर्वप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि "बहुजन हिताय" और "बहुजन सुखाय" की योजना में लगे हुये हैं, जो कि सारे देश को ऊंचा ले जाने के लिये प्रयत्नशील हैं, उन्होंने इन बस्तियों का दौरा किया और वहां के स्लम डवैलर (गन्दी बस्तियों में रहने वाले) से

†मूल अंग्रेजी में

मिले और उनकी दर्दनाक हालत को देखा जिनके पास न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा है और जो कि इन काल कोठरियों में रह कर नारकीय जीवन बिता रहे हैं।

"पंचमे ग्रहनि षष्टे वा, शाकं पचति वे गृहे।
ग्रनृणि चाप्रवासी, स च वारिचर मोदते ।।"

महाभारत में कहा गया है कि सुखी कौन है ? पांचवें और छठे दिन जिसको खाने को साग मिले और जो निकर्जा हो, उस पर कर्जा न हो और अपने घर और धरती पर रहता हो, वह पुरुष सुखी है । किन्तु इनके जीवन में यह सुख कहां । जब हम समाजवादी ढांचे पर अपने देश को ढालने जा रहे हैं, सोशलिस्टक पैट्रन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, तो इस तरह के आदमियों की जो समस्या है वह बड़ी जटिल समस्या है और हमारी सरकार का ध्यान उनके सुधार की ओर तत्काल जाना चाहिये । मैंने देश की विभिन्न नगरों की बस्तियों को और उनमें रहने वालों स्लम ड्वैलर्स की हालत को इन पिछले तीन चार वर्षों में स्वयं देखा है और मैंने देखा है कि कलकत्ता, बम्बई, मैसूर, बंगलौर, हैदराबाद दक्खिन, बैजवाड़ा, गुन्टूर, कर्नूल, पूना, त्रिविन्द्रम, अर्नाकुलम, क्विलौन, मदुरा श्रीरंगपुरम्, त्रिचनापल्ली, मद्रास, कटक, पुरी, बनारस, प्रयाग, कानपुर, पटना, भागलपुर, मुंगेर, जोधपुर, नागपुर, रामपुर, बिलासपुर, इन्दौर, लुधियाना, अमृतसर तथा दक्षिणी और उत्तरी भारत की गंदी बस्तियों में किस तरह हमारे यह अभागे नर-नारी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । वह दिन हम हरिजन, भंगियों व स्लम ड्वैलर्स के लिये सौभाग्य का दिन था जिस दिन महात्मा गांधी हमारे बीच में आये और भंगी बस्ती में ही निवास करने लगे और उनके दुःख और कष्टों को उनके साथ में रह कर समझने की कोशिश की और उनको दूर करने का महान् व्रत धारण किया । पूज्य बापू ने हमारे सम्बन्ध में जो २५ मार्च सन् ४६ को कहा वह मैं उन्हीं के शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूं :

"मैं भंगियों की बस्ती के निकट ही रहता हूं, परन्तु मेरा स्थान बहुत साफ सुथरा और हवादार है । वहां मैं आयु पर्यन्त रह सकता हूं, परन्तु भंगियों के जो मकान बने हुये हैं वे बहुत गन्दे हैं, उनकी कोठरियां अंधेरी हैं और हवा आने के लिये उनमें रोशनदान तक नहीं हैं । उनके मकान में दाखिल होते ही मेरा दम सा घुटने लगता है । हमारे लिये यह शर्म की बात है कि हमारे भाई ऐसी हालत में रहें । मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उनके मकानों को देखें ।"

यह जो अजमेरी गेट पर विशाल भवन खड़े हुये हैं, उनके पीछे स्लम ऐरिया था और जहां कि एक गंदा नाला था, जिसमें कि स्लम एरिया के दो बच्चे बारिश में डूब कर मर गये । बापू जी ने जब वह दर्दनाक घटना सुनी तो उसके लिये अपनी शक्तिशाली आवाज उठायी । उस गंदी बस्ती को साफ करने के लिये जहां कि पाखाने का ढेर लगा रहता था और जहां कि हड्डियों और गलाजत का ढेर रहता था उसकी सफाई करने के लिये गांधी जी के साथ-साथ श्री चांदीवाला, पूज्य ठक्कर बापा और वियोगी हरि ने भी आवाज उठायी तो सरकार का ध्यान उधर गया और यह सुनने में आया कि सरकार शीघ्र ही उस गंदे इलाके को साफ करके वहां के बसने वालों को अच्छे और साफ सुथरे मकान मुहैया करेगी लेकिन हमने देखा कि उस स्लम एरिया को तो साफ कर दिया गया और वहां पर विशाल भवन और गगनचुंबी अट्टालिकायें खड़ी हो गईं लेकिन जो बेचारे स्लम ड्वैलर्स थे वह कहीं के नहीं रहे और हमने देखा कि स्लम्स दूर नहीं होते बल्कि सरक जाते हैं । ठक्कर बापा ने तो उनको "रैट होल्स" (चूहों के बिल) कहा है । हमारे देखने में यह आता है कि वह नष्ट नहीं होते बल्कि कुछ सरक जाते हैं । यह बड़े हर्ष और सन्तोष का विषय है कि भारत सेवक समाज आज इन गंदी बस्तियों की ओर देश, समाज तथा सरकार का ध्यान दिला रहा है और हमें आशा करनी चाहिये कि उनमें कुछ सुधार हो सकेगा । लेकिन यहां पर मैं एक चेतावनी जरूर देना चाहूंगा कि आज कल समाज सेवा का कार्य एक फैशन का कार्य हो गया है और मैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि यह स्लम्स के दूर करने का कार्य एक फैशन समझ कर काम करने से पूरा होने वाला

[श्री बाल्मीकी]

नहीं है और उसके लिये तो हमें वहां के निवासियों के बीच में जाकर रहने और उनकी समस्याओं को अध्ययन करने और उसको दूर करने का प्रयत्न करना होगा। मेरे हाथ में जापान के एक बहुत महापुरुष जापान के गांधी कागावा जो कि जापान के गांधी समझे जाते हैं और जिनके कि सम्बन्ध में विलियम एक्सलिंग ने लिखा है जिसका कि हिन्दी रूपान्तर श्री बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने जो राज्य सभा के सदस्य हैं, किया है, उस पुस्तक में से एक जरा-सी घटना पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने अपनी सुहागरात बड़ी अच्छी जगह पर न मना करके एक स्लम में मनाने की बात की है। वह घटना इस प्रकार उसमें ब्यान की गई है :

"कोबे का एक गिरजाघर आज खूब सजा हुआ है। पादरी डाक्टर मेयर्स और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मेयर्स बड़ी खुशी में इधर से उधर घूम रहे हैं। आज उनके एक जापानी शिष्य और मित्र का विवाह है। गिरजे में सुन्दर से सुन्दर पुष्प इकट्ठे किये गये हैं। फूल बेचने वाली लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहने हुये एक पंक्ति में खड़ी हैं। वह देखिये, दूल्हा और दुलहिन भी आ पहुंचे। वैवाहिक शपथ की क्रिया समाप्त हुई। बाजे बजने लगे। चारों ओर हर्ष का साम्राज्य है। दूल्हे के चेहरे से प्रकट होता है कि वह दृढ़प्रतिज्ञ पुरुष है, और दुलहिन के मुख पर विनम्रता तथा आज्ञाकारिता झलक रही है····

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को यह यकीन है कि जो कुछ वे पढ़ रहे हैं, वह लिखा भी जा रहा है ?

श्री बाल्मीकी : दो रिक्शा कुली इस दम्पति को घर पहुंचाने के लिये बुलाये गये।

दूल्हे ने रिक्शा वालों से कहा "चलो भाई, ले चलो शिंकावा बस्ती को।"

रिक्शे वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने एक बार सुरक्षित दूल्हे को देखा और फिर दुलहिन को, और तब सोचने लगे कहां ये भले आदमी और कहां शिंकावा की गन्दी बस्ती, जहां सफाई करने वाले निर्धन मजदूर, वेश्यायें, चोर, उठाईगीरे, उच्चके, और जुआ खेलने वाले रहते हैं। मामला जरूर कुछ गड़बड़ है। रिक्शे वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और साफ मना कर दिया। पर यह दम्पति शिंकावा को ही गये। दूल्हे का नाम था कागावा और दुलहिन का स्प्रिंग। बसन्तीदेवी। श्रीमती बसन्तीदेवी ने आकर पति की कोठरी देखी। उसका विस्तार था ६ फीट लम्बाई, ६ फीट चौड़ाई और उनकी ससुराल में कितने व्यक्ति थे ? ७० वर्ष का एक बूढ़ा और ६०—६५ वर्ष की एक बुढ़िया, ११ वर्ष का एक अपराधी लड़का, एक अनाथ माता और उसके चार बच्चे और एक भिखारिन। वहां तो खड़े होने को भी जगह नहीं थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सारा कुटम्ब "उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्" के सिद्धांत के अनुयायी कागावा का परिवार था। किसी नई बहू के सामने ऐसी जटिल समस्या शायद ही कभी उपस्थित हुई हो।"

इस तरह से हमने देखा कि इसमें साफ तौर से लिखा है कि उन्होंने १५ वर्ष वहां के इस तरह जीवन से लड़ कर वहां के वातावरण को बदला। पन्द्रह साल बैठ कर उनके बीच में तपस्या की और काम किया तब कहीं जाकर वह ६ फुट लम्बी और ६ फुट चौड़ी गंदी झौंपड़ी जिसमें कि ११ प्राणी ४५ रुपये माहवार की नौकरी में अपनी जिन्दगी बसर करते थे, हटी और उसके साथ-साथ वह स्लम्स हटे। इसलिये मेरा कहना है कि जिस तरह गांधी जी ने भंगियों के बीच में रह कर कार्य किया और उनके साथ में जाकर रहे उसी प्रकार आज जरूरत है कि जैसे कि जापान के कागावा जाकर उनके बीच में रहे उसी प्रकार हमारे नेतागण उनमें जाकर रहें और फिर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करें।

यह जो प्रधान मंत्री महोदय ने गंदी बस्तियों का दौरा किया और वहां की दर्दनाक हालत को देख कर जो उनको जलाने की बात कही, उसके लिये हर्ष भी है और रंज भी है। हर्ष तो इस बात का है कि चलो हमारे अभागे भाइयों को इन गंदी बस्तियों के जीवन से छुटकारा तो मिल जायगा लेकिन

फिर रंज इसलिये होता है कि जैसा कि पहले भी देखने में आया है इनके मौजूदा घरों के जल जाने या नष्ट कर दिये जाने के बाद, इनके रहने का क्या प्रबन्ध होगा और उनके सामने अपने परिवार को लेकर सिर छिपाने की विकराल समस्या उठ खड़ी होगी। मैं समझता हूं कि अकेले दिल्ली के करीब तीन लाख और देश के कई लाख आदमियों के लिये रहने का प्रबन्ध इस मंत्रालय को करना है और यह गृह निर्माण का जो कार्य है यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार का ध्यान उन अभागे लोगों की गृह समस्या की ओर जायगा। यह भी देखने में आया है कि गंदी बस्तियों की सफाई करते समय वहां पर बड़े-बड़े भवन तो बना दिये जाते हैं लेकिन जिनके कि घरों और झौंपड़ियों को नष्ट किया जाता है उनके रहने के वास्ते कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता। हम देखते हैं कि टाउन प्लानिंग (नगर योजना) के नाम पर मास्टर प्लान के नाम पर बहुत-सी बातें कही जाती हैं और किस तरह बड़े-बड़े शहरों को खूबसूरत बनाने के लिये इन अभागे लोगों को शहर से बाहर एक कोने पर जाकर फेंक दिया जाता है और आपको यह अभागे लोग कलकत्ते के सुबरबन एरिया (उप-नगरीय क्षेत्र) में बम्बई के सुबरबन एरिया और मैसूर के सुबरबन एरिया में दिखाई पड़ेंगे।

आपको मालूम हो जायेगा कि किस तरह से टाउन प्लैनिंग हो रही है और किस तरह के मकान बन रहे हैं। तो जब तक आप इसकी पूरी व्यवस्था नहीं करते तब तक आपका काम नहीं चल सकता है। एक-एक आदमी जानता है कि आपने भोजन की समस्या को हल किया, आपने वस्त्र की समस्या को हल किया, लेकिन जब तक आप रहने की समस्या का हल नहीं ढूंढ लेते तब तक आपकी यह सफलतायें अधूरी ही रह जायेंगी। आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये जो मकान बनाने का टार्जेट (लक्ष्य) दिया था उसमें आपने पचास फीसदी कामयाबी हासिल की है, लेकिन उस कामयाबी के साथ-साथ एक-एक आदमी को रहने के लिये घर देने, खास तौर से उन आदमियों को जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है उनको मकान देने का उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है।

यह जरूर है कि हम शहरों की तरफ आजकल ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, जैसा श्री राधा रमण जी ने कहा, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की गतिविधि तथा मनोवृत्ति में कुछ अन्तर नजर आता है। भले ही लाल किले में लिखा हो कि यदि कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, लेकिन वह स्वर्ग आज तो नई दिल्ली में नजर आता है। आज यहां बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बन रही हैं, लेकिन जो उनके बनाने वाले लोग हैं उनकी हालत को देखिये, उनके रहने के लिये कोई जगह नहीं है। एक तरफ से स्लम सरकता है, उस पर बड़ी-बड़ी बिल्डिगें बनती हैं, लेकिन उनको बनाने वाले जो मजदूर हैं उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। उनके लिये मकानों का प्रबन्ध करने की जरूरत है।

जब हम ग्रामों की तरफ जाते हैं तो वहां की हालत भी अजीब दिखाई पड़ती है। हमारे स्वराज्य की इकाई ग्राम हैं, ग्रामों को हमें स्वर्ग बनाना है। अब भी ग्रामों में साफ हवा और साफ पानी मिलता है, साफ आबोहवा है, लेकिन फिर भी हमारे ग्रामों का जो रूप है उसके बारे में एक जर्मन यात्री ने कहा कि भारत के जो ग्राम हैं वह मिट्टी के ढेर से प्रतीत होते हैं। इसलिये ग्रामों को अच्छा बनाने के लिये, ग्रामों की सूरत बदलने के लिये आपको कदम उठाना है। वैसे तो आप सारा उत्तरदायित्व स्टेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, परन्तु इसके लिये आपने भी पांच करोड़ का अनुदान रखा है। वह कम या ज्यादा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी यह कहना चाहता हूं कि कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स (सामुदायिक परियोजनायें) और नैशनल सर्विस एक्स्टेन्शन ब्लाक्स (राष्ट्रीय सेवा विस्तार खण्ड) के अन्दर ग्रामों की स्थिति के अनुसार नमूने के मकान बन रहे हैं उनके अन्दर आप शहरों की तरह से सीमेन्ट और लोहे के प्रयोग न करें। अब तक आपने जो मकानों के नमूनों के सम्बन्ध में जो प्रयोग किये हैं वे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के लिये ही किये हैं लेकिन अब इनका प्रयोग छप्पर और मिट्टी के मकानों के लिये भी करें।

[श्री बालमीकी]

यह देश गरीबों का देश है, यह कोई बड़े-बड़े महलों में रहने वालों का देश नहीं है। यहां का आदमी--

हाथ में लोटा, बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में।
आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में।
कहत कबीर सुनो भई साधो, साहब मिले सबूरी में।

का मानने वाला है। वह तो सबूरी अर्थात् ग्रटर सैटिस्फैक्शन (नितांत सन्तोष) का मानने वाला है। हमें बहुत बड़े मकानों की जरूरत नहीं, वहीं की मिट्टी, वहीं का बांस, और वहीं की लकड़ी से काम चल सकता है लेकिन आज तो हम यूरोप के नक्शे पर चल रहे हैं जहां पर आदमी कम हैं और धरती ज्यादा है। जबकि यहां के आदमी गरीब हैं और उनके पास काम भी कम है, हम किस दृष्टि से तरह-तरह के प्रयोग प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं। मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है कि सीमेन्ट में बड़े प्रयोग किये गये, कांक्रीट में प्रयोग किये गये, मशीनों में प्रयोग किये जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप देहातों को अच्छा बनाने के लिये भी नये प्रयोग कीजिये। देहातों के जीवन को अच्छा बनाने के लिये माननीय टंडन जी ने एक बार नहीं अनेक बार 'वाटिका गृहों' की योजना के बारे में कहा है। 'वाटिका गृह योजना' ऐसी है कि आधे एकड़ जमीन में खुले घर बनाये जायें जो कि एक दूसरे से अलग रहें और हर एक के साथ छोटी सी वाटिका हो। मैं समझता हूं कि इस देश के अन्दर इस योजना को कामयाब करने के लिये यह मंत्रालय उसको अपने हाथ में लेगा और इस काम को पूरा करने की कोशिश करेगा ताकि ग्रामीण लोग भी गांवों में अच्छा जीवन गुजार सकें।

अब मैं जल्दी में कुछ बातों के विषय में और कहना चाहता हूं। आपने खादी के बारे में कहा है कि सब जगह खादी की प्रगति होनी चाहिये।

सरकारी कार्यालयों में खादी का प्रयोग और बढ़ना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज बयान करना चाहता हूं, अलीगढ़ के प्रेस, यू० पी० के सम्बन्ध में। माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वहां पर यू० पी० मेहतर हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्वीपर एल० डी० सी० को निकाला गया। हड़ताल खत्म हो गई जिसके जेरसाये वह निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। मैंने आपको चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मैं जानता हूं कि उस बेचारे आदमी का कोई दोष नहीं था, न वह उस हड़ताल में शामिल था। उस के मामले को देखने की जरूरत है।

इसके बाद सबसे जरूरी चीज यह है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (भारत सरकार) के क्लास फोर सर्वेन्ट्स (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी) को ले लीजिये, स्वीपर्स को ले लीजिये या राष्ट्रपति भवन के स्वीपर्स को ले लीजिये, आज भी वह सब पक्की नौकरी में नहीं हैं, कोई पक्की में है और कोई आधी पक्की में हैं और कितने ही मस्टर रोल (हाजरी) के ऊपर हैं। उनको जो सहूलियतें मिलनी चाहियें वह नहीं मिलती हैं। मैं म्यूनिसिपैलिटी की बात नहीं करता हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वीपर्स हैं उनके बारे में कह रहा हूं। उनको सुन्दर वर्दी मिलनी चाहिये, उनको, तौलिया, साबुन मिलना चाहिये, उनको तेल मिलना चाहिये। और तो और, जो पार्लियामेंट हाउस के अन्दर क्लास फोर सर्वेन्ट्स और स्वीपर्स हैं उनकी ओर देखिये। मैं समझता हूं कि ८० फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास क्वार्टर्स नहीं हैं। उनके रहने का कोई ठीक प्रबन्ध नहीं है। इसके ऊपर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

साथ ही साथ जो सी० पी० डब्ल्यू० डी० है, उसके स्टाफ के लिये मैं कहने को तैयार हूं कि उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये। आपको चाहिये कि जो वहां के ओवरसियर और दूसरे अधिकारी हैं उनकी पर्सनल (व्यक्तिगत) आमदनियों की आप जांच करायें। सी० पी० डब्ल्यू० डी० में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। आप सी० पी० डब्ल्यू० डी० में से सी० काट

दीजिये तो पी० डब्ल्यू० डी० बच जाता है, पी० को काट दीजिये तो डब्ल्यू० डी० बच जाता है और डी० रिप्रेजेंटिंग ऑल डिपार्टमेंट्स (डी० का अर्थ सब डिपार्टमेन्टों से लिया जाय)। सब जगह भ्रष्टाचार है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। इस मंत्रालय का नाम बनदाम है, उसको नेकनाम बनना है और मैं इसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं।

आज सी० पी० डब्ल्यू० डी० का नाम बहुत ज्यादा बदनाम है इस बात के लिये कि वहां बहुत से स्वीपर्स का रिट्रेंचमेंट (छंटनी) होता है। वह रुकना चाहिये पर उसको छोड़ते हुये मैं एक चीज के ऊपर खास तौर पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो मेहतर या दूसरे हरिजन एल० डी० सी० या दूसरे नौकर हैं उनके रहने के लिये मकानों का प्रबन्ध नहीं है, आज भी उनके विरुद्ध छुआछूत का बर्ताव किया जाता है और जाति-पांत के कारण उनको कोई उपयुक्त स्थान रहने के लिये नहीं मिलता है। आपके पास राम लाल स्वीपर की एक ऐप्लीकेशन (आवेदन पत्र) पहुंची होगी किस तरह से उसको तंग किया जाता है। मकान मालिक छूआछूत के कारण उसे परेशान करता है। इस तरह की बातें आज राजधानी में हो रही हैं। एस्टेट आफिस को इन मेहतर या दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिये रहने के मकानों का ठीक-ठीक प्रबन्ध करना चाहिये, मैं इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मेहतरों की गन्दी बस्तियों को दूर करने का आदर्श अपने सामने रक्खा है। इसमें इस बात की जरूरत है सरकार इसकी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि अल्लेजी तुम पल्लेमार पल्लेजी तुम तिल्लेमार। आपको इस पर स्वयं ध्यान देना होगा। आप आज २० करोड़ रुपया इस देश के लिये दे रहे हैं। इस देश की म्यूनिसिपैलिटीयां कितनी निकम्मी हैं। उन्होंने इनके लिये कोई काम नहीं किया है। मैं स्टेट गवर्नमेंट्स का ध्यान दिलाता हूं कि वे गन्दी बस्तियों और गन्दी मेहतर बस्तियों को दूर करने में रुचि दिखायें। केवल म्यूनिसिपैलिटीज पर भरोसा करना उचित नहीं है।

डा० सत्यवादी (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, दो बातों के मुताल्लिक मुझे अर्ज करना है। पहली पंचवर्षीय प्लान (योजना) में स्वीपर्स के मामले में लापरवाही बरती गई थी। यह अच्छी बात है कि जो नया मस्विदा हमारे सामने आ रहा है उसमें गन्दी बस्तियों को ठीक करने, और उनको तरक्की देने के साथ स्वीपर्स के मकानात को भी शामिल किया गया है। इसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो सफाई पेशा मज़दूर हैं उनके मकानात के सवाल को खास ढंग से हल करने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जो २० करोड़ रुपया स्लम एरियाज को साफ करने के लिये आप रख रहे हैं उसमें मकानात के सवाल को हल करने के लिये स्वीपर्स के मकानात का एक परसेन्टेज (प्रतिशत) मुकर्रर कर दिया जाय कि इतना रुपया तो मकानात बनाने के लिये सर्फ होगा और बाकी को स्लम एरियाज को साफ करने के लिये, गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिये, जिसका काम अब हो रहा है। मिसाल के तौर पर, अभी मेरे भाई बता रहे थे कि जब अजमेरी गेट के इलाके को साफ किया गया और इसी तरह से जो पुराने इलाके साफ हुये थे तो वहां से लोगों को उठा कर ताल कटोरा बाग के पीछे बैठा दिया गया, वह लोग वहां झोंपड़ियां बना कर बैठ गये। लेकिन पिछले दिनों, मैंने सुना, उनको नोटिस वगैरह दिये जा रहे हैं। तो आपने एक इलाके को साफ तो कर लिया, उसकी हालत तो अच्छी बना ली, लेकिन जो गरीब वहां बैठे हुये थे उन्हें वहां से हटा कर ठीक से बिठलाने की जो बात थी, वह नजर अन्दाज कर दी गई। और आज फिर उनके सामने वही सवाल पेश हो गया। इसलिये जो गन्दी बस्तियों को ठीक करने की बात आपने रक्खी है उसमें साफ तौर पर यह बात होनी चाहिये कि २० करोड़ रुपये में से कुछ परसेन्टेज मुकर्रर कर दिया जाय कि इससे उन लोगों के लिये मकानात बनाये जायेंगे।

[डा० सत्यवादी]

अब जो स्वीपर्स के मकानों का मामला है उसको आम तौर पर सवाई हुकूमतों के ज़रिये लोकल आथारिटीज़ (स्थानीय प्राधिकारी) के सुपुर्द कर दिया जाता है और म्युनिसिपैलिटियां और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्वीपर्स के लिये कुछ क्वार्टर बनाते हैं, लेकिन उससे स्वीपर्स के मकानों का सवाल हल नहीं होता। वह सिर्फ इस कदर हल होता है कि जो लोग म्युनिसिपैलिटियों में मुलाजिम हैं उनको उनकी मुलाजिमत के दौरान में किराया देने पर मकान मिल सकता है। इन लोगों की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, इनको प्रावीडेंट फंड या पेंशन की शक्ल में कुछ नहीं मिलता और जब ये लोग नौकरी पूरी कर लेते हैं और आगे काम करने के काबिल नहीं रहते तो इनको उन मकानों में से निकाल दिया जाता है जिनमें कि वे बीस साल से रहते रहे थे। इस तरह से स्वीपर्स के मकानों का मसला हल नहीं हो सकता कि कमेटियां उनके लिये मुलाजिमत के दौरान में मकानों का इन्तिजाम कर दें और नौकरी खत्म होने पर उनको उनसे निकाल दिया जाये। उस वक्त न उनके पास पैसा होता है और न जगह होती है। इसलिये यह मसला तभी हो सकता है जबकि गवर्नमेंट खुद इसको हल करने की कोशिश करे। उनके लिये मकानात बना कर हायर परचेज़ सिस्टम् पर उनको दिये जायें। यह मसला स्वीपर्स को थोड़ा बहुत रुपया मकान बनाने के लिये देने से हल नहीं हो सकता क्योंकि वे अपने तौर पर मकान नहीं बना सकेंगे। लो इनकम (कम आमदनी) ग्रुप की मकानों की स्कीम से स्वीपर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी इब्तदायी शर्त यह थी कि कर्ज मांगने वाले के पास अपनी जमीन हो। जब उससे पास जगह होगी तभी उसे कर्जा मिल सकेगा। जहां तक मुझे मालूम है शायद लाखों में एक स्वीपर भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपनी जगह हो। इसलिये यह शर्त ही उनके रास्ते में हायल बन गई। इसलिये जब आप स्वीपर्स के मकानों के मसले को हल करने चलते हैं तो यह बात भी ध्यान में रखें कि उनके लिये जमीन का इन्तिजाम भी आपको करना है। आप उनको मकान बनाकर दीजिये और अगर आप बनाकर नहीं देते हैं तो उनको जमीन दीजिये और उनको रुपया दीजिये। अभी एक भाई फरमा रहे थे कि जैसे आपने लो इनकम वालों को कर्जा देने की स्कीम (योजना) रखी थी उसी तरह से स्वीपर्स के मकानों की समस्या को हल करने की कोशिश करें। लेकिन मैं कहता हूं कि इन स्वीपर्स के साथ आप सैंकड़ों हजारों वर्षों से बेइन्साफी करते आ रहे हैं। अब कर्जा देकर इनके लिये मकान बनवाना ठीक नहीं है। आप कुछ रुपया इनको ग्रांट के रूप में दीजिये और कुछ कर्ज के रूप में दीजिये। इसी तरह यह सवाल हल होगा।

तो गन्दी बस्तियों के सिलसिले में मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों को वहां से हटाया जाये उनको मुस्तकिल तरीके से दूसरी जगह बिठा दिया जाये। ऐसा न हो कि आज उनको एक जगह से उठाया जाये, कल दूसरी जगह से उठाया जाये। आपने जो लो इनकम वालों के लिये रुपया रखा था, उससे भी सूबाई हुकूमतों ने फायदा नहीं उठाया। न मालूम कौन-सी दिक्कत उनके सामने पेश आ गई कि रुपया लेकर भी वे उसको इस्तैमाल नहीं कर सके।

मैंने दिल्ली में भी और दूसरी जगह भी जहां नई बस्तियां बनायी जाती हैं यह देखा है कि स्वीपर्स और हरिजनों की बस्तियां बिल्कुल अलाहिदा बनाई जाती हैं। इससे जो समाज हम बनाना चाहते हैं जिसमें ऊंच और नीच का भेद न हो उस तरफ हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनको अलाहिदा बसाया जाना ठीक नहीं। जहां तक मकान बनाने का सवाल है सब लोगों के लिये मिले-जुले मकान बनाने चाहियें ताकि वे एक दूसरे के करीब आ सकें और स्वीपर और हरिजन लोग दूसरे लोगों से रहन-सहन का अन्दाज़ सीखें और अपने रहन-सहन में तबदीली करें। आज जो कुछ छूआ-छूत दूर करने में सबसे बड़ी रुकावट है वह यही है कि ऊंची जाति वाले गन्दी बस्तियों में नहीं जाते और इसलिये उन बस्तियों के हालात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके भी साफ सुथरे मकान होंगे और

उनकी भी अच्छी बस्तियां होंगी तो सब लोग उनके पास जायेंगे और जो मिली-जुली सोसाइटी (समाज) हम बनाना चाहते हैं वह बन सकेगी ।

एक बात की तरफ और मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । आम तौर पर जो मैंने स्वीपर्स के मकानात को देखा है तो यह पाया है कि शहरों में पब्लिक लैट्रीन्स (शौचालय) के पास मिलाकर उनके मकान बनाये जाते हैं । यह चीज़ यकीनन शर्मनाक है । हमें इस तरीके को बदलना चाहिये । अगर आप नेकनीयती से उनको उठाना चाहते हैं तो यह तरीका बदलना चाहिये । उनके मकानात ऐसी जगह हों कि इस गन्दे माहौल से अलग रह कर वे अपने आपको उठा सकें ।

श्री फिरोज़ गांधी (जिला प्रतापगढ़, पश्चिम व जिला रायबरेली, पूर्व) : दिल्ली में हरिजन बस्ती का नाम भंगी कालोनी है ।

डा० सत्यवादी : नाम चाहे कुछ भी रख लीजिये । यहां कुछ कालोनिज़ के ये नाम हैं जैसे सेवा नगर, विनय नगर आदि । पर इसमें मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि म्युनिसिपैलिटियां जो मकान बनाती हैं वे उन्हीं स्वीपर्स के लिये बनाती हैं जो कि उनकी मुलाजिमत में होते हैं । लेकिन जो स्वीपर प्राइवेट घरों में काम करते हैं वे उनसे महरूम रह जाते हैं । इसलिये आप म्युनिसिपैलिटीज़ के ज़रिये इस मसले को हल नहीं कर सकेंगे । जो लोग म्युनिसिपैलिटीज़ में मुलाजिम हैं उनके मुकाबले में उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है जो कि प्राइवेट घरों में काम करते हैं । इसलिये अगर आप इस सवाल को म्युनिसिपैलिटीज़ के ज़रिये हल करेंगे तो इसका बहुत थोड़ा हिस्सा हल हो सकेगा और प्राइवेट स्वीपर्स को उससे कोई फायदा नहीं होगा ।

दूसरी बात मुझे चौथी श्रेणी के मुलाजिमान के बारे में कहनी है, दिल्ली में जो उनके लिये बस्तियां बनी हैं उनमें बिजली की, पानी की, उनके बच्चों के खेलने की और दूसरी सहूलियतें नहीं हैं जो कि दूसरी बस्तियों में लोगों को हासिल हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो चौथी श्रेणी वालों की बस्तियां हैं उनको भी उसी मेयार पर लाया जाये और वहां बिजली की, पानी की, पब्लिक लेट्रीन्स की उतनी ही सहूलियतें दी जायें जैसी कि दूसरी बस्तियों में दी गई हैं । और यह जो अलग-अलग श्रेणी वालों के लिये अलग-अलग मकान बनाने की स्कीम है इसको कतई तौर पर खत्म कर दिया जाये । अगर ऐसा किया जायेगा तो छोटी श्रेणी वालों के हालात में तबदीली होगी । यह बात मैं सोसाइटी के उस तबके के लिये कह रहा था जो कि सोसाइटी में सबसे नीचे हैं ।

अब एक बात मैं दूसरी एक्स्ट्रीम के मुताल्लिक भी कहना चाहता हूं । यह बात उस तबके के सब लोगों के दिल की बात है लेकिन वे उसको तकल्लुफ की वजह से अपने मुंह से कहना नहीं चाहते । यह तबका पार्लियामेंट के मेम्बर्स का है । उनके मकानों की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरा कहना है कि जो किराया इन मकानों का एम० पीज़० (संसद् सदस्य) से लिया जाता है उसका उन पर बड़ा भारी बोझ पड़ता है । जहां तक गुजर करने का सवाल है मैं समझता हूँ कि एक मेम्बर इससे कम जगह में भी गुजर कर सकता है । लेकिन जो वोटरों (मतदाता) की फ़ौज है उसके लिये उसको ज्यादा इकोमोडेशन (स्थान) की ज़रूरत होती है और उसको उनकी दूसरी जरूरियात भी पूरी करनी पड़ती हैं । इसका उसके ऊपर काफी बोझ पड़ता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज़ पर भी मिनिस्टर साहब गौर करें और इस शिकायत को हल करने की कोशिश करें ।

आखिर में मैं मिनिस्टर साहब को जो काम उन्होंने किया है उसके लिये मुबारकबाद देता हूं और चूंकि मिनिस्टर साहब मेरे सूबे से ताल्लुक रखते हैं इसलिये उनको जो श्रेय मिला है उसके लिये मुझे भी फख्र है ।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी) : मैं सभा का तथा मंत्री महोदय का ध्यान कुछ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उनमें से सर्व प्रथम आवास नीति का प्रश्न है। उसकी ओर मैंने मंत्री महोदय का ध्यान पहले भी आकर्षित किया था, परन्तु उसे अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त उष्ण प्रदेशीय आवास मिशन (मिशन आन ट्रापिकल हाउसिंग) ने भी भारत का दौरा करने के उपरान्त यही सिफारिश की थी कि हमें आवास सम्बन्धी एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये।

एक बार मंत्री महोदय ने भी इस बात का उल्लेख किया था। आखिर हमें एक निश्चित नीति निर्धारित करनी ही है कि ये मकान किस-किस को देने हैं, और किस-किस आधार पर देने हैं। इस समय हमारे पास इस प्रकार का कोई भी आधार नहीं है; जिसके पास धन है वही मकान बना लेने का अधिकारी है। हमारी भूमि वितरण नीति भी एक पूंजीवादी नीति है। पूंजीपति भूमि खरीद कर अनेकों मकान बनवा लेते हैं और उनसे किराये के रूप में खूब लाभ उठाते हैं।

तो मैं कहना यह चाहता हूं कि गृह-निर्माण की आधारभूत वस्तु है भूमि, इसलिये हमें भूमि वितरण के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति अपनानी चाहिये, और वह नीति एक समाजवादी नीति होनी चाहिये। मैं पूंजीवादी नीति में विश्वास नहीं रखता। इंग्लैण्ड जैसे देश में भी भूमि नीलाम द्वारा नहीं बेची जाती है, अपितु वहां पर भूमि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे उसकी आवश्यकता है, और वह भी पट्टे पर दी जाती है, जिसके पास एक भी अपना मकान है उसे एक इंच भी भूमि नहीं दी जाती। परन्तु भारत में क्या स्थिति है? यहां पर लगभग एक करोड़ मकानों की आवश्यकता है परन्तु उनके सम्बन्ध में अभी तक कोई नीति ही निश्चित नहीं हुई है। मकानों की इतनी भारी कमी को पूरा करने के बारे में हमारी कोई व्यापक नीति नहीं है। यहां पर तो यह हाल है कि एक ओर तो ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले ही कई मकान हैं और इसके अलावा वे नये प्लाट लेकर और मकान बनाये जा रहे हैं और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक प्लाट भी नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस सम्बन्ध में एक निश्चित नीति निर्धारित करे।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने पहले औद्योगिक कर्मचारियों के लिये एक राज सहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना बनायी थी, परन्तु बाद में उसे इस कारण से समाप्त कर दिया गया था कि सरकार के पास इतना धन नहीं है। फिर एक अल्प आय आवास योजना लागू की गई जिसके अनुसार ६,००० रुपये से कम आय के व्यक्तियों को ८,००० रुपये तक ऋण दिया गया। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ६,००० रुपये की आय सीमा बहुत ऊंची है और यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास यदि प्रथम योजना के लिये धन नहीं था तो दूसरी के लिये कहां से आ गया? अतः हमें अच्छी प्रकार से सोच विचार करके कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसी नीति बनाइये जिससे भारत में रहने वाले प्रत्येक परिवार को एक-एक प्लाट मिल सके।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अल्प आय वर्ग की आय सीमा के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का क्या सुझाव है? वह कह रहे थे कि ६,००० रुपये की सीमा बहुत ऊंची है।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** : मैं सरकार से पहले यह पूछना चाहता हूं कि वह इसके लिये कितना धन लगा सकती है। यदि सरकार इस पर काफी रुपया लगा सकती है तब तो ठीक है, आप इस वर्ग में आने वाले सभी लोगों को रख लीजिये। तो मैं कह यह रहा था कि प्रत्येक परिवार के पास एक-एक प्लाट अवश्य होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार से भंगियों के लिये भी एक आवास योजना होनी चाहिये ताकि नौकरी से अलग होने के बाद भी वे सुखपूर्वक अपने मकान में रह सकें। अतः हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। परन्तु जहां तक अल्प-आय आवास योजना का सम्बन्ध है, ६,००० रुपया आय वाले व्यक्तियों को मैं अल्प-आय वर्ग में नहीं मानता हूं। मेरा तो केवल यही कथन है कि हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे प्रत्येक परिवार को कम से कम दो कमरों वाला एक मकान मिल सके।

इसके अतिरिक्त मध्य-आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये भी एक योजना है जिसके अनुसार ६,००० रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों को २०,००० रुपये तक सहायता दी जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह एक समाजवादी ढंग के एक समाज का रूप है? आपने अपनी इस नीति पर अच्छी प्रकार से विचार नहीं किया है।

व्यक्तिगत रूप से मैं यही चाहता हूं कि हम एक ऐसी नीति अपनायें जिससे प्रत्येक परिवार को एक मकान मिल सके। पांच वर्षों के अन्दर-अन्दर प्रत्येक परिवार को एक-एक प्लाट प्रदान कर दिया जाये। और फिर उन्हें दो-दो कमरे बनवाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाये, यदि वे उससे और अधिक कमरे बनवाना चाहें तो अपने खर्चे पर बनवायें। प्लाट तो सभी को मिल जाने चाहियें, परन्तु किसी को भी १८,००० या २०,००० रुपया नहीं दिया जाना चाहिये, इससे छोटे वर्ग के लोगों को बड़ा घाटा रहेगा। इसलिये हमें इस बारे में एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये, और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आवास सम्बन्धी सभी विधियों तथा उप-विधियों का सुचारु रूप से अनुसरण किया जाये। नगरपालिका आवास सम्बन्धी योजनायें पास करने में बहुत देर लगा देती हैं, इसलिये सरकार उन्हें सचेत कर दे कि वह किसी भी राज्य को तब तक रुपया नहीं देंगी जब तक कि वह राज्य आवास सम्बन्धी योजनाओं को निश्चित रूप से निर्धारित न कर ले।

ग्राम्य आवास योजना के सम्बन्ध में मेरा यही कथन है कि भारत का रूप तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि ५।। लाख ग्रामों का रूप नहीं बदलता। मैंने पहले भी इसके बारे में कई बार कहा है परन्तु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके लिये एक आयोग भी नियुक्त किया गया था जिसने इस पर अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद कुछ सिफ़ारिशें की थीं, परन्तु दुःख है कि उन पर कोई विचार नहीं किया गया है। मैं पूछता हूं कि यदि उनकी सिफारिशों की ओर कोई ध्यान ही नहीं देना है तो आयोग अथवा पैनल नियुक्त करने का लाभ ही क्या है?

इस पैनल में प्रविष्ट होने से पूर्व मैंने मंत्री महोदय से यह आश्वासन मांगा था कि नीति बनाने वाले तथा वित्तीय सहायता करने वाले व्यक्ति हमारी बैठक में उपस्थित हों ताकि वे हमारे तर्क सुन सकें, हमें वह आश्वासन दिया गया था और यह भी कहा गया था कि हमारी सिफ़ारिशों पर विचार किया जायेगा। परन्तु दुःख है कि हमारी सिफ़ारिशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

तर्क यह दिया गया है कि ग्रामों में कोई गन्दी बस्तियां नहीं हैं और इसीलिये ग्रामों की आवास समस्या इतनी गम्भीर नहीं है जितनी कि शहरों की है। मैं तो यह समझता हूं कि आवास योजना बनाने वाले व्यक्ति कभी गांवों में गये ही नहीं हैं, इसीलिये वे उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। वहां की दशा अत्यन्त शोचनीय है। और फिर यह तर्क दिया गया है कि इस समस्या का राज्य सरकारों से सम्बन्ध है। मैं पूछता हूं कि यदि इसका आपसे कोई सम्बन्ध नहीं तो फिर आपने इस कार्य के लिये पांच करोड़ रुपये क्यों निर्धारित किये हैं? इतनी राशि इस समस्या को हल करने की दृष्टि से पर्याप्त भी नहीं है। ब्रिटिश काल में प्रत्येक ज़िला-नगर में एक सिविल लाइनज़ एरिया बसाया गया था जिसमें बहुत से नागरिक बस गये थे, तो मेरा सुझाव यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी प्रत्येक गांव के लिये एक सुन्दर योजना बनायी जाये और उसे सुचारु रूप से कार्यान्वित

[श्री मौहन लाल सक्सेना]

किया जाये। मकान बनाने के लिये कुछ आर्थिक सहायता आप भी दें और कुछ खर्च वे स्वयं करें। आप अपनी सहायता गृह-निर्माण के सामान के रूप में दें। परन्तु मूल चीज़ तो मकान के लिये प्लाट है। दिल्ली के बारे में मुझे ज्ञात है। जब मंत्रालय लोगों को सामान सम्भारित न कर सका था, उस समय भी यहां के शरणार्थी अपने प्रयत्नों से कहीं से सामान खरीद कर लाये और उन्होंने अपने मकान तैयार कर लिये। अतः सरकार इस बात की ओर ध्यान दे कि गांवों में प्रत्येक परिवार अपने मकान के लिये उपयुक्त भूमि प्राप्त कर सके।

भूमि सम्बन्धी ऐसी बहुत सी विधियां हैं जिनके अधीन मकान बनाने के लिये भूमि प्राप्त की जा सकती है। सम्भव है कि मंत्री महोदय यह कहें कि पंजाब में भूमि उपलब्ध नहीं है। परन्तु आपको इस काम के लिये किसी न किसी प्रकार से भूमि प्राप्त तो करनी ही होगी। अतः मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये किसी न किसी प्रकार से भूमि प्राप्त कीजिये और आवास सम्बन्धी एक सुन्दर-सी योजना बनाइये।

आगामी पंचवर्षीय योजना में आवास के लिये १२० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं जिनमें से केवल ५ करोड़ रुपया ही ग्राम्य आवास के लिये आवंटित किया गया है। जहां तक मध्य-आय-वर्ग का सम्बन्ध है मेरा सुझाव यह है कि ६,००० रुपये से अधिक आय वाले लोगों को कोई भी धन नहीं दिया जाना चाहिये। उन्हें केवल प्लाट दिये जायें।

मैंने आवास वित्तीय निगम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में एक योजना का सुझाव दिया था जिसका मंत्रियों के सम्मेलन ने समर्थन भी किया था, परन्तु कुछ पता नहीं कि उसका क्या बना है? हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ करने वाले हैं परन्तु आवास कार्यक्रम को चलाने वाला कोई अभिकरण ही अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। यदि मंत्रालय चाहता है कि आवास समस्या शीघ्रातिशीघ्र हल हो जाये तो उसके लिये उसे इस बात की ओर ध्यान देना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि ग्रामों में आवास समस्या की ओर पूरा ध्यान दिया जाये, और आशा करता हूं कि ऐसा किया जायेगा।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं इस मंत्रालय के अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं। मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं कि वह पिछले चार वर्षों से अपना कार्य अत्यन्त सुन्दर प्रकार से चला रहा है। फिर भी मैं उसका ध्यान कुछ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

हम एक समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करना चाहते हैं, और उसके लिये खाद्य तथा वस्त्र के बाद आवास का ही प्रमुख स्थान आता है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है; हम देश में अच्छे नागरिक तभी बना सकते हैं जबकि उन्हें एक सुन्दर वातावरण में रखा जाये। इस मंत्रालय ने इस कार्य के लिये २१ करोड़ रुपया आवंटित किया है और उसमें से ७ करोड़ रुपये खर्च भी किये जा चुके हैं, और यह भी सत्य है कि हज़ारों छोटे-छोटे मकान बनवाये जा चुके हैं, परन्तु इस कार्य से अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसकी ओर कोई विशेष ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। उदाहरणार्थ, मैसूर राज्य के लिये १ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे; परन्तु सरकार ने केवल १० लाख रुपये ही दिये हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जबकि राज्य में आवास की इतनी अधिक आवश्यकता है, इस धन को इस काम के लिये क्यों नहीं लगाया जा रहा है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। इसी प्रकार से मैसूर में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये छोटे मकान बन तो गये हैं परन्तु वे अभी तक उन्हें दिये ही नहीं गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि

†मूल अंग्रेज़ी में

उन खाली पड़े हुए मकानों का क्या लाभ है, यदि वे उन कर्मचारियों को आवंटित नहीं किये जाते हैं। उन्हें आवंटित न करने का यही कारण बताया जाता है कि उस भूमि के पट्टे की शर्तें बड़ी कठोर हैं और किराया बहुत महंगा है। मुझे आशा है कि मंत्रालय उन कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगा।

एक और महत्वपूर्ण बात भी है और वह यह कि कई पदाधिकारियों और गैर-कर्मचारी व्यक्तियों को भी ये मकान दे दिये गये हैं जबकि ये मकान औद्योगिक कर्मचारियों के लिये बनाये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वे पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को क्यों दे दिये गये हैं? अतः इस प्रकार की नीति को पूर्णरूपेण त्याग देना चाहिये।

अल्प-आय के वर्ग के आवास के सम्बन्ध में मेरा यह अनुभव है कि वित्तीय सहायता केवल उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कि मकान बनवा सकते हैं, परन्तु वास्तव में जिन निर्धन लोगों को मकानों की आवश्यकता है उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाती। तो मेरी प्रार्थना यह है कि आज जब हम एक समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें बेघर निर्धन व्यक्तियों की आवास समस्या की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

जैसा श्री सक्सेना ने कहा है ग्रामों में कृषि मजदूरों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है, उनकी दशा शहर के किसी गंदे क्षेत्र से भी बुरी है। मंत्री महोदय ने श्री सक्सेना से पूछा था कि यदि ६,००० रुपये की आय वाले व्यक्तियों को सहायता न दी जाये तो उनके लिये क्या किया जाये, तो उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि शीघ्र ही एक समिति नियुक्त की जाये जो इस बात का निर्णय करे कि किन-किन लोगों को यह सहायता दी जाये, और आवास सम्बन्धी एक निश्चित नीति कैसी बनाई जाये। इसी सम्बन्ध में मेरी एक शिकायत भी है और वह यह कि मंत्रियों को तो मुफ्त बंगले दिये जाते हैं परन्तु संसद् सदस्यों से किराया लिया जाता है, और जिन दिनों सभा का सत्र नहीं होता उन दिनों का भी किराया ले लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस समस्या की ओर पूरा ध्यान दिया जाये। मैं जानता हूं कि कई एक सदस्य मेरे इस कथन के पक्ष में नहीं हैं। बात यह है कि वे तो कई प्रकार की समितियों के सदस्य हैं, और वे कई प्रकार के भत्ते प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु वे सदस्य जो इन समितियों में नहीं हैं, वे मेरे इस कथन का पूरा समर्थन करते हैं।

हमें प्रत्येक महीने का किराया देना पड़ता है चाहे हम उनमें ठहरें या न ठहरें। मुझे किराया देने में आपत्ति नहीं है किन्तु यह काम एक सिद्धान्त के रूप में किया जाना चाहिये ताकि अनुचित किराया न लिया जाय।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों को हटाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा। राज्य सरकारें घाटे के बजट की स्थिति में इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगी। केन्द्र की ओर से उन्हें बात-बात में निदेश दिये जाते हैं। उदाहरण के लिये राज्यों को दस वर्ष की अवधि में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना लागू कर देनी चाहिये किन्तु राज्यों के पास इसके लिये पर्याप्त धन नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि आवास की समस्या को केन्द्रीय विषय माना जाये। देश के जितने मतदाता हैं उनके आवास का प्रबन्ध होना चाहिये।

जैसा कि श्री सक्सेना ने बताया, बड़े-बड़े पूंजीपति तो आवास निगम से ऋण लेकर हजारों मकान खड़े कर सकते हैं, किन्तु एक साधारण व्यक्ति के लिये यह आसान नहीं है। हमें जन-साधारण के हित का सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिये।

अब मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विषय में कुछ कहता हूं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों में उनके लिये कोई सहानुभूति नहीं है। न तो उन्हें ऋण

[श्री एन० राचय्या]

दिया जाता है और न नौकरी। यह एक खेद का विषय है कि उनके प्रति लोगों का ऐसा बर्ताव है। आवास योजनाओं के लिये २१ करोड़ रुपये की जो रकम निश्चित की गई है उसमें से कम से कम पांच-छः करोड़ रुपये उन लोगों के आवास के लिये दिये जाने चाहियें। आज देश के गांव-गांव में अस्पृश्यता विद्यमान है। हरिजनों को रहने के लिये मकान और जमीनें नहीं दी जाती हैं। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार को एक निश्चित नीति का अनुसरण करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आवास के लिये रकम निश्चित करनी चाहिये जिससे देश के ये नागरिक भी सभ्य और सुचारु रूप से रह सकें।

सरदार इकबाल सिंह : (फाजिल्का सिरसा) : जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पिछले साल से हर मद में बेहतरी हुई है। इसके लिये मिनिस्टर साहब बधाई के पात्र हैं। इसके साथ-साथ मैं कुछ सजेशन्स (सुझाव) भी देना चाहता हूं ताकि आने वाले सालों में यह जो हाउसिंग (आवास) का प्राबलम (समस्या) है यह अच्छे ढंग से साल्व (हल) हो सके।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में एक नेशनल हाउसिंग प्लान (राष्ट्रीय आवास योजना) होनी चाहिये। जो भी बढ़े हुए देश हैं उन्होंने यह सोचा है कि आगे आने वाले पांच या दस साल में हम कितने मकान बनायेंगे, इनमें से कितने शहरों में होंगे, कितने देहातों में होंगे, कितने सबसीडाइज्ड (सहायता प्राप्त) होंगे। हमारे देश में आज तक यह नहीं सोचा गया है कि अगले १५ या २० सालों में हमको कितने मकानों की जरूरत होगी। हमने सड़कों के लिए नागपुर प्लान बनायी थी। गोकि उसके मुताबिक हम सड़कें नहीं बना सके लेकिन हमारे सामने एक टारजेट (लक्ष्य) तो था जिससे मालूम हो सकता था कि हमारे देश को कितनी तरक्की करनी है और किस तरह से उसके लिए हमको अपने रिसोर्सेज़ (संसाधन) को मोबिलाइज़ (उपलब्ध) करना चाहिये। इस तरह से मैं चाहता हूं कि देश के लिये एक नेशनल हाउसिंग प्लान बनायी जाये। यह प्लान देश की अगली २५ सालों की घरों की जरूरत का अन्दाजा लगा कर बनायी जाये और इसमें यह भी तय किया जाये कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितने घर बनायेगी, सूबों की सरकारें कितने बनायेंगी, म्युनिसिपैलिटीज़ कितने बनायेंगी। जब तक हम इस तरह का कोई प्लान नहीं बनाते तब तक हमारी ठीक तरह से इस तरफ तरक्की नहीं हो सकेगी। इससे मालूम होता रहेगा कि हमको कितना काम करना है कितना हम कर चुके हैं और कितना और करना बाकी है। एक स्कीम हमारे सामने होगी तो हम यह भी अन्दाज़ा लगा सकेंगे कि हमारे रिसोर्सेज़ कितने हैं, हम कितने मकान बना सकते हैं और कितने प्राइवेट तौर पर बनाये जा सकते हैं। हम को यह मालूम होना चाहिये कि हर एक सूबे में कितने घर शहरों में और कितने देहात में बनाने हैं। तभी यह मसला हल हो सकेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यह मिनिस्ट्री प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) से मिल कर और जो लोग प्राइवेट मकान बनाते हैं उनसे मिलकर एक प्लान बनाये कि अगले २५ साल में हम को इस देश में कितने घर बनाने चाहियें। चाहे हम उस स्कीम को पूरा न कर सकें पर हमारे सामने एक स्कीम तो होनी चाहिये, ताकि हम उसके इर्द-गिर्द चल सकें। इस प्लान के लिये यह जरूरी है कि अलाहिदा-अलाहिदा तरह के घरों का एक कम्प्रीहेंसिव (वृहत्) सर्वे होना चाहिये। इसके साथ यह भी तय किया जाना चाहिये कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दे सकती है या नहीं दे सकती ताकि हम को मालूम हो सके कि किस तरह से हमको अपने रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज करना चाहिये। आज बहुत कुछ हो सकता है अगर उसको ठीक ढंग से टैक्लि किया जाय।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और जिसका कि मेरे दूसरे बहुत से भाइयों ने जिक्र किया है और वह माडर्न विलेजेज़ (आधुनिक गांवों) की बात है। पंजाब में पिछले साल हमारे बहुत से गांव के

गांव बाढ़ आने के कारण तबाह और बर्बाद हो गये और पंजाब के गांवों में आज इस बात की बहुत जरूरत है कि घरों की मरम्मत की जाय और नये मकानात बनाये जायें और एक अच्छे और सुधरे हुए माडल पर बनाये जायें। मैं मानता हूं कि यह काम स्टेट गवर्नमेंट का है और यह सेंटर का मामला नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि सेंटर का भी इसमें कुछ फर्ज है और यह मामला इतना अहम है कि सेंटर को इसमें काफ़ी हद तक अपना पार्ट अदा करना होगा, वहां की प्रान्तीय सरकार के पास इस काम को बखूबी अंजाम देने के लिये इतनी बड़ी आर्गेनाइज़ेशन (संस्था) नहीं है और जरूरत इस बात की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस काम में उनकी हर तरह से इमदाद करनी चाहिये और जब तक हर किस्म की इमदाद उनको सेंटर से नहीं मिलेगी तब तक यह अहम मसला हल नहीं हो सकेगा और जो उनके और इसके साथ मसले हैं वह भी हल न हो सकेंगे। स्टेट गवर्नममेंट की इतनी ताकत नहीं है कि वह इन मसलों को हल कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पर ऐसी जगहों पर गावों को बनाने के काम में इमदाद देनी चाहिये जिससे कि आयन्दा बाढ़ आने पर वे गांव तबाह और बर्बाद न हो सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह के माडेल विलेजेज़ बनाने के लिये सूबे की गवर्नमेंट को इमदाद और दूसरी किस्म की टेकनिकल (प्राविधिक) सलाह देनी चाहिये। यह जो माडेल विलेजेज़ बनाने के लिये दूसरी पंचसाला स्कीम में ५ करोड़ की रक़म रक्खी गई है, मैं समझता हूं कि इसके लिये नाकाफ़ी है और इससे यह काम कामयाबी के साथ पूरा नहीं हो पायेगा और उसमें और अधिक रुपये की मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए। आप ऐसे माडेल विलेजेज़ बनाने के लिये एक प्लान बनाकर उनको दे सकते हैं और मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरह से इमदाद करेंगे तो यह काम ठीक तरह पर पूरा हो सकेगा। यह जो घरों का मसला है यह शहरों के घरों के मसले की तरह ही बहुत पेचीदा है और गांवों के घरों की हालत भी उतनी ही खराब है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गांवों के घरों की हालत शहरों के घरों की बनिस्बत ज्यादा खराब है और आज जरूरत इस चीज़ की है कि वहां के घरों के मसले को, इस स्लम्स की सफ़ाई के मसले को जिस तेज़ी के साथ आप टैक्लि करने जा रहे हैं, उसी तरह और उसी तेज़ी के साथ इस मसले को भी अपने हाथ में लें और शहरों में गन्दी बस्तियों को सफ़ाई के साथ-साथ गांवों के घरों को भी ठीक करने और अच्छे मकान बनाने का काम आप को अपने हाथ में लेना चाहिये। घरों की समस्या के अलावा गांवों के लोगों की और भी कई तकलीफें हैं जैसे गांवों में ईंटें नहीं मिलतीं, लकड़ी नहीं मिलती और सीमेंट नहीं मिलता क्योंकि जब स्टेट गर्वनमेंट के पास इन चीज़ों के लिये एप्रोच करते हैं तो कहा जाता है कि हमारा कोटा मुकर्रर है, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते और मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कुछ ऐसा इन्तजाम करना चाहिये और रूल्स में कुछ ऐसी तबदीली कर देनी चाहिये जिससे गांवों के लोगों को यह जरूरी सामान काफ़ी तादाद में मिल सकें। आज कल देहातों में ईंटें नहीं मिलती हैं, उनको नया कोयला नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस ओर देखना चाहिये और गांवों के लोगों को इन चीजों को काफी तादाद में दिलाने का इन्तजाम करना चाहिये और जब ऐसा होगा तभी वहां पर काफी तादाद में अच्छे और साफ-सुथरे मकानात बन सकते हैं, और जैसा कि हम माडेल विलेजेज़ बनाना चाहते हैं, बन सकगे। इसके अलावा आपको रूरल हाउसिंग के काम को आगे बढ़ाने के लिये लोगों को रुपये की इमदाद करने की कोई एक माकूल स्कीम बनानी चाहिये।

अब मैं कुछ लो इनकम हाउसिंग ग्रुप की बाबत कहना चाहता हूं। आपने पहली पंचसाला योजना में इस काम के लिये २१ करोड़ रुपये रक्खे थे लेकिन हम देखते हैं कि उसमें से सिर्फ पौने आठ करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया। आख़िर इसकी क्या वजह है? पिछले साल शिमला में एक कान्फ्रेंस (सम्मेलन) की गई और जिसकी सदारत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब ने की और वहां पर इस

[सरदार इकबाल सिंह]

मामले पर सोच विचार किया गया और यह सुझाया गया कि स्टेट्स में जो कार्पोरेशंस हैं उनको घर बनाने के काम में रुपये की इमदाद दी जाय, कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इस काम के लिये सरकार की तरफ से माली इमदाद दी जानी चाहिये ताकि गांवों में जहां कि ५ हजार से १० हज़ार को आबादी है वहां पर मकान बनवायें और मैं समझता हूं कि मकान बनाने के वास्ते अगर आप इन कार्पोरेशनों (निगमों) को क़र्जा देंगे तो आपका क़र्जा भी ज्यादा सेफ (सुरक्षित) होगा और इस लोन (ऋण) का इस्तेमाल भी वाजिबी तौर पर हो सकेगा। मैं समझता हूं कि गांवों की इन पंचायतों को आप लोन देकर इस पर तामीर करने के मसले को कामयाबी के साथ हल कर सकेंगे। इस काम में खास तौर पर म्युनिसपैल्टियों और ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया जाय। मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में जांच करके देख लेना चाहिये कि जिस जगह पर जितने घर बनाये जाने हैं और उनके लिये जो मैटीरियल (सामान) ज़रूरी होता है वह मुहैया किया जाय और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा किया जायगा तो यह हाउसिंग का मसला ठीक तरह से हल हो सकेगा।

अब मैं कुछ सेंट्रल पी० डब्लू० डी० की बाबत कहना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ा आर्गेनाइज़ेशन है और इसके जरिये देश में बड़े अच्छे मकानात और सड़कें वगैरह बनवाई गई हैं। इसके बारे में मेरी सलाह है कि इसमें तीन-चार विंग्स (शाखायें) होने चाहियें। एक तो प्लानिंग विंग होना चाहिये, दूसरा डिज़ाइनिंग विंग होना चाहिये, मार्डन आर्किटेक्टर (आधुनिक शिल्प) का विंग हो, और एक कंस्ट्रक्शन (निर्माण) का विंग हो और इनके ज़रिये यह काम करवाया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरह से यह काम पूरा हो सकेगा। डिजाइनिंग के बारे में जो विंग है वह सलाह दे और कंसट्रक्शन विंग उसके मुताबिक उसको बनाये और इंसपैक्शन (निरीक्षण) विंग देखे कि ठीक से काम हुआ है या नहीं और यह भी देखे कि इनके बनाने में ज़रूरत से ज्यादा लागत तो नहीं लगी है और यह भी देखे कि क्या इससे कम क़ीमत में इस तरह के मकान नहीं बनाये जा सकते हैं।

दो-एक चीज़ों के बारे में एक-आध बात और कहना चाहता हूं। सप्लाईज़ और डिस्पोज़ल्स (सम्भरण और उत्सर्जन) की बाबत मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह मानता हूं कि बहुत सारी सिफारिशें जो स्टोर पर्चेज़ कमेटी (सामान क्रय समिति) ने की थीं, उनको मंजूर कर लिया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि सप्लाई डिपार्टमेंट में जहां पर कि करोड़ों रुपये का सामान इस देश से और इसके बाहर से ख़रीदना है तो उसके लिये आपको प्लानिंग कर के म्यूज़ियम बनाना चाहिये जैसा कि रेलवे ने बनाया है ताकि हर जगह लोगों को पता लग सके कि इन चीज़ों की ज़रूरत है अगले पांच सात सालों में और अपनी तौर पर भी वह चीजें अपने देश में हों। उन के स्टैन्डर्ड का भी पता म्यूजियम में लग सकेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि सप्लाईज महकमे के जरिये जो चीजें खरीदी जाती हैं उनके लिये एक म्यूजियम बनाना चाहिये।

पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है उस के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है कि एक मिनिस्ट्री पेट्रोलियम निकालने का काम करती है, दूसरी मिनिस्ट्री उस को तकसीम करने का काम करती है, तीसरी मिनिस्ट्री उस को इकट्ठा करने और कीमतें मुकर्रर करने का काम करती है और चौथी मिनिस्ट्री में जितनी पेट्रोलियम कम्पनीज़ और रिफाइनरीज़ हैं वह आती हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस के मुताल्लिक जो भी काम हो वह एक मिनिस्ट्री के जरिये होना चाहिये। इससे उसकी कीमत भी कम हो जायेगी और देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकेगा। पेट्रोलियम

में जो सब से जरूरी चीज़ होती है वह डीजल आयेल है जो कि देहाती तौर पर इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम यत्न करें और हमें रूस जैसे देशों से तेल मिल सके तो इस देश में पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है। हमारा यत्न यही होना चाहिये कि जहां से हमें कम से कम कीमत में तेल मिले वहां से हम लें। डीजल आयेल की कीमत हम को सब से पहले कम करनी चाहिये। पेट्रोल पर अगर एक या दो आना बढ़ भी जाय तो कोई हर्ज़ नहीं है क्योंकि वह तो सिर्फ लग्जरी की चीजों में काम आता है। डीजल आयेल की कीमत कम होनी चाहिये और आशा है कि इस ढंग से काम किया जायेगा कि वह मुमकिन हो सकेगा क्योंकि डीजल आयेल तो देश की आम चीज़ों में इस्तेमाल होता है।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिये मैं उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूं।

जहां तक मंत्रालय के कार्यों की प्रगति का प्रश्न है, वह संतोषजनक है और माननीय मंत्री इस के लिये बधाई के पात्र हैं फिर भी कुछ बातों पर प्रकाश डालना मैं आवश्यक समझता हूँ। इस मंत्रालय को व्यय करने के लिये करोड़ों रुपये दिये जाते हैं, अतः उन सबका सदुपयोग होना आवश्यक है और जो भी निर्माण कार्य हो रहे हों उन का यदाकदा निरीक्षण किया जाना चाहिये। इन सब बातों के लिये इंजीनियरों को विशेष हिदायतें होनी चाहियें।

जनता की यह आम शिकायत है और एसा प्रायः देखने में आता है कि अनेक नये बने हुए पुल जल के एक प्रवाह में ही बह जाते हैं। अतः सम्बन्धित कर्मचारियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे निर्माण कार्य की भली भांति देखभाल करें ताकि जो भी वस्तु बने वह ठोस और मजबूत बने। मुझे वास्तुकला के बारे में भी यह कहते हुए दुःख होता है कि आजकल पाश्चात्य वास्तुकला की थोथी नकल करने से हमारी इमारतें सुदृढ़ नहीं बन पा रही हैं। हमें अपनी प्राचीन वास्तुकला को नहीं भूलना चाहिये। जब रूस का सांस्कृतिक मण्डल चण्डीगढ़ आया तो मैंने उसके सदस्यों से पूछा कि भारतीय वास्तुकला के बारे में आप की क्या राय है? वे कहने लगे कि भारत की प्राचीन कला तो अत्यन्त गौरवपूर्ण है किन्तु आधुनिक कला को देखकर कुछ दुःख होता है। यह है विदेशियों की सम्मति।

मैं चाहता हूँ कि इमारतें प्रत्येक सुविधा को ध्यान में रख कर बनाई जायें। उदाहरण के लिये, उच्चतम न्यायालय की जो नई इमारत बन रही है उसे देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई। किन्तु बड़ी इमारतों के साथ-साथ सरकार को जन साधारण की आवश्यकताओं की छोटी इमारतों के भी सुन्दर डिजाइन तैयार कराने चाहियें। सरकार के पास ऐसी हजारों इमारतें हैं जो किसी काम नहीं आती हैं अतः ऐसी इमारतें जो किसी काम में न आयें, तैयार नहीं कराई जानी चाहियें।

इस मंत्रालय द्वारा पेट्रोल निकालने का काम भी किया जाता है। हमारे देश में अभी अन्य देशों से बहुत परिमाण में पेट्रोल आ रहा है। सरकार को चाहिये कि देश में जो भी पेट्रोल क्षेत्र हैं वहां भली भांति सर्वेक्षण किया जाय ताकि यह उद्योग प्रगति कर सके और हम पेट्रोल में आत्म-निर्भर हो सकें।

इसी प्रकार लेखन सामग्री और छपाई के विषय में भी मुझे कुछ कहना है। कहा तो यह जाता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को देश की विधियों से परिचित होना चाहिये किन्तु सरकार विधि की पुस्तकों को महंगे दामों पर बेच रही है जो सर्वथा अवांछनीय है। उन से आधे दामों पर गैर-सरकारी प्रकाशन संसथायें अपनी पुस्तकें बेचती हैं।

[श्री टेक चन्द]

राज्यों में निर्माण कार्य के लिये काफी ऋण देती है किन्तु मैं यह अवश्य निवेदन करूँगा कि जब कभी मंत्रालय द्वारा राज्यों को ऋण दिया जाय तब इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाय कि उस ऋण का भली भांति उपयोग हो। जनता से कर के रूप में जितना रुपया लिया जाता है उसकी एक-एक पाई का सदुपयोग करना सरकार का धर्म है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन से मुझे बहुत लाभ हुआ है। सदस्यों ने मंत्रालय के कार्यों का अच्छा अध्ययन किया है। जो भी सुझाव दिये गये हैं उन पर मंत्रालय द्वारा भली भांति विचार किया जायगा और उसके उपरान्त उन से अधिकतम लाभ उठाने का प्रयत्न किया जायगा। सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर जो बातें कही हैं उन पर भी ध्यान दिया जायगा।

आज की चर्चा में कुछ सदस्यों द्वारा की गई आपत्तियों के उत्तर में मुझे कुछ शब्द कहने हैं। इस के साथ मैं सभा के सम्मुख द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने वाले विकास की रूपरेखा बताने का भी प्रयास करूँगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : समय हो गया है। अतः माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १८१७

त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

याचिकाओं का उपस्थापन १८१७

श्री शिवमूर्ति स्वामी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में दो याचिकायें, जिन पर क्रमशः ५४९ और ३६०९ याचकों के हस्ताक्षर थे, उपस्थापित कीं ।

अनुदानों की मांगें १८१७–८०

स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा जारी रही और मांगों की पूर्ण राशि स्वीकृत हुई । निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय तथा उत्पादन मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

M108LSD—6-11-57—190—GIPF